कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 64★ मासिक अंक : 8★ पृष्ठ : 56 ★ ज्येष्ठ–आषाढ़ 1940★ जून 2018

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03

दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक

दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये

इस अंक में

	प्रगति पथ पर अग्रसर ग्रामीण भारत	डॉ विनीता सिंघल	5
	नए उभरते भारत की परिकल्पना	प्रो. सुमन पामेचा, मीनाक्षी अहीर	11
	कृषि विकास पर टिका ग्रामीण विकास	डॉ. के.एन. तिवारी	15
	कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां और चुनौतियां	नरेश सिरोही	21
	गांवों में शिक्षा की अलख जगाता सर्व शिक्षा अभियान	सुरभि जैन और पूरबी पटनायक	25
	भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का बढ़ता दायरा	---	29
	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	---	30
	ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन	ए. सूजा	31
	स्वास्थ्य की दिशा में सार्थक प्रयास	आशुतोष कुमार सिंह	37
	महिलाओं की उन्नति के खुलते नए द्वार	सिद्धार्थ झा	42
	लोगों की मानसिकता बदलता स्वच्छ भारत अभियान	संजय श्रीवास्तव	47
	जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018	---	51
	ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रगति रिपोर्ट	---	53
	स्वच्छता सर्वेक्षण 2018	---	54

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

देश की 70 प्रतिशत आबादी चूंकि आज भी गांवों में रहती है, ऐसे में भारत की समृद्धि गांवों के विकास पर ही टिकी है। सरकार भी इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ है। वैसे तो आज़ादी के बाद से देश की प्रगति के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं किंतु उन प्रयासों की गति इतनी धीमी रही कि गांवों तक विकास के लाभ बेहद कम पहुंच पाए।

निसंदेह पिछले कुछ सालों में हालात काफी बदले हैं। वर्तमान सरकार देश के गांवों, किसानों, गरीबों और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्प होकर हर मोर्चे पर तेजी से काम कर रही है। साथ ही, किसानों की आय दोगुनी करना, सभी को शिक्षा, आवास, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और देश को 2 अक्टूबर, 2019 तक शौचमुक्त और स्वच्छ–सुंदर बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश के हर गरीब व्यक्ति के पास अपना घर हो और हर घर में बिजली, पानी, शौचालय जलनिकासी की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो; हर गांव सड़क मार्ग से शहरों से जुड़ा हो; हर व्यक्ति के पास रोजगार हो और किसानों को न केवल उनकी फसलों की संपूर्ण सुरक्षा दी जाए बल्कि उनकी आमदनी को भी 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि में तकनीकी सहयोग से उत्पादन बढ़ाने और किसानों की जिंदगी आसान बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी क्रम में देश में 11 करोड़ से ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जा चुके हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिल रही जानकारी के आधार पर जो किसान खेती कर रहे हैं, उनकी पैदावार बढ़ने के साथ–साथ खाद पर भी खर्च कम हो रही है। यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग से भी खाद की खपत कम हुई है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा है।

किसानों के हित में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और बड़े पैमाने पर बजट भी उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से बेहद कम प्रीमियम पर उन्हें पूर्ण बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी के विज़न पर काम हो रहा है; प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के जरिए खेत से लेकर बाजार तक पूरी सप्लाई चेन को मजबूत किया जा रहा है। बजट 2018–19 में ऑपरेशन ग्रीन की भी घोषणा की गई है जिससे फल, सब्जी पैदा करने वाले और खासतौर से टमाटर, प्याज, आलू उगाने वाले किसानों को फायदा पहुंचेगा। इसी वर्ष के बजट में सरकार ने अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का कम से कम डेढ़ गुना दिया जाना तय किया है। यही नहीं, किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सके, इसके लिए देश भर में राष्ट्रीय कृषि बाजार भी स्थापित किए जा रहे हैं। किसानों और स्वयंसहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने हेतु देश के 22 हजार ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड कर एपीएमपी और ई–नाम प्लेटफार्म के साथ जोड़े जाने की भी योजना है। किसान इन ग्रामीण हाटों पर ही अपनी उपज सीधे बेच सकेगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये केंद्र किसानों की आय बढ़ाने सहित रोजगार और कृषि–आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के केंद्र बनेंगे। इस स्थिति को और मजबूत करने के लिए सरकार एफपीओ को भी बढ़ावा दे रही है।

उल्लेखनीय है कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चलते गांवों में रोजगार के अवसर काफी बढ़े हैं जिससे गांवों से शहरों की ओर पलायन में कमी आई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण बहुत तेजी से औसतन 134 किमी./दिन की रफ्तार से हो रहा है। मनरेगा में प्रत्येक परिसंपत्ति की जियो टेगिंग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से पूरी पारदर्शिता आई है।

2022 तक 'सबसे लिए आवास' लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएमएवाई–जी के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 तक एक करोड़ तथा 2022 तक 2.95 करोड़ पक्के आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यों से आवास निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी आवास सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। इन जानकारियों में धनराशि की अंतिम किस्त, भूटैगिंग फोटो आदि शामिल हैं। 40.25 लाख आवासों की जानकारियां अपलोड की जा चुकी हैं। लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से अच्छी गुणवत्ता वाले आवासों का तेजी से निर्माण संभव हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से कार्यक्रम का पारदर्शितापूर्ण और निर्बाध तथा बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित हुआ है। पीएमएवाई–जी के तहत बनने वाले प्रत्येक पक्के घर में शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति आदि सुविधाओं से ग्रामीण भारत की तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है।

प्रौद्योगिकी का उपयोग गरीबों को सक्षम तथा सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। यूएनडीपी–आईआईटी दिल्ली ने आवासों के 168 डिजाइन तैयार किए हैं। इन आवास डिजाइनों में लागत कम आती है तथा ये आपदा प्रतिरोधी भी हैं। इससे ग्रामीण परिदृश्य में सुखद बदलाव हो रहा है। गरीब लोगों को रहने के लिए सुरक्षित आवास प्राप्त हो रहे हैं जहां वे सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकते हैं।

गांवों में तीव्र गति से विकास कार्य चल रहे हैं, हर व्यक्ति विकास प्रक्रिया में भागीदार बनने को तत्पर लगता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में "आज हर भारतीय न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। हम एक ऐसे भारत के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें; जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी सपने देख सकें, उन्हें पूरा कर सकें।" निसंदेह भारत का नवनिर्माण हो रहा है जहां गरीबों के स्वप्नों को आकार मिल रहा है; और किसानों के लिए भी आशा की नई किरण जागी है।

प्रगति पथ पर अग्रसर ग्रामीण भारत

–डॉ विनीता सिंघल

हमारे गांव बहुत तेजी से उन्नति कर रहे हैं। आधुनिक तरीके से खेती, साफ–सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता सहित आज हर गांव को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ा जा रहा है जिससे उनको हर बुनियादी सुविधा का लाभ मिल सकें। साथ ही हर गरीब एवं वंचित को आवास और हर गांव और हर घर में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य पर तेजी से काम हो रहा है।

9 अगस्त 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने तक गरीबी उन्मूलन की बात कही थी। 'मिशन अंत्योदय' का कार्यान्वयन इसी का परिणाम है। ग्रामीण विकास से तात्पर्य केवल लोगों के आर्थिक विकास से नहीं बल्कि विशाल सामाजिक परिवर्तन से है। भारत के आर्थिक विकास के लिए भी ग्रामीण विकास सबसे जरूरी है। किसानों की समृद्धि और पंचायती राज को मजबूत बनाने और गरीबों एवं वंचितों के कल्याण, युवाओं को रोजगार और सभी को शिक्षा के उद्देश्य के साथ ही गांवों का विकास संभव है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव के कमजोर वर्गों के लिए घर बनवाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, पानी की निकासी की सही व्यवस्था करना, गांवों में बिजली उपलब्ध कराना एवं लोगों को जागरूक करना ग्रामीण विकास के ही पहलू हैं।

भारत मूल रूप से एक कृषि निर्भर देश है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का बहुत बड़ा योगदान होता है। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने और लागू करवाने वाला शीर्ष निकाय है। जिस देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी मिट्‌टी से जुड़ी हो, उस देश का विकास निश्चित रूप से मिट्‌टी से जुड़ कर ही होगा। ग्रामीण भारत में कृषि और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियां आजीविका का प्रमुख साधन हैं। भारत सरकार के इस दिशा में किए जा रहे किसान हितकारी प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। लेकिन आज पानी की कमी के चलते सूखी धरती खेती के लिए समस्या बनी हुई है। हाल ही में सरकार ने खेती से जुड़ी अनेक कृषि विकास योजनाओं की घोषणा की है जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा परीक्षण कार्ड, पशुपालन और मछली पालन, बूंद–बूंद सिंचाई के महत्व, नीम कोटेड यूरिया आदि। इतना ही नहीं किसानों की आमदनी 2022 तक दो गुनी कैसे हो, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

सरकार लंबे समय से अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने को प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सूखे की समस्या से निजात मिल जाएगी। 'हर खेत को पानी' पहुंचाने

के लिए यह योजना शुरू की गई है। इतना ही नहीं, मनरेगा के तहत वर्षापोषित क्षेत्रों में पांच लाख फार्म तालाबों और कुंओं की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिशन मोड में लागू किया जाना है और ज्यादा से ज्यादा खेतों को सिंचित क्षेत्र में लाया जाएगा। सिर्फ सिंचाई ही नहीं मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन ऐसी स्कीमें हैं जिन पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। अच्छी फसल के लिए मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। अगर मिट्टी की जांच कराके, उसकी जरूरत के हिसाब से खाद डाली जाए तो खर्चा भी कम होगा और फसल भी अच्छी होगी। सरकार जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। इससे जैविक कचरे का उपयोग खाद की तरह करने से खाद का खर्च भी बचेगा और जमीन भी ज्यादा उपजाऊ बनेगी और उपज ज्यादा पौष्टिक होगी।

सरकार ने अनेक किसान सेंटर खोले हैं, जहां से बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। वहां बहुत–सी फसलों के अच्छी किस्मों के बीज भी मिलते हैं। नई–नई किस्मों को महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान अपने खेतों में उगाकर फसलों की अधिक पैदावार ले रहे हैं। जो किसान केवल खेती करते हैं, वो फसल खराब हो जाने पर या फिर मुनाफा कम होने पर टूट जाते हैं लेकिन अगर वो खेती के साथ पशुपालन भी करें तो पोषण का, आमदनी का साधन बना रहता है। भूखे मरने की नौबत नहीं आती है। केवल खेती पर निर्भर न रह कर साथ में मछली पालन, मवेशी पालन जैसे खेती संबद्ध कार्य करने चाहिए। सरकार ऐसे व्यवसायों को प्रोत्साहन देने हेतु व्यापक कदम उठा रही है। गोपशुओं की देशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन परियोजना भी शुरू की गई है।

पशुपालन करने वालों के लिए भी बहुत–सी योजनाएं हैं जैसेकि पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य पत्र, ई–पशुधन हाट। स्वास्थ्य–पत्र से किसानों को अपने पशुओं के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी। इसकी मदद ये वो रिकॉर्ड रख पाएंगे कि उन्हें कब किस गाय या भैंस को टीका लगवाना है। इस पत्र में पशुओं की बीमारियों की भी जानकारी होगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

यह योजना इस सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फसल बीमा सरकार की अब तक की सबसे बड़ी मदद है। अब सबको सब जगह एक–सी मदद। अब जिलेवार और फसलवार अलग–अलग बीमा नहीं होगा। अगर कोई किसान 30,000 की फसल उगाता है तो उसकी फसल का बीमा भी 30,000 का होगा। और अगर कल को उसकी फसल खराब हो जाए तो उसे बीमे का पूरा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं था। सरकार अपना हिस्सा उसमें से काट लेती थी। अब फसल खराब होते ही बीमे की रकम का 25 फीसदी तो तुरंत मिल जाएगा और बाकी का नुकसान का ठीक–ठीक पता लगाने के बाद मिलेगा। अब प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, बारिश से फसल को होने वाले नुकसान का पता ड्रोन और उपग्रहों के जरिए लगाया जाएगा। इससे बीमा योजना में मौजूद भ्रष्टाचार भी दूर होगा। उससे फसल को होने वाले नुकसान का बिल्कुल सही–सही पता चलेगा और बीमा कंपनियां किसानों को गुमराह नहीं कर पाएंगी और किसानों को सही–सही मुआवजा मिलेगा।

राष्ट्रीय कृषि बाजार

किसानों की एक बड़ी समस्या यह है कि किसानों द्वारा उत्पादित काफी मात्रा में फलों एवं सब्जियों का या तो उचित मूल्य नहीं मिल पाता या फिर वे बाजार में नहीं पहुंचते। इससे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए ई–नाम पोर्टल एक बहुत बड़ी सुविधा बनने वाला है। इस पोर्टल पर सारी मंडियां आएंगी। ई–नाम के इस पोर्टल को एक अखिल भारतीय व्यापार पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार और कृषि उत्पादों के लिए एक बाजार के रूप में डिजाइन किया गया, 14 अप्रैल, 2016 को 8 राज्यों की 21 मंडियां ई–नाम से जुड़ गई। 1 फरवरी, 2018 तक यह संख्या 479 मंडियों तक पहुंच गई जो कि 14 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में है। ई–नाम वेबसाइट अब 8 विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। जबकि ऑनलाइन व्यापार की सुविधा 6 भाषाओं में उपलब्ध है। अब किसान मोल–भाव कर सकता है। सीधी–सी बात है – उत्तम फसल उत्तम ईनाम। किसानों की सुविधा के लिए कई मोबाइल एप भी उपलब्ध हैं। किसान सुविधा, पूसा कृषि, एग्री मार्केट और फसल बीमा कुछ प्रमुख एप हैं।

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) 9 मई, 2015 से शुरू इस योजना के 3 साल पूरे होने पर इस स्कीम के सदस्यों की संख्या एक करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। वर्तमान में इस योजना के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 1.10 करोड़ है।

भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए घोषित की गई गारंटिड पेंशन वाली इस स्कीम अर्थात अटल पेंशन योजना के तहत किसानों सहित असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों पर फोकस किया जाता है, जिनकी हिस्सेदारी कुल श्रमबल में 85 प्रतिशत से भी अधिक है। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने पर प्रति माह 1000 रुपये/2000 रुपये/3000 रुपये/4000 रुपये अथवा 5000 रुपये की गारंटीड न्यूनतम पेंशन मिलेगी जो सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अंशदान पर निर्भर करेगी। संबंधित सदस्य की पत्नी/पति भी पेंशन पाने के हकदार हैं और नामित व्यक्ति को संचित पेंशन राशि दी जाएगी।

एपीवाई के तहत ग्राहक आधार कई गुना बढ़कर वर्तमान–स्तर पर पहुंचा है और एपीवाई की पेशकश सभी बैंकों और डाकघरों द्वारा की जाती है। अब तक अटल पेंशन योजना के तहत 3950 करोड़ रुपये का अंशदान एकत्र हुआ है। इस योजना ने अपने

गांवों के अंधेरे को दूर करती सौर ऊर्जा

वर्ष 2019 तक घर–घर में बिजली पहुंचाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करना एक चुनौती है जिसे पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है। भारत की विद्युतीकरण योजना का मुख्य साधन है सौर ऊर्जा और इसमें 10 से 500 किलोवाट की क्षमता वाली मिनी ग्रिड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मिनी ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं का उपयोग करती है और बिजली की मांग को पूरा करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी काफी मांग है।

आज भी ग्रामीण भारत के लगभग 30 करोड़ लोग ऊर्जा के लिए सदियों पुराने तरीकों जैसे कि मिट्टी का तेल, डीजल या लकड़ी से जलाए जाने वाले चूल्हों आदि का प्रयोग कर रहे हैं। सौर ऊर्जा न केवल इस वृहद् अवसंरचनात्मक कमी को पूरा करने का एक अवसर प्रदान करती है बल्कि सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का भी साधन है। पिछले चार वर्षों में सौर–संयंत्रों की स्थापना की कीमतों में आई 70 प्रतिशत तक कमी ने निजी कंपनियों और उद्यमियों को आकर्षित किया है और यह वास्तव में अंधेरे में जी रहे लाखों लोगों के जीवन में रोशनी की किरण लेकर आई है।

सौर ऊर्जा की विकेंद्रित एवं मॉड्यूलर प्रकृति का होने के कारण, इसे विभिन्न ग्रामीण उपयोगों के लिए स्थापित करना सरल है जिसका प्रभाव ग्रामीण लोगों की उत्पादकता, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पेयजल उपलब्धता और जीवनशैली पर होगा। सौर ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण उपयोग है– एग्री पंप जिसमें भारतीय किसानों की उत्पादकता काफी बढ़ाने की संभावनाएं हैं। भारत में लगे लगभग 2.6 करोड़ एग्री पंप में से लगभग एक करोड़ पंप डीजल से चलते हैं जबकि सौर एग्री पंप सस्ते और पर्यावरण मित्र होते हैं। भारत के गांवों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता भी एक चुनौती है। जल को उपचारित करने के लिए भी बिजली की जरूरत होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। जैसेकि कोहिमा के निकट एक–एक गांव में सौर ऊर्जाचालित जल उपचार संयंत्र लगाया गया है जो उन्नत मेम्ब्रेन फिल्टरेशन पद्धति पर काम करता है और पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराता है।

सौर ऊर्जा के उपयोग से न केवल ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं बल्कि इंटरनेट और टेलीविजन के जरिए सौर–ऊर्जा आधारित स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्रों, सौरचालित टेबलेट; जैसेकि एडजिला द्वारा विकसित टैबलेट जिसने कर्नाटक में शिक्षा के परिदृश्य को ही बदल दिया; और सौर टेलीकॉम टॉवर्स तक पहुंच बनाई जा सकती है और ऊर्जा की आपूर्ति की कमी के कारण बंद पड़े 150,000 टेलीकाम टावर्स को चालू करना भी संभव होगा। दूसरी ओर, सौर संयंत्रों को लगाने और उसके बाद उनकी देखरेख के लिए बड़ी संख्या में युवाओं की आवश्यकता होगी। इस प्रकार यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ऊर्जा का यह वैकल्पिक स्रोत, सामाजिक और आर्थिक रूप से गांवों के नक्शे को ही बदल देगा। केंद्र के दिशा–निर्देशों पर राज्यों द्वारा की गई इस पहल में निजी क्षेत्रों को भी भागीदारी निभानी होगी। जैन इरीगेशन, टाटा सोलर, ग्रीनलाइट प्लेनेट जैसी कंपनियां गांवों में सौर ऊर्जा के विकास के लिए आगे आई हैं।

शुभारंभ से लेकर मार्च 2018 तक लगभग 9.10 प्रतिशत का सीएजीआर सृजित किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

गांवों में समस्या सिर्फ खेती की ही नहीं है बल्कि आवास की भी है जहां लोगों के पास आज भी रहने को पक्के घर नहीं हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1985 में गांवों में गरीबों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना का आरंभ किया था। इस आवास योजना के अंतर्गत शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन और पीने के पानी की सुविधाओं से युक्त घरों के साथ–साथ मैदानी भागों में रहने वालों को 70,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों को 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान था। एनडीए सरकार ने 1 जून, 2015 में इस योजना का विस्तार प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में किया। इस आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी सभी बेघर गरीबों को 2022 तक घर प्रदान करने की योजना है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के आवासों की व्यवस्था है: आर्थिक रूप से पिछड़ा अर्थात ईडब्ल्यूएस वर्ग, निम्न आय वर्ग अर्थात एलआईजी और मध्य आय वर्ग यानी एमआईजी के लिए आवास। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्लम में रहने वाले गरीब लोगों के लिए पर्यावरण–सह्य तकनीकों का प्रयोग कर सस्ते घर बनाना है। घरों के आवंटन के समय वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस योजना को तीन प्रावस्थाओं में पूरा किया जाएगा।

आवास योजना को दो संघटकों– शहरी और ग्रामीण – में बांटा गया है। ग्रामीण आवास योजना में मार्च 2019 के अंत तक एक करोड़ नए घर बनाए जाने हैं जिनमें से 51 लाख घर मार्च

प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण

ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक घर के निर्माण की भू—टैगिंग तथा संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। पीएमएवाई—जी के तहत बनने वाले प्रत्येक पक्के घर में शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति आदि सुविधाओं से ग्रामीण भारत की तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है। प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर, 2016 को आगरा में प्रधानमंत्री आवास योजना—(ग्रामीण) का शुभारंभ किया था। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) की पुनर्संरचना करके पीएमएवाई—जी तैयार किया गया है। 2022 तक 'सबसे लिए आवास' लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएमएवाई—जी के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 तक एक करोड़ तथा 2022 तक 2.95 करोड़ पक्के आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से 51 लाख घरों का निर्माण 31 मार्च, 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अंतर्गत आईएवाई के तहत बनने वाले 2 लाख निर्माणाधीन आवास भी शामिल हैं।

ग्रामीण आवास योजना के प्रदर्शन में पिछले 4 वर्षों के दौरान 4 गुना वृद्धि हुई है। यह वृद्धि तब है जब 20 नवंबर, 2016 को योजना के लांच होने के बाद से लाभार्थी का निबंधन, भूटैगिंग, खाते की जांच आदि प्रक्रियाओं के पूरा होने में कई महीने लग जाते हैं।

पीएमएवाई—जी के तहत निर्मित होने वाले एक करोड़ आवासों में से 76 लाख लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं तथा लगभग 63 लाख लाभार्थियों ने धनराशि की पहली किस्त प्राप्त कर ली है। वर्ष 2017—18 के दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आवासों का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से अच्छी गुणवत्ता वाले आवासों का तेजी से निर्माण संभव हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से कार्यक्रम का पारदर्शितापूर्ण और निर्बाध तथा बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए राज्य—स्तर पर एक ही नोडल खाते का संचालन किया जाता है। पीएमएवाई—जी के तहत लाभार्थियों को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के तहत भुगतान किया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से निम्न लाभ हुए हैं:

—आवास निर्माण में समय और लागत में कमी

—पारदर्शिता के कारण धनराशि के दुरुपयोग में कमी

—लाभार्थियों को धन आवंटन प्रक्रिया की निगरानी में आसानी

—आवास निर्माण की बेहतर गुणवत्ता

ग्रामीण आवास योजना के तहत 2013—14 से 2017—18 तक निर्मित होने वाले आवासों की संख्या (लाख में)

	2013—14 (आईएवाई)	2014—15 (आईएवाई)	2015—16 (आईएवाई)	2016—17 (आईएवाई पीएमएवाई—जी)	2017—18 (आईएवाई पीएमएवाई—जी)
निर्मित आवास	10.51	11.91	18.22	32.23	44.54*

*अनुमानित

आवास के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए प्रशिक्षित राजमिस्त्री की आवश्यकता होती है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मार्च, 2019 तक एक लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाले आवासों का निर्माण संभव होगा; देश में कुशलता प्राप्त कर्मियों की उपलब्धता बढ़ेगी और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों को आजीविका के बेहतर अवसर मिलेंगे।

साथ ही, प्रौद्योगिकी का उपयोग गरीबों को सक्षम तथा सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। यूएनडीपी—आईआईटी दिल्ली ने आवासों के विभिन्न डिजाइन तैयार किए हैं। 15 राज्यों के लिए स्थानीय जलवायु तथा स्थानीय निर्माण सामग्री को ध्यान में रखते हुए आवासों के 168 डिजाइन तैयार किए गए हैं। लाभार्थी इनमें से किसी भी डिजाइन का चयन कर सकता है। इन आवास डिजाइनों को केंद्रीय आवास शोध संस्थान, रुडकी ने भी मंजूरी दी है। इन आवास डिजाइनों में लागत कम आती है तथा ये आपदा प्रतिरोधी भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न डिजाइन वाले आवासों का निर्माण हो रहा है। इससे ग्रामीण परिदृश्य से सुखद बदलाव हो रहा है। गरीब लोगों को रहने के लिए सुरक्षित आवास प्राप्त हो रहे हैं जहां वे सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकते हैं।

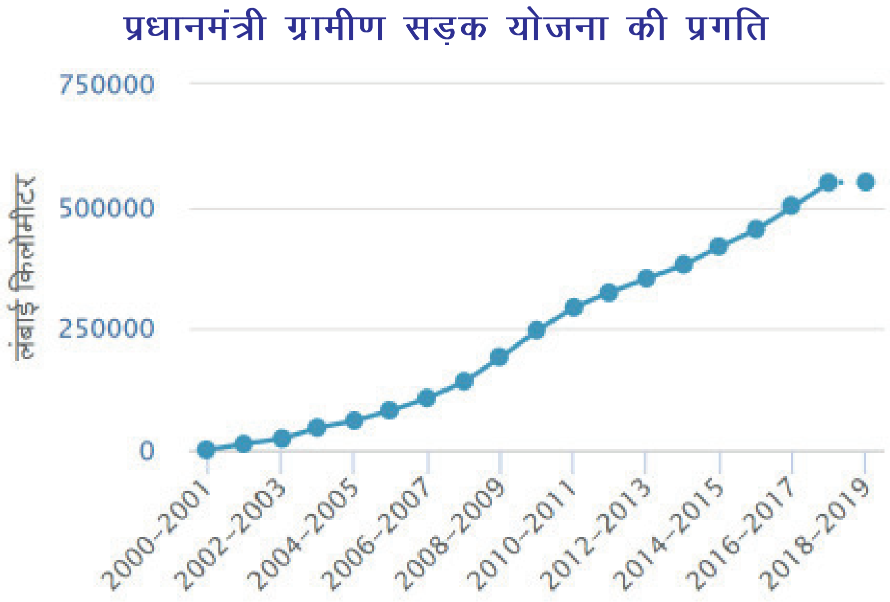

2018 तक बनाए जाने थे। सरकार ने ऐसा ही कुछ लक्ष्य शहरी आवासों के लिए भी रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

अभी भी बहुत से गांव सड़कों से अच्छी तरह से जुड़े नहीं हैं और वहां बिजली की उचित आपूर्ति भी नहीं है। गांवों में रहने वालों को शहरों या अपने गंतव्य से जोड़ने के लिए और गरीबी हटाने की रणनीति के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की है। इससे न केवल यातायात की सुविधा बढ़ेगी बल्कि आने–जाने में लगने वाले समय और पैसे की भी बचत होगी। राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.67 लाख बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना इस योजना का लक्ष्य है। इसके लिए लगभग 3.71 लाख किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा और 3.68 लाख किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करने की योजना है। लगभग 500 की जनसंख्या वाले मैदानी इलाकों और लगभग 250 की आबादी वाले पहाड़ी इलाकों के 1,78,000 बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है जिसमें से लगभग 82 प्रतिशत को अब तक जोड़ा जा चुका है और शेष 47,000 निवासों को जोड़ने का काम भी प्रगति पर है। इस योजना के अंतर्गत 2004 से 2014 तक सड़क निर्माण की औसत गति 98.5 किलोमीटर प्रतिदिन थी जिसे 2016–17 में बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रतिदिन किया गया।

मनरेगा – पूर्ण पारदर्शिता के साथ आजीविका सुरक्षा

मनरेगा ने पूर्ण पारदर्शिता के साथ दीर्घावधि संपदा निर्माण करते हुए आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक संपदा की भौगोलिक टैगिंग की गई। इसके लिए आईटी/डीबीटी का उपयोग किया गया। मनरेगा के तहत 15 दिनों के अंदर होने वाले भुगतान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 2014–15 में यह 26.85 प्रतिशत था, जो 2017–18 में बढ़कर 85.75 प्रतिशत हो गया। 2017–18 का कुल परिव्यय 63,887 करोड़ रुपये है, जो 2013–14 में व्यय की गई कुल धनराशि से लगभग 25,000 करोड़ रुपये अधिक है। इसी तरह

मनरेगा की प्रगति रिपोर्ट

प्रगति	वित्तवर्ष 2017–18*	वित्तवर्ष 2016–17	वित्तवर्ष 2015–16	वित्तवर्ष 2014–15	वित्तवर्ष 2013–14
अब तक सर्जित कुल कार्य दिवस (करोड़ में)	231.60 (श्रम बजट का 100 प्रतिशत)	235.6458	235.1465	166.21	220.37
रोजगार के औसत दिन प्रति परिवार	45.44	46	48.85	40.17	45.97
परिवारों द्वारा किया गया कुल कार्य (करोड़ में)	5.10	5.1224	4.8134	4.14	4.79
दिव्यांगजनों के द्वारा किया गया कार्य	4,69,393	4,71,819	4,59,597	4,13,316	4,86,495
पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या (करोड़ में)	54.22	65.46	36.18	29.44	27.42
कृषि तथा कृषि संबंधित अन्य कार्यों पर परिव्यय का प्रतिशत	68.46	66	62.85	52.81	48.7
कुल परिव्यय (करोड़ में)	63,887.35	58,062.92	44,002.59	36,025.04	38,552.62
ईएफएमएस के जरिए कुल परिव्यय प्रतिशत में	96.31	92.33	91.19	77.35	37.17
15 दिनों में दिए गए भुगतान का प्रतिशत	85.75	43.43	36.92	26.85	50.09

***वित्त वर्ष 2017–18 के आंकड़े अस्थायी हैं।**

आजीविका सुरक्षा और दीर्घावधि संपदा निर्माण के लिए कृषि तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। यह परिव्यय 2013–14 के 48.7 प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष 68.46 प्रतिशत हो गया।

दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना

किसी गांव को तब ही बिजलीयुक्त कहा जा सकता है जब उस गांव के स्कूल, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्रों, डिस्पेंसरी, सामुदायिक केंद्रों के साथ–साथ कम से कम 10 प्रतिशत घरों में भी बिजली की सुविधा हो। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 2015 में विद्युतीकरण के लिए चुने गए 18,452 गांवों में से 73 प्रतिशत में अब विद्युत आपूर्ति की जा चुकी है, लेकिन इन गांवों में से अभी केवल 8 प्रतिशत गांवों में हर घर में बिजली पहुंचाई गई है। देश के 25 प्रतिशत ग्रामीण घरों में आज भी बिजली नहीं है। उत्तर प्रदेश, नगालैंड, झारखंड और बिहार के 50 प्रतिशत से भी कम घरों में बिजली है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन मुफ्त देने के लिए गरीबी–रेखा के नीचे रहने वाले 435 लाख घरों की पहचान की गई है। इनमें से लगभग 235 करोड़ (59 प्रतिशत) को बिजली पहुंचाई जा चुकी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर, 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की घोषणा भी की है। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को निशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। दूरदराज के भौगोलिक रूप से दुर्गम अनेक क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए बिजली के ऑफ–ग्रिड संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। गांवों में रोशनी लाने के लिए पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। वह दिन दूर नहीं जब गांव–गांव में उजाला फैलेगा।

दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मविश्वासी, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा सामाजिक –आर्थिक परिवर्तन ला रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण गरीब विशेषकर स्वयंसहायता समूह की महिला सदस्यों का आर्थिक और सामाजिक दर्जा सुधारने के लिए उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण हाटों को प्रोत्साहित करता है। मंत्रालय की योजना वित्तवर्ष 2018–19 में पूरे देश में 22,000 ग्रामीण हाट स्थापित करने की है। मिशन 2011 में लांच किया गया था और अब इसका विस्तार 29 राज्यों और पांच केंद्रशासित प्रदेशों के 584 जिलों के 4456 ब्लॉकों तक हो गया है। मिशन ने 39.9 लाख स्वयंसहायता समूह को सक्रिय किया है, जो आगे 2.20 लाख ग्राम संगठनों और 19,000 कलस्टर स्तर के फेडरेशन हो गए हैं।

आज भी औरतें खेतों में काम करती हैं लेकिन अब महिलाओं को जागरूक करने का समय आ गया है। इसीलिए उन्हें भी समय–समय पर उनकी पसंद के हिसाब से काम सिखाए जाएंगे जैसे जैविक खेती करना, डेरी उद्योग और केंचुआ पालन वगैरह। जब वो कुछ अपना रोजगार करेंगी तो परिवार की आमदनी बढ़ेगी। तब भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। भारत का विकास अगर हमें सच्चे अर्थों में करना है और लगातार लंबे समय तक करना है तो गांव की नींव को मजबूत करना होगा तब जाकर विकास की इमारत मजबूत होगी।

(लेखिका सीएसआईआर में साइंस रिपोर्टर में संपादक रह चुकी हैं।)
ई–मेल : vineeta_niscom@yahoo.com

नए उभरते भारत की परिकल्पना

–प्रो. सुमन पामेचा, मीनाक्षी अहीर

अगर यह कहा जाए कि गांवों की तस्वीर और तकदीर बदल रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उज्ज्वला योजना ने जहां करोड़ों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया है वहीं स्वच्छ भारत अभियान से देशभर में लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है और खुले में शौच जाने के मामलों में काफी कमी आई है। यही नहीं जन–धन योजना ने करोड़ों ग्रामीण के बैंक खाते खोल सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे उनके खाते में पहुंचाने की सुविधा प्रदान कर भ्रष्टाचार पर लगाम कसी है। ऐसी ही कई योजनाओं से आज देश उन्नति के मार्ग पर तेजी से अग्रसर है और नए भारत की परिकल्पना मूर्त रूप लेती दिखाई दे रही है। इस मार्ग में कई चुनौतियां और बाधाएं भी हैं। सही रणनीति से इन बाधाओं को पार करने की जरूरत है।

स्वतंत्रता के बाद से भारत ने अपनी प्रगति तथा आत्मनिर्भरता को सशक्त करने के लिए काफी प्रयास किए। तथा उसके लिए समय–समय पर कई नई योजनाएं तथा नीतियों का निर्माण किया गया जिनके माध्यम से आज देश सभी क्षेत्रों में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है जैसे विज्ञान एवं तकनीक, शिक्षा, बिजली, दूरसंचार एवं स्वास्थ्य आदि।

इसके बावजूद आज़ादी के 70 वर्षो के बाद भी काफी सारी असंतोषजनक स्थितियां अभी तक भी हमारे बीच बनी हुई हैं जिसके कारण देश को प्रगति पथ पर चलने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय समावेशन के जरिए सभी को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने, व्यापार रोजगार, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा, सभी को शिक्षा, महिला सुरक्षा, पोषण आदि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनडीए सरकार कई नई योजनाएं लाई। या फिर पहले से चल रही योजनाओं की कमियों को दूर कर उन्हें नया रूप–रंग दिया गया। इस लेख में ऐसी ही कुछ नवीन एवं लोकप्रिय योजनाओं का वर्णन किया गया है।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना

वित्तीय समावेशन के लिए 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत लगभग 60 प्रतिशत बैंक खाते ग्रामीण इलाकों में खोले गए (अप्रैल 17 तक)। इसके तहत प्रत्येक परिवार को अपना एक बैंक अकाउंट बनाना होगा जिसमें उन्हें एक लाख रुपये की बीमा राशि एवं डेबिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। यह योजना गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिससे व्यक्तियों में बचत की भावना का विकास हो; साथ ही अपने भविष्य की सुरक्षा का अहम भाव जागे। इसके अलावा, इस कदम से देश का पैसा भी सुरक्षित होगा और जनहित के कार्यो को बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना के तहत गरीबों को बैंकों में मुफ्त में खाता खोलने का मौका दिया गया। इस योजना के जरिए करीब 29 करोड़ नए खाताधारक बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। **यह योजना जहां गरीबों को सशक्त करने का काम कर रही है वहीं इसके द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के चलते भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े रास्ते को सरकार ने हमेशा–हमेशा के लिए बंद कर दिया है।** इन खातों में अप्रैल 2017 तक लगभग 65 हजार करोड़ रुपये जमा हो चुके थे।

मेक इन इंडिया

मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर, 2014 को की गई। यह योजना भारत में निवेश के लिए

जनधन खाते 2017 (करोड़ में)

वर्ष	जन–धन खाते	जीरो बेलेंस खाते
2014	10	18
2015	20	25
2016	25	30
2017	30	70

स्रोत– वित्तीय सेवा विभाग, सर्वेक्षण परिकलन

सारणी में स्पष्ट है कि 2014 में जनधन खाते 10 करोड़ तथा जीरो बेलेंस खाते 18 करोड़ थे; 2017 तक बढ़कर जनधन खाते 30 करोड़ व जीरो बेलेंस खाते 70 करोड़ तक हो गए हैं।

(राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय) पूरे विश्व में से मुख्य व्यापारिक निवेशकों को बुलाने के लिए किया गया एक प्रयास है जो देश के सभी क्षेत्रों में (उत्पादन, टेक्सटाईल्स, आटोमोबाइल्स, रसायन, आईटी, बंदरगाह, औषधि तथा रेलवे, चमड़ा आदि) अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए दिया गया अवसर था। यह योजना व्यापार के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने, डिजिटल नेटवर्क के बाजार में सुधार के साथ ही असरदार भौतिक संरचना के निर्माण पर केंद्रित है।

इसका प्रतीक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से लिया हुआ एक विशाल शेर है जिसके पास ढ़ेर सारे पहिए है जो शंतिपूर्ण प्रगति और उज्ज्वल भविष्य के रास्ते को इंगित करता है। कई पहियों के साथ चलता हुआ शेर हिम्मत, मजबूती, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। देश के युवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए लगभग 25 क्षेत्रकों में कौशल को बढ़ाने के साथ ही इस अभियान का ध्यान बड़ी संख्या में मूल्यवान और सम्मानित नौकरी के अवसर पैदा करना है।

इस योजना के सफलतापूर्वक लागू होने से भारत में 100 स्मार्ट शहर प्रोजेक्ट और रहने योग्य घर बनाने में मदद मिलेगी। प्रमुख निवेशकों की मदद के साथ देश में ठोस वृद्धि और मूल्यवान रोजगार उत्पन्न करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इस योजना के 25 क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष 74 प्रतिशत, रक्षा 49 प्रतिशत, समाचार मीडिया 26 प्रतिशत को छोड़कर 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति हुई है। जापान व भारत ने 12 बिलियन डॉलर जापान–भारत मेक इन इंडिया स्पेशल फाइनेंस सुविधा निधि की घोषणा की।

भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए 2015 में विश्व–स्तर पर उभरा है तथा वर्ष 2016–17 में भारत को 60 बिलियन एफडीआई प्राप्त हुआ है।

स्वच्छ भारत अभियान

यह अभियान महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर, 2014 को आरंभ किया गया है। भारत सरकार द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय–स्तर के इस अभियान का उद्देश्य गलियों, सड़कों, शहरों, नगरों, गांवों, कस्बों आदि को साफ–सुथरा करना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को गुलामी से मुक्त कराया, परंतु स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा यह योजना उन्हें समर्पित की गई।

पिछले कुछ वर्षों में भारत में ग्रामीण स्वच्छता दायरा

वर्ष	स्वच्छता दायरा (प्रतिशत में)
1981	9
1991	22
2001	32
2011	39
2018	76

स्रोत– स्वच्छता व पेयजल मंत्रालय (10.01.2018 के अनुसार)

स्वच्छ भारत योजना में कलस्टर एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को धीरे–धीरे समाप्त करना है। यह मिशन शौचालयों के उपयोग की निगरानी के जवाबदेह तंत्र को स्थापित करने की एक पहल करेगा।

सरकार ने 2 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके भारत को खुले में शौचमुक्त करने का लक्ष्य रखा है।

मई 2018 तक 296 जिलों व 307349 गांवों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से देश के अंतर्गत स्वच्छता का दायरा बढ़ता जा रहा है। 1981 में 9 प्रतिशत था जो इस अभियान के चलते 2018 तक 76 प्रतिशत हो गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री के द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को 20,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ मुद्रा योजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस भारी–भरकम कोष के साथ 3,000 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष को भी जोड़ा गया है। युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्किल इंडिया योजना लागू करने के बाद सरकार ने उसमें कारोबार और रोजगार की भावना को विकसित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहयोग हेतु इस योजना को शुरू किया।

इस योजना के माध्यम से सरकार ने वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे असंगठित क्षेत्र के व्यवसायों और लघु व्यवसायों को सस्ती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही कोई नया व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है।

मुद्रा बैंक ने ऋण को तीन वर्गों में बांटा है–

1. शिशु ऋण– 50,000 रुपये तक का ऋण
2. किशोर ऋण – 50,000 से 5 लाख तक
3. तरुण ऋण – 5 लाख से 10 लाख तक

इस योजना के तहत करीब 10 हजार करोड़ रुपये की राशि लोगों को जारी भी हो चुकी है। वैसे मुद्रा योजना से 7.45 करोड़ उद्यमी लाभ उठा चुके हैं। 3.17 लाख करोड़ रुपये ऋण के तौर पर दिए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी की इकाइयों को वितरित ऋण (करोड़ में)

इकाइयों का वर्ग	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17	
	खातों की संख्या	वितरित ऋण	खातों की संख्या	वितरित ऋण
शिशु ऋण	324.1	62027.69	364.98	83891.88
किशोर ऋण	20.60	41073.28	26.64	51063.12
तरुण ऋण	4.10	20853.73	5.40	40357013
योग	**34.88**	**132954.73**	**397.02**	**175312.13**

स्रोत– बैंकिंग सेक्टर एवं विभाग

अटल पेंशन योजना

यह योजना 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा कोलकाता में शुरू की गई थी। पहले की 'स्वावलंबन' योजना में मौजूद त्रुटियों को खत्म कर उसको नवीनीकृत कर अटल पेंशन योजना का नाम दिया गया है। जो ग्राहक 'स्वावलंबन' से जुड़े थे, उन सभी को इस योजना से जोड़ा जाएगा।

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने फरवरी 2015 के बजट भाषण में कहा "दुखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी तब उसके पास कोई भी पेंशन नहीं होगी। इसलिए जन–धन योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर सभी भारतीयों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सृजन का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है।"

इस योजना के शुरू होने से किसी भी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना या वृद्धावस्था में अभाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसे आदर्श बनाते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तौर पर अटल पेंशन योजना को प्रभावी बनाया गया।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन फायदों के दायरे में लाना है। इससे उन्हें हर महीने न्यूनतम भागीदारी के साथ सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी। अटल पेंशन योजना के द्वारा 2017 तक 84 लाख से अधिक ग्राहक 3194 करोड़ रुपये से अधिक परिसंपत्ति के साथ पंजीकृत हैं।

डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई, 2015 से शुरू किया गया। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल क्षेत्र में सशक्त समाज और ज्ञान को बढ़ाना है। इस योजना के द्वारा भारतीय प्रतिभा को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के सहयोग से भविष्य के भारत को सशक्त और ज्ञान–संपन्न बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

डिजिटल इंडिया का विज़न तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है–

1. हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा;
2. मांग पर संचालन एवं सेवाएं;
3. नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण।

लक्ष्य

- हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचे की उपलब्धि
- नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक हाईस्पीड इंटरनेट
- डिजिटल पहचान अंकित करने का अनोखा स्थान
- मोबाईल फोन व बैंक खाते की ऐसी सुविधा जिससे डिजिटल व वित्तीय मामलों में नागरिको की भागीदारी हो
- पब्लिक स्थान पर सुरक्षित साइबर कैफे

डिजिटल इंडिया के कार्यक्षेत्र

1. ब्रॉडबैंड हाइवेज, 2. मोबाइल कनेक्टिविटी
3. पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम
4. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
5. रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन

देश के प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों में चयनित ब्लॉकों के प्रत्येक पात्रधारी परिवार के एक सदस्य का चुनाव करते हुए 10 लाख लोगों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना पर काम किया जा रहा है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को पानीपत से शुरू किया गया। इस योजना की रूपरेखा गिरते शिशु लिंगानुपात के समाधान के लिए बनाई गई है। यह योजना शुरुआत में 100 जिलों में लागू की गई। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव विकास मंत्रालय की एक त्रि–स्तरीय पहल है।

19 अप्रैल, 2016 को यह योजना 11 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के कम लिंगानुपात वाले 61 अतिरिक्त जिलों में चलाई गई। इस योजना की उपलब्धि के तौर पर पहले साल में जन्म के समय लिंगानुपात में 49 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। अभी के वर्षों में लिंगानुपात में न्यूनतम 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य है तथा आगामी पांच सालों में धीरे–धीरे इसे और अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना में अन्य कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं:–

– बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी
– 100 प्रतिशत संस्थागत प्रसव
– हर गांव में गुड्डा–गुड़िया बोर्ड का गठन
– लड़कियों व महिलाओं की सुरक्षा
– लड़कियों के लिए स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था भी शामिल है।

राष्ट्रीय, राज्य और जिला–स्तरों के सम्मिलित प्रयास से 100 जिलों से प्राप्त आंकड़ों की प्राथमिक रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान अप्रैल–मार्च के मध्य बीबीबीपी स्कीम वाले 58 प्रतिशत जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात दर में वृद्धि दिखाई गई हैं। 69 जिलों में प्रसवपूर्ण देखभाल वाले मामलों में प्रथम तिमाही के दौरान पंजीकरण मे वृद्धि देखी गई हैं।

मंत्रालय द्वारा 2017 में राजस्थान को नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

स्टार्टअप इंडिया

16 जनवरी 2016 से लागू हुई स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि नए छोटे/बड़े उद्योगों को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा जिसमें ऋण सुविधा, उचित मार्गदर्शन एवं अनुकूल वातावरण आदि शामिल किया गया है। इसके तहत जरूरी स्किल डेवलेपमेंट ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

स्टार्टअप योजना पर नई नीति लागू होने के बाद हजारों करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। मुख्य बात यह है कि इसमें महिलाओं की भी जबर्दस्त भागीदारी है। इससे 2020 तक करीब ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। 10 हजार करोड़ रुपये के कोष से शुरू हुआ स्टार्टअप अब लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है। अब तक 800 स्टार्टअप का पंजीकरण हुआ है।

इस योजना के बनने से भारत के अनेक राज्यों ने अपने–अपने राज्य में कई नए कार्य किए हैं। केरल में केरल आईटी मिशन नामक एक सरकारी स्टार्टअप पॉलिसी की शुरुआत की गई जो राज्य को स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश के लिए 50 अरब डॉलर लाने पर केंद्रित है। तेलंगाना ने भारत में सबसे बड़ा उष्मायत केंद्र ''टी हब'' के रूप में शुरू किया है। मध्य प्रदेश ने 200 करोड़ रुपये के फंड बनाने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहयोग किया है। राजस्थान में स्टार्टअप ओएसीस योजना शुरू की गई है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही सफल और लोकप्रिय साबित हो रही है। इसके तहत गरीब परिवार की महिलाओं को केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था है।

इस योजना के तहत 2016 से 2019 तक कुल 5 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाने हैं ताकि माताओं और बहनों के सेहत की सुरक्षा की जा सके। अब तक इस योजना के तहत 2.20 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

सरकार की अकेली उज्ज्वला योजना ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाली महिलाओं का अब जीवन के प्रति नजरिया ही बदल कर रख दिया है। इस योजना ने करोड़ों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कराहट लाने का काम किया है। इस योजना के द्वारा सरकार इस बात पर दूरदृष्टि कायम कर रही है कि अगर देश की महिलाएं व बच्चे स्वस्थ होंगे तो भारत भी सेहतमंद होगा।

> ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में राज्य सरकारों के साथ मिलकर 40 लाख से अधिक स्वयंसहायता समूहों पर काम कर रहा है और इसमें 4 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लगी हुई हैं। आने वाले कल में 8 से10 करोड़ महिलाओं को आजीविका के इस काम से जोड़ा जाएगा । 2014 से अब तक 5 लाख 70 हजार युवाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा चुका है । इनमें से तीन लाख अड़तालीस हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया । इसी प्रकार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 10 लाख 15 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और इनमें से 5 लाख 92 हजार को नौकरी उपलब्ध कराई गई ।

निष्कर्ष

इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान सरकार के द्वारा चलाई गई इन योजनाओं से देश के सभी क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। देखा जाए तो भारत तकनीकी शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा तथा महिलाओं के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुए माना जाता रहा है पर इन विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत चलाई गई योजनाओं के परिणामस्वरूप देश प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है।

उज्जवला योजना के द्वारा हर घर के अंदर गैस कनेक्शन, स्वच्छ भारत अभियान से देश भर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता तथा खुले में शौच जाने आदि में कमी आना; बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा देना ताकि व्यापार व रोजगार में बढ़ोतरी हो सके; प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत घर की जरूरत की पूर्ति करना तथा अटल पेंशन योजना के जरिए बुजुर्गो के लिए पेंशन की सुविधा देना ताकि वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसी पर निर्भर ना रहे तथा वह इस पेंशन की राशि को अपने कमजोर स्वास्थ्य व भोजन पर व्यय कर सकें।

तकनीकी क्षेत्र में जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप योजना व मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के द्वारा युवा पीढ़ी को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे वह विदेश जाकर नौकरी ना कर अपनी खुद की पहचान के साथ देश को आगे बढ़ाएं।

यह सभी योजनाएं काफी हद तक सफल हो रही हैं तथा इन सभी योजनाओं का फायदा जनता को मिल रहा है। पर कभी–कभी ऐसा होता है कि जब भी कोई नई योजना या कार्यक्रम बनता है तो वह पूरी तरह से आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाता है या ऐसा कहे कि जिन व्यक्ति को ज्यादा जरूरत हो वहां तक पहुंचने में काफी समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि योजना के विस्तार कार्यक्रम में दूरदराज के क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता।

इन योजनाओं के बारे में गांव या पंचायत–स्तर पर जनता के अंदर जागरूकता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को जागरूक होने की जरूरत है ताकि वह इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट माध्यमों से योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाना चाहिए ताकि लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंच सके।

(डॉ. सुमन पामेचा जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर एवं मीनाक्षी अहीर शोधार्थी हैं।)

ई–मेल : **sahir8086@gmail.com**

कृषि विकास पर टिका ग्रामीण विकास

–डॉ. के.एन. तिवारी

तमाम संदर्भों को देखें तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि कृषि एवं किसानों के कल्याण से जुड़ी वर्तमान सरकार की प्राथमिकताएं आखिर किस तरह की हैं। कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाते हुए जिस तरह युवाओं की शिक्षा से लेकर रोजगार और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं से लेकर वृद्धों तक को प्राथमिकता में रखा गया है, सराहनीय है। किसान, ग्रामीण आबादी, युवाओं, शिक्षा और छोटे उद्योगों के लिए उठाए गए कदमों का सबको लाभ मिलेगा।

125 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले विशाल देश में अधिसंख्य किसान अभी भी परंपरागत खेती कर रहे हैं। खेती ही नहीं, अधिकांश किसान आज के दौर में पशुपालन और कृषि से जुड़े अन्य बहुतायत व्यवसाय भी परंपरागत तरीके से ही कर रहे हैं। आधुनिक तकनीकों और कृषि उपकरणों की मौजूदगी के बावजूद खासतौर पर तंगहाल छोटे किसान उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वे घाटे की खेती करते हुए ऐसे दुष्चक्र में उलझे हैं कि ज्ञान और कौशल से वंचित रह जाते हैं। खेती और कृषि से संबंधित अन्य व्यवसायों को समेकित रूप से अधिक लाभकारी बनाने के लिए कौशल विकास पर सरकार संजीदा है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी योजनाओं और उनके लाभों की उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने संबंधी सरकारी प्रयास

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तम बीज की उपलब्धता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उर्वरकों से जुड़ी सरकारी नीतियां, सिंचाई जल की उपलब्धता और प्रति बूंद पानी से अधिक उपज का लक्ष्य अर्थात् पानी का किफायती एवं अधिक कारगर उपयोग, विपणन, बीमा, लैंड लीजिंग और पूर्वोत्तर भारत पर फोकस, विभिन्न मदों में किसानों एवं ग्रामीण लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसी योजनाओं के तहत फायदा पहुंचाने की पहल की गई है। किसानों को प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिकतम लाभकारी उपज प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी से जोड़ा जा रहा है। 'मेरा गांव मेरा गौरव' जैसे प्रयास से किसान लाभान्वित होंगे। कृषि सिंचाई योजनाओं को मिशन मोड में ले लिया गया है। बजट 2018–19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए नौ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने से फसल की सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा, फार्म लोन टारगेट नौ लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने एवं कृषि ऋण लक्ष्य को एक लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा से किसानों को सस्ता ऋण मिल सकेगा। लांग टर्म इरीगेशन फंड योजना उन राज्यों के लिए अच्छी साबित होगी, जहां पानी की किल्लत है। गरीबी से निजात दिलाने वाले प्रस्ताव से गांव खुशहाल होंगे। फसलों को जोखिम से बचाने के साथ खेती की अन्य इनपुट लागत में कमी लाने के उपाय किए गए हैं। ग्रामीण जीवन–स्तर में सुधार और किसानों को समृद्ध करने वाली तकनीकें एवं उनके क्रियान्वयन के लिए किए गए प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाले साबित होंगे।

कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों की मदद के लिए देश के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक तत्पर रहें, इसका पहली बार प्रावधान हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र की प्रभावशीलता और प्रदर्शन

में सुधार लाने के लिए 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि का ऐलान किया गया है। इसके साथ 543 कृषि विज्ञान केंद्रों के बीच राष्ट्रीय–स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। गांव के विकास के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 33097 करोड़ रुपये (2018–2019) का प्रावधान किया गया है। इसमें जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 412 करोड रुपये का एक विशेष कोष भी शामिल है। उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि मंडियों या मुनाफाखोरों के चंगुल से मुक्त कराने का अभियान छेड़ा गया है। निस्संदेह उत्पादों का उचित मूल्य मिलने से युवाओं में खेती के प्रति पुनः आकर्षण पैदा करना संभव होगा। बिगड़ी खेती को पटरी पर लाने में सरकार पिछले सालों में काफी हद तक सफल रही है।

पिछले तीन बजटों में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के सार्थक उपाय किए गए हैं। इन प्रावधानों से पटरी पर लौटी खेती को और रफ्तार मिलेगी। इसमें कृषि से जुड़े पांच मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया गया है–

- उत्पादन बढ़ाने के लिए तमाम जरूरी प्रयास
- किसानों को फसलों के बेहतर मूल्य दिलाने की नीतियां
- पट्टे पर भूमि देने की नीतियों में सुधार
- प्राकृतिक आपदाओं से त्वरित राहत के लिए तंत्र का निर्माण
- पूर्वोत्तर राज्यों में हरितक्रांति के प्रसार के लिए पहल

किसानों, गरीबों एवं जरूरतमंदों के लाभार्थ क्षेत्र विशेष की कृषि समस्याओं के समाधान हेतु चलाई गई विशिष्ट परियोजनाओं द्वारा समस्याग्रस्त अम्लीय, लवणीय एवं क्षारीय भूमि का सुधार कर कृषि योग्य बनाने तथा मृदा स्वास्थ्य में आए विकारों को दूर कर फार्मजनित निवेशों (गोबर, कूड़े की खाद, कम्पोस्ट, पशुशाला की खाद, हरी खाद, फास्फो सल्फो नाइट्रो कम्पोस्ट, फसल अवशेषों का संरक्षण एवं सदुपयोग आदि) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सहायता एवं मार्गदर्शन, शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई साधनों का सृजन, चैकडैम, विशाल कुओं का निर्माण एवं जल समेट क्षेत्र पर आधारित परियोजनाएं छोटे एवं सीमांत कृषकों में आशा की नई ज्योति जगाने में कारगर साबित हुई हैं।

सारणी 1 क्षेत्रवार 5 वर्ष के बजटीय प्रावधान

प्रक्षेत्र	बजटीय प्रावधान (करोड़ रु. में)		प्रतिशत में वृद्धि
	2009–14	2014–19	
फसल बीमा	6,182	33,162	436
माइक्रो इरिगेशन	3193	12711	298
सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट	162	1,573	871
कृषि यांत्रिकरण	254	2408	846
कृषि विस्तार उपमिशन	3163	4046	28
कृषि विपणन	2666	6150	131
वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास	189	1322	700
डेयरी विकास	8114	10725	32
नीली क्रांति	1772	2913	64
कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार	12252	13748	12

कृषि जिंसों का वाजिब दाम : लंबे समय से अटकी किसानों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने रबी 2018–19 से विभिन्न कृषि जिंसों पर किसानों को उनके उत्पाद का कृषि लागत से 50 प्रतिशत ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का ऐलान किया है। परंतु बजट में इसके लिए कितनी राशि का आवंटन किया जाएगा इसकी बात नहीं की गई, जिसकी वजह से सरकार के इस लोक–लुभावन कदम पर सवाल उठ रहे हैं।

सरकार द्वारा समय–समय पर यह स्पष्ट किया गया है कि हम सिर्फ एमएसपी की घोषणा नहीं करना चाहते बल्कि एमएसपी का लाभ किसानों तक पहुंचाने का भी कार्य कर रहे हैं। यद्यपि सरकार के प्रयासों से विगत 4 वर्षों में दाल, तिलहन, धान, गेहूं जैसी फसलों की खरीददारी में वृद्धि हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। परंतु यह वृद्धि आशा के अनुरूप नहीं है। हां, वित्तमंत्री ने समर्थन मूल्य पर खरीदी न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए यह जरूर कहा कि यदि बाजार में दाम एमएसपी से कम हों तो सरकार या तो एमएसपी पर खरीद करे या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत किसान को पूरी एमएसपी दिलाने की व्यवस्था करे। इस दिशा में केंद्र सरकार नीति आयोग एवं राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर पुख्ता व्यवस्था करेगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके, ऐसा कहा गया है।

इस संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि यदि एमएसपी पर खरीदी गई ये जिंसे यदि राज्य सरकारों द्वारा दोबारा व्यापारियों को बेच दी जाएंगी तो इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार प्याज का हश्र हुआ कि जैसे किसान का माल व्यापारियों के हत्थे लगा, वे स्वयं इनका मूल्य निर्धारित करने लगते हैं और जिंस विशेष के मूल्य आसमान छूने लगते हैं। एफसीआई के गेहूं व चावल का भी यही हश्र होता आया है। इससे तो किसान और उपभोक्ता दोनों ही यथावत ठगे जाते रहेंगे।

सरकार द्वारा लंबी अवधि में आयात–निर्यात नीति के लिए संस्थागत व्यवस्था का सृजन भी प्रस्तावित है। इसके माध्यम से वर्ष 2022–23 तक 100 बिलियन यूएस डॉलर के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए सभी 42 मेगा फूड पार्कों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी। बजट 2018–19 में मूल्य एवं मांग की पूर्व घोषणा हेतु एक संस्थागत व्यवस्था सृजित करने का भी प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से किसान यह निर्णय ले सकेंगे कि उन्हें कौन–सी फसल की कितने क्षेत्रफल में खेती करना अधिक लाभप्रद होगा।

कृषि मंडियों के लिए नए सुधारों की शुरुआत : किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने के उद्देश्य से कृषि मंडियों के लिए नए सुधारों की शुरुआत की गई है। वर्ष 2018–19 में 2000 करोड़ के 'कृषि बाजार विकास फंड' की घोषणा की गई

है जोकि कृषि विपणन में खुदरा बाजार की अहमियत को दर्शाता है। इन बाजारों को ग्रामीण खुदरा कृषि बाजार (ग्रामीण खुदरा कृषि बाजार) का नाम दिया गया है। इसके माध्यम से 22,000 ग्रामीण हाट एवं 585 कृषि उत्पाद विपणन केंद्रों अर्थात मंडियों की आधारभूत संरचना का विकास हो सकेगा।

'आपरेशन ग्रीन' : पूरे देश में टमाटर, प्याज, आलू का उपभोग साल भर किया जाता है। जैसाकि हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद से अब तक बिचौलियों के कारण कृषि जिंसों की खरीद हो जाने के बाद इनके मूल्य आसमान छूने लगते हैं। ऐसी मूल्य वृद्धि हर वर्ष किसी न किसी जिंस के लिए अवश्य ही देखने को मिलती है। परिणामस्वरूप किसान और उपभोक्ता दोनों को ही इसका खामियाजा झेलना पड़ता है। सरकार ने पहली बार वर्ष 2018–19 से 'आपरेशन ग्रीन' के नाम से एक नई पहल शुरू करने की घोषणा की है जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य तथा उपभोक्ताओं को ये उत्पाद वाजिब दामों में उपलब्ध हो सकेंगे। इस कार्य के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जोकि जरूरत से कम प्रतीत होता है। कुछ भी हो, किसानों एवं उपभोक्ताओं के प्रति ऐसा भाव हर दृष्टि से स्वागत योग्य है।

किसान उत्पादक संगठन/किसान उत्पादक कंपनी (FPC) : सभी प्रकार के किसान उत्पादक संगठनों जिसमें किसान उत्पादक कंपनियां भी शामिल हैं, उन्हें इनकम टैक्स छूट का लाभ दिया गया है। इसका लाभ लघु एवं सीमांत किसान भी किसान उत्पादक संगठन और किसान उत्पादक कंपनियां बनाकर उठा सकेंगे। वहीं दूसरी ओर, जमीन के बंटवारे की समस्या से उत्पन्न छोटी जोतों से भी निजात मिल सकेगा।

फसल अवशेष प्रबंधन : दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली सरकार को फसल अवशेष के स्थानीय प्रबंधन हेतु भी मदद की जाएगी।

औषधीय तथा सगंध फसलों की खेती : हमारे देश में औषधीय तथा सगंध फसलों की खेती के लिए भी अनुकूल कृषि जलवायु क्षेत्र उपलब्ध है। इस प्रकार की खेती को भी बढ़ावा दिए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ किसानों वरन लघु एवं सीमांत उद्योगों का विकास भी हो सकेगा।

जैविक कृषि : इस जैविक कृषि के सफल कार्यान्वयन के लिए क्लस्टर–आधारित खेती की जाएगी तथा इसे बाजारों से भी जोड़ा जाएगा। कृषि उत्पादक संगठनों एवं ग्रामीण उत्पादक संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। प्रत्येक समूह या संगठन के 1000 हेक्टेयर के क्लस्टर होंगे। ये अच्छी पहल है, परंतु इस क्षेत्र में निष्कर्षात्मक शोध एवं विकास की गहन आवश्यकता है। इस योजना का विशेष लाभ पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों को प्राप्त हो सकेगा। जैविक कृषि के उत्पादों की बिक्री की प्रस्तावित व्यवस्था अभी तो भविष्य के गर्भ में है। इस योजना का सही लाभ किसानों को मिले, इस पर गहन मंथन होना चाहिए। इस मंथन से क्या हल निकलता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। मूल्य और भुगतान के अंतर जैसी योजनाओं की सफलता इनके त्रुटिरहित संचालन पर निर्भर करेगी अन्यथा किसानों की जेब में रकम नहीं आ पाएगी, और ये सिस्टम व्यापारियों, बिचौलियों की तिजोरियां ही भरेगा।

क्लस्टर–आधारित खेती को बढ़ावा : कृषि उत्पादों को चिन्हित कर क्लस्टर आधारित जिलों का विकास किया जाएगा ताकि उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक की संपूर्ण श्रृंखला का लाभ किसानों को मिले। यही नहीं, जिलेवार बागवानी फसलों के लिए भी क्लस्टर–आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए खाद्य–प्रसंस्करण एवं वाणिज्य मंत्रालय के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार की योजना पूर्व से ही अन्य नामों से राज्यों में एग्री–एक्सपोर्ट जोन के रूप में शुरू की गई, परंतु निरंतरता, सही सोच, सही व्यवस्था और सरकार की सक्रियता के अभाव के कारण यह योजना दम तोड़ गई।

कृषि–आधारित उद्योगों को बढ़ावा

मछली पालन : मत्स्य क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने 'नील क्रान्तिः समन्वित विकास और मत्स्य प्रबन्धन' के नाम से मछली पालन के लिए पांच साल की योजना तैयार की है जिसमें 2020 तक मछली का उत्पादन 1–5 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने स्तर पर योजना तैयार करने को कहा गया है। 3000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई इस योजना के तहत मछली पालन से लेकर पकड़ने तक की सभी योजनाओं को शामिल किया गया है। अंतर्देशीय मछली पालन और समुद्र में मछली पकड़ने के मामले में एक राष्ट्रीय नीति लाने की भी योजना है।

मधुमक्खी पालन : रोजमर्रा की जिंदगी में शहद के बढ़ते प्रचलन के चलते मधुमक्खी पालन भी किसानों की आमदनी में अहम भूमिका निभा रहा है। यही नही, यह भी प्रमाणित हो चुका है कि खेतों में मधुमक्खी पालन से फसल उत्पादन में भी अच्छी–खासी बढ़ोत्तरी होती है। अभी भारत दुनिया के शहद उत्पादक देशों में 9वें स्थान पर है। देश में मौन पालन की असीम संभाव्य क्षमता को देखते हुए मौजूदा मौन कॉलोनियों की संख्या बढ़ाकर 2 करोड़ तक और मौन का फसली उत्पादन 240 लाख करोड़ रुपये तक किया जा सकता है क्योंकि यह बहमुखी मांग का व्यवसाय है और इसमें संवर्धन की क्षमता बहुत अधिक हैं। कृषकों के लिए तो यह एक प्रकार से वरदान है, जो फसल के खेतों में मौनपालन करके इनकी पराग सेवाओं से फसलों की उत्पादकता डेढ़ गुना तक बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ग्रामीण जन प्रशिक्षित होकर अपने उत्पादन और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करके अपनी आय में सार्थक वृद्धि कर सकते हैं।

मुर्गीपालन : यह सर्वाधिक सफल पूरक व्यवसाय है जो कृषि, पशुपालन या अन्य पेशेवर कार्यों के साथ समानांतर कमाई के व्यवसाय हैं। इस समय कुक्कुट उत्पादों की घरेलू मांग मौजूदा उत्पादन की तुलना में अंडे की चार गुना और मीट की 6 गुना से

अधिक है। अतः कुक्कुट पालन की मौजूदा संवृद्धि के हिसाब से इसमें 1000 अरब रुपये के कारोबार और एक करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता है। भारत सरकार ने गरीबों को पूरक आय और पौषणिक सहायता हेतु ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की मदद करना है।

रेशमकीट पालन : भारत सरकार रेशम उत्पादन में प्रोत्साहन, विस्तार, उन्नयन, संरक्षण और तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। इसके लिए किसानों के सामूहिक प्रशिक्षण के अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम केंद्र प्रायोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित कर रहा है। आवश्यकता–आधारित कार्यक्रमों के अलावा एकीकृत कौशल विकास योजना के तहत भी रेशमपालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

खुंबी उत्पादन : सामान्य तौर पर लगभग 9–10 कि.ग्रा. खुम्बी प्रतिवर्ग मीटर में निकलती है। प्रति 10 कि.ग्रा. कम्पोस्ट से 12–15 कि.ग्रा. खुम्बी प्राप्त की जा सकती है। उपयुक्त तापमान और नमी एवं उचित रखरखाव अधिक पैदावार बढ़ाने में सहायक होते है। किसानों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उन्नत खुंबी उत्पादन की तरकीबों की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय बांस मिशन : कृषि तथा गैर–कृषि क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को नए अवतार में 1290 करोड़ रुपये की निधि के साथ प्रस्तावित किया गया है। इसके माध्यम से न सिर्फ छोटे उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी वरन् नए रोजगार भी पैदा हो सकेंगे।

मॉडल लैंड लाइसैंस कल्टीवेटर एक्ट : सरकार ने वर्ष 2018–19 के बजट में 'माडल लैंड लाइसैंस कल्टीवेटर एक्ट' की भी घोषणा की है जिसके माध्यम से बंटाईदार तथा जमीन को किराए पर लेकर खेती करने वाले छोटे किसानों को भी संस्थागत ऋण व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए नीति आयोग राज्य सरकारों के साथ मिलकर आवश्यक कार्यवाई करेगा।

किसानों की आय दोगुनी करने के उपाय

आजीविका सुरक्षा के लिए बागवानी को बढ़ावा : सरकार के अगले पांच वर्षो में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के संकल्प में बागवानी फसलों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बागवानी फसलों की खेती से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। साथ ही लघु और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। सब्जियां अन्य फसलों की अपेक्षा प्रति इकाई क्षेत्र से कम समय में अधिक पैदावार देती हैं। एक खेत से एक वर्ष में 3 से 5 सब्जियों की फसलें लेकर किसान अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। कुछ सब्जियों से निर्मित कई महंगे खाद्य पदार्थ जैसे अचार, मुरब्बा, चटनी, पेस्ट, पाउडर, मिठाईयां बनाकर आय बढ़ाई जा सकती है । इसके अलावा कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित होकर वे सब्जियों का प्रसंस्करण कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, कौशल विकास के तहत बागवानी फसलों की नर्सरी व बीज बनाकर बेचने से भी किसान अपने परिवार के लिए कमाई का एक अच्छा व्यवसाय विकसित कर सकते हैं।

विदेशी सब्जियां : सब्जियों में ब्रोकोली, ब्रुसेल्स, स्प्राउटस, चायनीज कैबेज, लीक पार्सले, सेलरी, लैटूस, चैरी, टमाटर, रैड कैबेज, एसपैरागस आदि प्रमुख हैं। ये सब्जियां विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं। इन सब्जियों की मांग बड़े शहरों के पांच सितारा होटलों और पर्यटक स्थलों पर अधिक है। यदि किसानों को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वे विदेशी सब्जियों की खेती से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं और यह उनकी आजीविका का एक नया साधन बनने में सहायक साबित होगा।

जैविक खेती : आजकल सब्जियों की जैविक खेती का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जैविक खेती में सब्जियों को जैविक खादों के सहारे व बिना कीटनाशियों के पैदा किया जाता है। इस प्रकार की सब्जियों के दाम निश्चित रूप से रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके उगाई गई सब्जियों की अपेक्षा अधिक रहते हैं। आज उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए अच्छे गुणों वाली सुरक्षित सब्जियों को ऊंचे दाम पर खरीदना पसंद करता है। जैविक सब्जी उत्पादन का क्षेत्र बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा सब्जियों, फलों और फूलों से आर्गेनिक रंग भी बनाए जाते हैं जो न केवल शुद्ध सस्ते व खुशबूदार होते हैं बल्कि हमारी त्वचा के लिए भी सुरक्षित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड सहित कई सरकारी व गैर–सरकारी संस्थान कार्यरत हैं। वर्ष 2015–16 से पूर्वोत्तर राज्यों में हो रही बागवानी फसलों की जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए हर वर्ष का अलग से प्रावधान किया जा रहा है। जो किसान सब्जियों की जैविक खेती कर रहे हैं यदि उन्हें कौशल विकास योजना के तहत वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रशिक्षित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वे स्वयं और समाज को पौष्टिक पीड़कनाशियों से मुक्त संतुलित भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही ऐसी सब्जियों को बाजार में ऊंचे भाव पर बेचकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। निसंदेह इन सभी क्षेत्रों में कौशल विकास की अहम भूमिका हो सकती है।

फूलों से रोजगार : किसान फूलों की खेती द्वारा अपनी आय कई गुना बढ़ा सकते हैं। गेंदा और गुलाब महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल हैं। आज देश के अनेक भागों में कट फ्लावर व लूज दोनों की काफी मांग है। इसी प्रकार रजनीगंधा व गलैडिओलस फूलों की खेती करके ग्रामीण खेत्रों में व्यापक बेराजगारी को दूर किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी व कम आमदनी की वजह से रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। ऐसे में फूलों की खेती को रोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है।

खाद्य प्रसंस्करण : उल्लेखनीय है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए बजट वर्ष 2017–18 के 715 करोड़ रुपये के

बीज उत्पादन : सब्जियों की पैदावार बढ़ाने में उन्नत संकर किस्मों व उत्तम गुणों के बीजों का बड़ा योगदान है। स्वयं परागण वाली सब्जियों जैसे मटर, सेम, बांकला, टमाटर, मिर्च, बैंगन, लोबिया या ग्वार की उन्नत किस्मों के बीज थोड़ी–सी जानकारी के साथ किसान भाई स्वयं बना सकते हैं। परागण वाली सब्जियों जैसे लौकी, तोराई, करेला, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, टिण्डा, फूलगोभी, पत्तागोभी, गांठगोभी, मूली, शलगम, गाजर, प्याज, पालक, ब्रोकोली इत्यादि व संकर किस्मों के बीज किसान थोड़ी–सी जानकारी व ट्रेनिंग के साथ सफलतापूर्वक पैदा कर सकते हैं। बागवानी फसलों की खेती में होने वाले खर्च को

मुकाबले वर्ष 2018–19 में दुगुना कर 1400 करोड़ रुपये कर दिया गया। टमाटर, आलू, प्याज के उत्पादकों के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन' शुरू किया जा रहा है जिसमें भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन की सुविधाएं किसानों को उपलब्ध होंगी। यदि ये ऑपरेशन सही दिशा में दिल्ली से निकलकर गांव तक हकीकत में उतर जाता है तो इन फसलों के किसानों को निश्चित लाभ होगा। खरीद के मानकों पर सरकार ने नीति आयोग और राज्य सरकार को जिम्मा देने की बात की है।

केंद्र एवं राज्य सरकारें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देने हेतु प्रशिक्षण, ऋण तथा सब्सिडी दे रही है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ को राष्ट्रीय–स्तर पर बेचने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार प्रणाली विकसित कर रही है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद जैसे 15 संस्थान फल व सब्जियों और दूसरे खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण पर शोध एवं प्रशिक्षण कार्य कर रहे हैं। देश के सभी राज्यों में कृषि व बागवानी विश्वविद्यालयों में भी खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसके आधार पर सरकारी व निजी क्षेत्र में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में रोजगार का दायरा बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। खाद्य प्रसंस्करण प्रक्रिया में फल व सब्जियों का मूल्य बढ़ जाता है। अर्थात आलू, टमाटर जैसी सब्जियां जोकि खुले बाजार में यदि 10–15 रुपये प्रति किलो की दर से बेची जाती हैं जिनको सामान्य तापक्रम पर अधिक समय तक सुरक्षित नही रखा जा सकता हैं। खाद्य प्रसंस्करण द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के मूल्य में तीन से चार गुना तक की वृद्धि हो जाती है तथा इसे सामान्य तापक्रम पर लंबी अवधि तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। इससे किसानों को उत्पाद का समुचित मूल्य प्राप्त होने के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लगे युवकों को भी रोजगार मिलता है और उपभोक्ता को वर्ष भर प्रसंस्कृत फल व सब्जियों की आपूर्ति समुचित मूल्य पर सुनिश्चित हो पाती है।

भी कम किया जा सकता है। साथ ही पढ़े–लिखे युवा सब्जी बीज उत्पादन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं।

महिला किसान सशक्तीकरण : महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के माध्यम से निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है–

(1) महिलाओं की कृषि कार्यों से होने वाली शुद्ध आय को निरंतर बढ़ाना।

(2) कृषक महिलाओं और उनके परिवारों की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में सुधार करना।

(3) खेती के तहत क्षेत्रफल, फसल तीव्रता तथा खाद्य उत्पादन में वृद्धि।

(4) महिलाओ की कृषि कार्यों में कौशल तथा क्षमताओं को विकसित करना।

(5) महिलाओं की कृषि संबंधित उपयोगी जानकारियों जैसे उपजाऊ भूमि, कृषि ऋण, प्रौद्योगिकी एवं अन्य सूचनाओं इत्यादि तक पहुंच को बढ़ाना;

(6) कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन हेतु बाजार संबंधी जानकारियों की पहुंच में वृद्धि।

संक्षेप में, कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सरकार एकीकृत कृषि विपणन योजना और ई–प्लेटफार्म लेकर आई है। इससे किसान आसानी से अनाज, सब्जियां, फल जैसे उत्पाद बाजारों तक पहुंचा पाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 80 लाख रुपये, किसानों को नौ लाख करोड़ रुपये का ऋण बांटने जैसी सौगातों के साथ मोदी सरकार का पांच साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य है। इन सभी पहलुओं पर कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण का लाभ उठाया जा सकता है।

(लेखक इंटरनेशनल प्लांट न्यूट्रीशन इंस्टीट्यूट, इंडिया प्रोग्राम के पूर्व निदेशक तथा चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मृदा एवं कृषि रसायन विभाग के पूर्व प्राध्यापक एवं अध्यक्ष रहे हैं।)

ई–मेल : **kashinathtiwari730@gmail.com**

NeoStencil.com

– OUR UPSC – RESULTS

120+ TOPPERS
60+ TEACHERS
1 PLATFORM

India's **#1 Live** Online Platform For Govt. Jobs

Congratulates

OUR TEACHERS & STUDENTS

OUR STELLAR PERFORMER

Civil Services Examination 2017

Saumya Sharma
AIR 09

"I enrolled for online classes of Ethics on NeoStencil.com which not only saved my travel time but also I could attend and revise the classes of S. Ansari Sir anytime."

120+ Online Students Selected

500+ OUT OF 990 From Our Partner Teachers (Online + Offline)

50+ In Top 100

info@neostencil.com | 95990 75552

कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां और चुनौतियां

–नरेश सिरोही

सरकार ने निर्णय लिया है कि वह उत्पादन लागत की कम–से–कम डेढ़ गुनी कीमत पर खरीफ की सभी गैर–घोषित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराएगी। केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि फसलों को घोषित एमएसपी पर खरीदा भी जाना चाहिए, ताकि किसानों को लाभ पहुंच सके। इसके लिए जरूरी है कि यदि कृषि उत्पादों का मूल्य एमएसपी से कम है तब सरकार को स्वयं खरीदारी करनी चाहिए अथवा इस तरह की कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए, जिसके जरिए किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराया जा सके।

कृषि भारत के आर्थिक विकास का इंजन है और इससे सर्वाधिक लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता देने, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, किसानों को खेती में लगने वाली लागत पर पचास फीसदी लाभ मिले, ऐसा सुनिश्चित करने हेतु गंभीर प्रयास कर रही है। सरकार को किसानों के प्रति अपनी जवाबदेही का एहसास है इसलिए सरकार की नीतियों के केंद्र में कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है। सरकार द्वारा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में अधिक बजटीय आवंटन किया गया है। सरकार द्वारा 2014–19 में कृषि क्षेत्र को कुल 2,11,694 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जो वर्ष 2009–14 के मुकाबले 74.5 फीसदी अधिक हैं। किसानों के बजट में यह वृद्धि एक क्रांतिकारी कदम है। प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, चालू वित्तवर्ष में विभिन्न कृषि जिंसों पर न्यूमतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों को उनकी लागत पर डेढ़ गुना करने की घोषणा की गई है। ऐसा करके सरकार ने किसानों से किए गए सबसे महत्वपूर्ण वादे को पूरा करने का प्रयास किया है।

पिछले चार सालों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार, परंपरागत कृषि विकास योजना सहित अनेक किसान हितैषी योजनाओं की शुरुआत की गई है। किसानों के प्रति प्रतिबद्धता और तमाम अच्छी सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बावजूद क्रियान्वयन के स्तर पर राज्य सरकारों का अपेक्षित सहयोग न मिल पाने एवं सरकारी–तंत्र में कमियों के चलते किसानों के जीवन–स्तर में अभी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हो पाया है। सरकार इस बिगड़े सिस्टम को दुरुस्त करने की लगातार कोशिश कर रही है। पूरी व्यवस्था के ओवरहालिंग की जरूरत है।

मैं व्यवस्थागत खामियों को लेकर यहां अपना एक अनुभव साझा करना चाहता हूं। योजना बनाते वक्त यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि योजना स्थानीय जरूरत के हिसाब से बने तथा उसके क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। सरकार के लिए 'हर खेत तक पानी' पहुंचाना बड़ी चुनौती है। लेकिन स्थानीय–स्तर पर इस चुनौती से जूझने की कोशिश भी हो

रही है। ऐसी ही कोशिश करते हुए बुंदेलखंड के एक किसान मंगल सिंह ने एक टरबाईन का आविष्कार किया। मंगल टरबाईन गांव में ही बनी ऐसी मशीन है जो बहती जलधारा से चलती है। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में जहां किसान नदी–नालों से डीजल या बिजली पंपों के जरिए सिंचाई करते हैं, वहां वे मंगल टरबाईन द्वारा बिना डीजल इंजन, बिना बिजली मोटर से सिंचाई करते हैं। पाइप द्वारा पानी को कहीं भी ले जा सकते हैं। इससे पीने के लिए पानी भी पंप कर सकते हैं। इसमें लगे गियर बॉक्सों की शाफ्ट के दूसरे सिरे पर पुली लगाकर कुट्टी मशीन, आटा चक्की, गन्ना पिराई सहित कई अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं या फिर जेनरेटर जोड़कर बिजली भी बना सकते हैं। मंगल टरबाईन के प्रयोग से एक ओर डीजल व बिजली की बचत होती है तो दूसरी ओर प्रदूषण विशेषकर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा। सिंचाई पर होने वाले खर्चे की दृष्टि से देखें तो जहां सरकार एक वर्ग किलोमीटर भूमि को सिंचित करने के लिए 5 से 6 करोड़ रुपये खर्च करती है। वहीं, मंगल टरबाईन द्वारा सिंचाई का खर्च मात्र छह लाख रुपये के लगभग आएगा। देश–विदेश के अनेक जाने–माने तकनीकी विशेषज्ञों एवं अधिकारियों ने भी जाकर मंगल टरबाईन का अध्ययन किया है और इस आविष्कार की प्रशंसा करते हुए इसकी व्यापक संभावनाओं की ओर ध्यान दिलाया है। इतने उच्च एवं व्यापक–स्तर पर मंगल टरबाईन की उपयोगिता स्वीकार होने, लिमका बुक में नाम दर्ज होने तथा पुरस्कार व पेटेंट प्राप्त होने के बाद भी सरकारी तंत्र की खामियों के चलते इसके आविष्कारक प्रतिभाशाली मंगल सिंह दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करना सरकार की प्राथमिकता में है। किंतु सिस्टम की खामियों की वजह से सरकार की तमाम बेहतरीन योजनाएं ज़मीन पर नहीं पहुंच पा रही हैं, जिनसे किसानों की किस्मत सुधर सकती है। कर्ज में डूबा किसान आज अपनी फसल सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से भी नीचे बेचने को मजबूर है। खेती लगातार घाटे का सौदा बनते जाने से देशभर के किसान संगठनों द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग (स्वामीनाथन आयोग) की सिफारिशों को लागू करने और कर्ज माफी की मांग भी उठ रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वाली सरकार 26 मई, 2018 को चार साल पूरे कर चुकी है। सरकार द्वारा किए गए कामकाज का मूल्यांकन करने से पहले हमें विगत सत्तर सालों पर एक नजर डालनी होगी। तभी हम समझ पाएंगे कि चार सालों में कृषि क्षेत्र में कितना अच्छा काम हुआ है। आजादी के सत्तर सालों में कृषि क्षेत्र परिवर्तनों के कई दौर से गुजरा है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देश की आजादी के बाद पहला दौर 1947 से 1968 तक का है जिसमें बुआई क्षेत्र का विस्तार, सिंचाई के संसाधनों में वृद्धि और भूमि सुधार कानूनों की मुख्य भूमिका रही। दूसरा काल 1968 से 1980 तक का है, जिसमें अधिक उत्पादन वाली बौनी किस्मों, उर्वरकों, कीटनाशकों एवं नवीन तकनीक का प्रयोग हुआ, जिसे हरितक्रांति के प्रार्दुभाव का काल कहा जाता है। तीसरा कालखंड वर्ष 1981 से 1991 तक का है, जिस दौरान कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति, सुनिश्चित सरकारी खरीद और भंडारण एवं वितरण की राष्ट्रव्यापी व्यवस्था हुई। चौथा काल वर्ष 1991–1998 तक का है, जिसे उदारीकरण, औद्योगीकरण और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का दौर कहा जाता है। पांचवां काल वर्ष 1999 से 2014 तक का रहा। परंपरागत जैविक खेती को बढ़ावा देने, ग्रामीण आधारभूत ढांचा मसलन, सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा आदि के विकास तथा कृषि क्षेत्र में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए नवंबर 2004 में प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। आयोग ने अपनी पांचवीं एवं अंतिम रिपोर्ट 4 अक्टूबर, 2006 को केंद्र सरकार को सौंप दी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हुई है, इस तथ्य से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है। क्योंकि वर्ष 1951 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 5.10 करोड़ टन था वही आज बढ़कर 27.749 करोड़ टन तक पहुंच गया है। खाद्यान्न के साथ फल–सब्जी, दूध और मछली के उत्पादन में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अधिक उत्पादन और खाद्य–सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन, इस भारी सफलता के बावजूद अपनाई गई कृषि पद्धति से अनेक ऐसी समस्याएं भी पैदा हुई जिसने कृषि और किसानों को संकट में ला खड़ा किया है। कृषि पद्धति के अलावा कृषि पारिस्थितिकी और नीतियां भी किसान के अनुरूप नहीं रहीं, जैसे बढ़ती आबादी की वजह से किसान की जोत का आकार भी एक हेक्टेयर से कम हो गया है। पहले के मुकाबले कृषि भूमि पर आश्रित जनसंख्या का भार भी ढाई गुना से अधिक हो गया है।

नीतियों के स्तर पर देखें तो सापेक्ष मूल्यों का रुख किसानों के अहित में रहा है। कृषि उत्पादों के मूल्य, दूसरे उत्पादों के मूल्य के मुकाबले 82 से 88 फीसदी के बीच रहे हैं। इस अहितकारी मूल्य प्रणाली के कारण अर्थव्यवस्था के अन्य वर्गों की अपेक्षा किसानों को औसतन 15 प्रतिशत प्रति वर्ष घाटा उठाना पड़ रहा है। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि लगभग हर सात वर्ष में कृषि कार्य में लगे प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय, अन्य व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के मुकाबले आधी होती चली गई। कृषि क्षेत्र की सभी विसंगतियों की चिंता और अविलंब समाधान करना लंबे समय से अपेक्षित है जिनमें राष्ट्रीय किसान आयोग 1976 की व्यापक रिपोर्ट एवं राष्ट्रीय किसान आयोग (स्वामीनाथन आयोग) 2004 द्वारा 4 अक्टूबर, 2006 को सौंपी अंतिम रिपोर्ट को लागू करना भी शामिल है जिसमें उन्होंने किसानों के संकट और आत्महत्याओं के कारणों पर खासतौर से फोकस करते हुए उनके लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार से

की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्ष 2014 तक इन सिफारिशों को ठोस नीतियों में बदले जाने और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की ठोस पहल नहीं हो सकी।

आजादी के सत्तर वर्षों बाद यह पहला अवसर है जब सरकार का फोकस उत्पादन की जगह किसानों की आमदनी बढ़ाने पर है। नतीजन कृषि पद्धति और कृषि परिस्थितियों में सुधार की सिफारिशों को ठोस नीतियों में बदलकर धरातल पर उतारने का सार्थक प्रयास किया गया।

वर्तमान सरकार ने कृषि और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कृषि राज्यों का विषय होने के कारण केंद्र की योजनाओं का अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग परिणाम मिला है। कई राज्यों में योजनाओं के सकारात्मक परिणाम मिले हैं जिनका लाभ किसानों को मिला है। लेकिन कई राज्य सरकारों की उदासीनता के कारण नतीजे उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे हैं। गौरतलब है कि कृषि उपज के भाव, कृषि कर्ज, व्यापार जैसे महत्वपूर्ण नीति संबंधी निर्णय केंद्र सरकार करती है। इसी तरह पौध संरक्षा, जैव–विविधता, खाद्य कानून, कृषक अधिकार कानून, गांवों में आधारभूत ढांचे और मंडियों तथा कृषि मद के लिए धनराशि प्राप्त करने में भी केंद्र सरकार की मुख्य भूमिका है। लेकिन भारतीय संविधान में कृषि राज्यों का विषय होने के कारण तमाम कानूनों और योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। दरअसल हमारे संविधान में कामकाज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला वे हैं जो केंद्र की सूची में है जिन पर कायदे–कानून का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। दूसरा, वे जो समवर्ती सूची में हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अलबत्ता मतभेद की स्थिति में केंद्रीय कानून सर्वोपरि होता है। तीसरा, वे विषय हैं जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं और कृषि इसी सूची में है। आज बड़ा सवाल ये है कि क्या इन 70 सालों में राज्य खेती–किसानी की जरुरत पूरी कर पाएं हैं? क्या वैश्वीकरण के कारण कृषि के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार की भूमिका का बढ़ाना जरुरी है? शायद इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय किसान आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कृषि को समवर्ती सूची में रखने की सिफारिश की है। आज किसानों की विकराल होती समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की जरूरत है तथा योजना बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया पर पुनः विचार कर बदलाव की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी परिकल्पना को वर्ष 2022 तक साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इस महत्त्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कृषि मंत्रालय के अधीन सभी तीन विभागों के तहत संचालित विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और मिशनों को एक नई दिशा प्रदान की गई है और एक अंतर–मंत्रालयी समिति का गठन भी किया गया है। इस समिति में व्यापार, उद्योग, वैज्ञानिकों, नीति–निर्धारकों और अर्थशास्त्रियों सहित प्रगतिशील किसानों को भागदारी दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ''मैं वर्ष 2022 तक, जब भारत अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाए, किसानों की आय को दोगुना करना चाहता हूं। मैंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है, पर यह केवल एक चुनौती नहीं है। एक अच्छी रणनीति, सुनियोजित कार्यक्रम, पर्याप्त संसाधनों एवं कार्यान्वयन में सुशासन के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।''

सरकार ने निर्णय लिया है कि वह उत्पादन लागत की कम–से–कम डेढ़ गुनी कीमत पर खरीफ की सभी गैर–घोषित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराएगी। केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि फसलों को घोषित एमएसपी पर खरीदा भी जाना चाहिए, ताकि किसानों को लाभ पहुंच सके। इसके लिए जरूरी है कि यदि कृषि उत्पादों का मूल्य एमएसपी से कम है तब सरकार को स्वयं खरीदारी करनी चाहिए अथवा इस तरह की कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए, जिसके जरिए किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराया जा सके। नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के परामर्श से एक ऐसे कार्यतंत्र की व्यवस्था करेगा, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का पर्याप्त मूल्य प्राप्त हो सके।

किसानों की सी–2 फार्मूले से एमएसपी तय करने की बात को ध्यान में रखते हुए, गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक मंत्रीसमूह का गठन किया गया है, जो जल्द ही इस विषय पर अपनी राय व्यक्त करेगा। दरअसल कृषि और किसानों के लिए ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। किसानों को प्राकृतिक आपदा और दूसरे नुकसानों से संरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री ने पुरानी योजना में कई बदलाव करते हुए इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से शुरू किया है। इस योजना में प्रीमियम घटाया गया है और क्लेम के भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसी क्रम में इस वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत 44.59 प्रतिशत वृद्धि कर इस योजना के बजट को 9000.75 करोड़ से बढ़ाकर 13014.15 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बेहतर करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट पर गौर करना होगा। कैग ने फसल बीमा योजनाओं के अमल में वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई अनियमितताओं एवं कमियों की ओर ध्यान दिलाते हुए बताया है कि तमाम किसान बैंकों की अनदेखी के चलते बीमा के अपने दावों को खो देते हैं। फसल बीमा योजनाओं को लागू करने वाली एजेंसियों ने बीमा को लेकर बैंकों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में कमियों के चलते भी किसानों के दावों को खारिज किया है। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि मुआवजे के दावों की रकम को बैंकों ने लाभार्थी के खाते में जमा नहीं किया। इसीलिए **कैग ने सरकार से कहा है कि इन तमाम निजी बीमा कंपनियों का लेखा–जोखा सार्वजनिक तौर पर किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें जनता के करों से एकत्रित पैसों से भारी मात्रा में फंड दिए जाते हैं।** फसल बीमे का मुआवजा तय करने में क्राप कटिंग एवं टीआरएस (टाइमली रिकॉर्डिंग स्कीम) जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों को और अधिक समयबद्धता और गंभीरता के साथ संपादित कराए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह कार्य कृषि की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। क्राप कटिंग के नमूनों के परिणाम से नुकसान का पता लगाया जाता है तथा मुख्य फसलों के उत्पादन व उत्पादकता की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जाता है। लेकिन कर्मचारियों की शिथिलता के कारण इस महती कार्य में चूक हो जाती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 'हर खेत को पानी' के तहत सिंचाई के संसाधनों में बढ़ोतरी हुई है और सिंचाई के तहत आने वाली ज़मीन में इजाफा हुआ है। माइक्रो इरिगेशन में भी काम तेजी से हो रहा है। इसके लिए खास बजट का भी प्रावधान किया गया है। अभी तक लगभग 10.48 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। करोड़ों कार्ड बनने के बाद कितने किसान इसके अनुसार न्यूट्रिएंट उपयोग कर रहे हैं, अभी इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लेकिन नीमलेपित यूरिया का 100 फीसदी लक्ष्य पूरा हो गया है। इससे जहां यूरिया की कमी से परेशान किसान को फायदा हुआ है। वहीं यूरिया का इंडस्ट्री को डायवर्जन बंद हुआ है और सरकार की सब्सिडी बची है। प्रधानमंत्री सतत कृषि प्रबंधन द्वारा हर स्तर पर उत्पादन और उत्पादकता बनाए रखते हुए, रसायनों और उर्वरकों पर निर्भरता कम करते हुए देशी पारंपरिक तकनीकों को बढ़ावा दे रहे हैं। अभिलेखों यानी लैंड रिकाड्र्स को डिजिटल करने के लिए भी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और कई राज्यों में यह काम काफी आगे बढ़ गया है। तेलंगाना में तो रिकॉर्ड डिजिटल करने के बाद अब उनको आधार नंबर से जोड़ने का भी काम शुरू हो चुका है। ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हुआ है। साथ ही पिछले चार सालों के दौरान देश के गांवों में साढ़े पांच लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है जिससे किसानों की बाजार तक कनेक्टिविटी का बेहतर ढांचा तैयार हुआ है। जाहिर है कि मंडी और बाजार तक किसानों की आसान पहुंच उन्हें उनकी फसलों का अधिक लाभ भी दिलाएगी।

चार सालों में खेती–किसानी से जुड़ी योजनाएं सरकार द्वारा की गईं अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। अपने 4 साल के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय आय बढ़ाने और उन्हें खेती हेतु प्रोत्साहित करने हेतु संरक्षण एवं सुरक्षा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान बहुत–सी व्यावहारिक समस्याएं सामने आएंगी, हमेशा इनमें सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी, जो समय–समय पर होने भी चाहिए। वर्तमान समय में किसानों की हालत अच्छी नहीं है और उनके लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान सरकार में किसानों के लिए कुछ करने का जज़्बा दिखाई देता है। सरकार ने किसानों के हितों में न केवल बेहतरीन और ठोस योजनाओं का निर्माण किया है, बल्कि उन्हें ज़मीन पर सार्थक रूप से उतारने का प्रयास भी किया है। इसके सुखद नतीजे आने वाले दिनों में जरूर दिखेंगे।

(लेखक कृषि एवं किसान मामलों के विशेषज्ञ तथा दूरदर्शन किसान चैनल के संस्थापक सलाहकार रहे हैं।)
ई–मेल : nnareshsirohi@gmail.com

–सुरभि जैन और पूरबी पटनायक

शिक्षित समाज किसी राष्ट्र के विकास की अनिवार्य पूर्व–शर्त है। जैसे–जैसे नौजवान भारत प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, भावी पीढ़ी के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के माध्यम से एक मजबूत बुनियाद रखे जाने की जरूरत है। सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल निश्चय ही ग्रामीण भारत को अधिकार–संपन्न बनाने के लिए सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है और समतामूलक समाज के निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका होती है। इक्कीसवीं सदी में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सुशिक्षित जनता का सुसंगत ज्ञान, विचार और कौशल से युक्त होना अत्यंत आवश्यक है। भारत के लिए तो यह बात विशेष रूप से सत्य है जहां 10 से 24 आयु वर्ग के लोगों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। यही वे लोग है जो देश के भविष्य की बुनियाद रखते हैं। इतना ही नहीं, भारत की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए शिक्षा संबंधी किसी भी नीति का केंद्र बिंदु ग्रामीण क्षेत्रों को बनाना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा के प्रति भारत की वचनबद्धता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के लागू होने के बाद भारत में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए। इन प्रयासों को 1980 और 1990 के दशकों में योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से और तेज किया गया जिनमें ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, शिक्षाकर्मी परियोजना, आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना, बिहार शिक्षा परियोजना, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना, महिला समाख्या, लोक जुंबिश परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना और सर्व शिक्षा अभियान आदि शामिल हैं। सर्व शिक्षा अभियान देशभर में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए राज्य सरकारों की भागीदारी से संचालित और केंद्र द्वारा प्रायोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। 2009 में बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार संबंधी अधिनियम के पारित होने से इसे और बल मिला। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ और इससे देश में 6 से 14 साल के आयु वर्ग के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया। सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के मानदंडों के अनुरूप बनाया गया ताकि अधिनियम को लागू करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मदद की जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के समग्र लक्ष्यों में शिक्षा को सबकी पहुंच के दायरे में लाना और शिक्षा पूरी कराना, शिक्षा के क्षेत्र में लिंग और सामाजिक श्रेणी संबंधी अंतर को पाटना और बच्चों के सीखने के स्तर में वृद्धि करना जैसी बातें शामिल थीं। सर्व शिक्षा अभियान में कई तरह के उपाय शामिल थे जिनमें अन्य बातों के अलावा नए स्कूल खोलना, स्कूल भवनों का निर्माण, उनमें अतिरिक्त कमरों, शौचालयों व पीने के पानी की सुविधा, शिक्षकों और समय–समय पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शैक्षिक संसाधनों में मदद देना, पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था तथा बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता देना शामिल हैं। सर्व शिक्षा अभियान को भारत के सभी जिलों में लागू किया गया और इसमें प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम पहलों के विकेंद्रित नियोजन और कार्यान्वयन के लिए व्यापक विस्तार वाला समेकित ढांचा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। सर्व शिक्षा अभियान देश में अकेला सबसे बड़ा और समग्र कार्यक्रम था जिसमें प्राथमिक शिक्षा के तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया गया था। इसमें 10 लाख से अधिक प्राथमिक स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों और वैकल्पिक व अभिनव शिक्षा केंद्रों को शामिल करते हुए 20 करोड़ बच्चों को इसके दायरे में लिया गया था।

प्राथमिक स्तर पर प्रगति

पिछले दशक में भारत ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को सबकी पहुंच के दायरे में लाने के लिए शानदार प्रगति की है। आज 14.6 लाख प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 19.67 करोड़ बच्चे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है जहां देश के कुल प्राथमिक विद्यालयों में से 85.4 प्रतिशत विद्यालय स्थित हैं। देश में प्राथमिक स्तर पर दाखिला लेने वाले कुल बच्चों में से 74.5 प्रतिशत बच्चे इन्हीं ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ते हैं। इस तरह यह बात स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो पहल की गई

है उसका सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा है।

तमाम राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रमुख शैक्षिक संकेतकों में जबर्दस्त प्रगति हुई है। समेकित जिला सूचना शिक्षा प्रणाली (यूडीआईएसई) 2015–16 के अनुसार प्राथमिक–स्तर पर सकल दाखिला दर 99.21 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर 92.81 प्रतिशत रही जो प्राथमिक स्तर पर लगभग सभी बच्चों के स्कूल में दाखिला लेने को प्रदर्शित करता है। विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात जो 2009–10 में 32 था, 2015–16 में सुधरकर 25 हो गया। यूडीआईएसई 2015–16 के अनुसार प्राथमिक–स्तर पर स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की औसत वार्षिक दर 2009–10 के 6.76 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 4.13 प्रतिशत रह गई। यूडीआईएसई 2015–16 के अनुसार प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर पर जाने वाले बच्चों की दर जो 2009–10 में 85.17 प्रतिशत थी, 2014–15 में बढ़कर 90.14 प्रतिशत हो गई। स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर लिंग संबंधी संतुलन को प्रदर्शित करने वाला लिंग समानता सूचकांक प्राथमिक स्तर पर 2014–15 में 0.93 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर 0.95 प्रतिशत पर पहुंच गया था।

इसमें कोई संदेह नहीं कि कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों से स्कूलों तक पहुंच तो बढ़ी है लेकिन इन स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं। यह सवाल भी उठा है कि क्या ये बच्चे कुछ सीख भी पा रहे हैं, या नहीं। देश की भावी पीढ़ी के लिए इसके जबरदस्त परिणाम हो सकते हैं क्योंकि इन्हीं बच्चों को बड़े होकर राष्ट्र के विकास की दिशा तय करनी है।

हाल की पहल

शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने की आवश्यकता के महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए कई पहल की हैं। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं :

'पढ़े भारत, बढ़े भारत' : विभिन्न अनुसंधान और अध्ययनों से यह बात साबित हो गई है कि पहली और दूसरी कक्षा बच्चों की शिक्षा के दो अत्यंत महत्वपूर्ण चरण हैं जिनमें बच्चों को भाषा और अंकों के माध्यम से सीखने की दुनिया से परिचित कराया जाता है। जो बच्चे इन दो कक्षाओं में सीखने में असफल हो जाते हैं वे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं और उनके लिए अन्य विषयों को पढ़ने–समझने में मुश्किलें आती हैं। इसलिए शुरुआत में पढ़ना–लिखना और समझना तथा गणित का ज्ञान देश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत एक राष्ट्रव्यापी उप–कार्यक्रम 'पढ़े भारत, बढ़े भारत' अगस्त 2014 में शुरू किया गया जिसका उद्देश्य पढ़ने–लिखने के साथ–साथ उसे समझने में बच्चों की रूचि जगाना और बनाए रखना; तथा अपने भौतिक और सामाजिक जगत से संबंधित गणित में उनकी स्वाभाविक व सकारात्मक रूचि जगाकर उसे बनाए रखना था। यह कार्यक्रम इस पूर्वशर्त पर आधारित है कि पुस्तकों में बच्चों की उद्देश्यपूर्ण और सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक दिलचस्पी के साथ–साथ उनके मुद्रित सामग्री को पढ़ने–लिखने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जुड़ने की जरूरत होती है। इस पहल के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पूरक अधिगम सामग्री तैयार करने और पढ़ने की जगहों के विकास तथा बच्चों के लिए एक्टिविटी किट बनाने जैसे कई कदम उठाए हैं जिससे उन्हें सक्रिय रूप से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से पढ़ाई से जोड़े रखा जा सका है। यह पहल बच्चों में विस्तृत आधारभूत कौशलों के विकास में मदद करके उच्च–स्तर की क्षमताओं के सृजन की मजबूत बुनियाद डालने के मकसद से की गई है।

एक कमी यह महसूस की गई कि प्रत्येक कक्षा के अंत में अध्यापकों और बच्चों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के अधिकार संबंधी केंद्रीय कानून में 20 फरबरी, 2017 को संशोधन किया गया और प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय के लिए सीखने का परिणाम निर्धारित किया गया। इसी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में भाषाओं (हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू), गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राथमिक स्तर के सीखने के परिणामों का अंतिम रूप से निर्धारण कर दिया गया और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ इन्हें साझा किया गया। ये मानदंड http://www.ncert.nic.in/departments/nie/dee/publication/Print_Material.html वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इनसे शिक्षकों और माता–पिता को यह सुनिश्चित करने का मौका मिलेगा कि बच्चे वांछित कौशल सही–सही हासिल कर पा रहे हैं। इससे जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाकर सभी विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए सीखने के अवसर उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

सीखने के परिणामों के आधार पर 2017–18 में देश के सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 700 जिलों में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 3, 5 और 8 के बच्चों का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया गया। इसमें 1,10,000 स्कूलों के 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का आकलन किया गया। विद्यार्थियों के सीखने संबंधी उपलब्धियों का यह शायद सबसे बड़ा सैंपल सर्वेक्षण था। आंकड़ों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला कि सीखने की प्रक्रिया के निष्पादन में ग्रामीण और शहरी बच्चे एक समान स्तर पर पाए गए। विश्लेषण के आधार पर जिलावार और राज्यवार रिपोर्टकार्ड तैयार किए गए जिन्हें सार्वजनिक संदर्भ के लिए इस वेबसाइट (http://www.ncert.nic.in/programmes/NAS/Training.html) पर रखा गया है। जिला–स्तर के रिपोर्टकार्ड से बच्चों के सीखने से संबंधित कक्षावार और विषयवार जानकारी मिलती है। इससे यह भी पता चलता है कि जिले में कहां पर सुधार की जरूरत है और कहां नीति/शिक्षाशास्त्रीय

हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की अचूक कार्यनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी भी प्राप्त होती है। राज्य संबंधी रिपोर्टकार्ड से परखे जा चुके सभी मानदंडों पर सीखने के परिणामों का पता चलता है जिसके आधार पर अधिकारी शिक्षकों के प्रशिक्षण और नीतिगत उपायों की कमजोरियों और कमियों को दूर कर सकते हैं। इन रिपोर्टकार्डों के विस्तृत विश्लेषण से शैक्षिक नीतियां बनाने, नियोजन और राष्ट्रीय, राज्य, जिला और कक्षा स्तर पर बच्चों के अधिगम के स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। (4) शिक्षक किसी भी शैक्षिक प्रणाली की धुरी हैं और कक्षा में क्या हो रहा है, इसका निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार सभी सेवारत शिक्षकों के पास कुछ न कुछ व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। ऐसे सभी शिक्षक (करीब 13 लाख) ये योग्यताएं हासिल कर सकें इसके लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को दो साल का ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री संस्थान ने स्वयं–शिक्षा रीति से तैयार की है और 'स्वयं' प्लेटफार्म पर ऑडियो/वीडियो व्याख्यान, मुद्रणीय सामग्री/डाउनलोड की जा सकने वाली पाठ्य सामग्री के रूप में अपलोड की है। शंकाओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन चर्चाओं के साथ–साथ परीक्षा और क्विज के जरिए अपना मूल्यांकन खुद करने के भी इंतजाम किए गए हैं। इस समूची प्रक्रिया को बड़ा आसान और इंटरएक्टिव बना दिया गया है ताकि शिक्षक पाठ्यक्रम में वांछित कौशल प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास कर सकें और बाद में यही कौशल उन्हें अपनी शिक्षण संबंधी जिम्मेदारियों को कारगर तरीके से पूरा करने में मदद कर सके। संभवतः यह बड़ी भारी तादाद में शिक्षकों को व्यावसायिक कौशल से युक्त करने की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है और यह हमारे देश के शिक्षकों, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कौशल से युक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

केंद्र सरकार ने 2017 से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की भी शुरुआत की है जिसका उद्देश्य बच्चों को साफ–सफाई के बारे में जागरूक बनाना और उन्हें स्वच्छता की आदतों व तौर–तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इससे बच्चों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में तो मदद मिलेगी ही, गंदगी की वजह से होने वाली बीमारियां कम करने तथा उन्हें भविष्य का जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी मदद मिलेगी। पुरस्कार की शुरुआत के पहले ही साल में 2.5 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों ने प्रतियोगिता में ऑनलाइन हिस्सा लिया और इनमें से 91 प्रतिशत स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों से थे। इन स्कूलों का समग्र स्वच्छता, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय और कक्षाओं में सफाई को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण किया गया। जिला और राज्य–स्तर पर कड़ी चयन परीक्षा से गुजरने के बाद 712 स्कूलों को राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चुना गया। इनमें से 126 स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों के थे। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल शहरी स्कूलों से जरा भी पीछे नहीं हैं और राष्ट्रीय–स्तर के उत्कृष्टतम स्कूलों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं।

आगे का रास्ता

केंद्र सरकार ने अब फैसला किया है कि वह स्कूली शिक्षा पर पूरी समग्रता से विचार करेगी और प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक जैसे खंडों में विभाजित कर इसे नहीं देखा जाएगा। वर्ष 2018–19 से 'समग्र शिक्षा अभियान' नाम की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य पूर्व–विद्यालय–स्तर से उच्च माध्यमिक–स्तर तक गुणवत्तापूर्ण समावेशी और समतामूलक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी सुचारू रूप से लगातार शैक्षिक प्रगति कर सके और स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों को बिना किसी बाधा के पूरा करे।

इस कार्यक्रम में स्कूल प्रशासन, शिक्षकों और छात्रों को टेक्नोलॉजी के जरिए समन्वित करते हुए सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्कूली शिक्षा के कार्य निष्पादन में आमूल परिवर्तन के जरिए सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए स्कूलों को और अधिक कारगर बनाने और उनकी संस्थागत क्षमता को बनाए रखने के उपाय करने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य जोर देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों का खासतौर पर ध्यान रखते हुए राज्यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में विशेष जरूरतों वाले बच्चों, बालिकाओं और उपेक्षित समुदायों का विशेष ध्यान रखते हुए एक ऐसे बदलाव की शुरुआत की गई है जो समतामूलक और समावेशी हो।

इस समन्वित दृष्टिकोण से सेवाकालीन और सेवा–पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षा की दिशा में नई डिजिटल पहल के माध्यम से डिजिटल अधिगम सामग्री, अभिनव शिक्षण कौशल और क्षमता सृजन आदि के उपाय खोजने में मदद मिलेगी। इससे स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बुनियाद मजबूत होगी। इसमें टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जा सकेगा और देश के तमाम राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और समाज के सभी वर्गों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक लोगों की पहुंच का दायरा विस्तृत होगा।

शिक्षित समाज किसी राष्ट्र के विकास की अनिवार्य पूर्व–शर्त है। जैसे–जैसे नौजवान भारत प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, इसकी भावी पीढ़ी के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के माध्यम से एक मजबूत बुनियाद रखे जाने की जरूरत है। सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल निश्चय ही ग्रामीण भारत को अधिकार–संपन्न बनाने के लिए सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

(सुरभि जैन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में निदेशक और पूरबी पट्टनायक तकनीकी सहयोग ग्रुप में वरिष्ठ परामर्शदाता हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी विचार हैं।)

ई–मेल : surbhi.jain@nic.in

"योग स्वास्थ्य और तन्दुरुस्ती के लिए सार्वभौमिक आकांक्षा का प्रतीक है। यह बिना कुछ खर्च किए जीरो बजट में स्वास्थ्य आश्वासित करता है।"
नरेंद्र मोदी
प्रधान मंत्री
सत्यमेव जयते
भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
सामंजस्य और शांति के लिए योग
21 जून, 2018
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई)
क्या आपने स्वास्थ्य और तन्दुरुस्ती के लिए इस विश्वव्यापी आंदोलन का हिस्सा बनने की योजना बना ली है?
अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें!
योग-विश्व को भारत की देन
• महान भारतीय गुरुओं ने विश्व के अलग-अलग कोनों में योग का प्रचार-प्रसार किया।
• योग प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में है।
• जो भी योग करता है उसका फल पाता है।
• योग दैनिक जीवन के हर पहलू में उन्मुक्त भाव का संचार करता है।
आईडीवाई में प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा है
• योग सभी को कुछ न कुछ देता है- चाहे वह एक आशावान बच्चा हो, महत्वाकांक्षी युवा हो, माता-पिता हों या वरिष्ठ नागरिक हों।
• व्यापारिक संगठन, शैक्षणिक संस्थाएं, सरकारी संगठन, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संस्थाएं- ये सभी संगठन अपने कर्मचारियों, अनुयायियों, सदस्यों अथवा अन्य हितधारकों के लाभ हेतु आईडीवाई के साथ जुड़ सकते हैं।
स्वास्थ्य और तन्दुरुस्ती के लिए एक विश्वव्यापी आंदोलन
• आईडीवाई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में शुरू किया गया था।
• आईडीवाई ने गत 3 वर्षों में एक सामूहिक आंदोलन का रूप ले लिया।
• 190 से अधिक देशों में लाखों लोगों ने भाग लिया।
आईडीवाई- 2018
• 21 जून, 2018 को सामंजस्यपूर्ण सामूहिक योग प्रदर्शनों पर जोर।
• सामूहिक योग प्रदर्शन सामान्य योग प्रोटोकॉल पर आधारित होगा।
• पूरे देश में आईडीवाई का हजारों स्थलों पर समुदाय संचालित आयोजन।
सामान्य योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी)
• सामूहिक योग प्रदर्शनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए योग अभ्यासों का एक विशेष क्रम विकसित किया गया।
• एक-एक घंटे के लगभग 15 सत्रों में 45 मिनट का योग सीखा जा सकता है।
• आयुष मंत्रालय की वेबसाइट से निःशुल्क वीडियो और ई-बुक डाउनलोड की जा सकती हैं।
आंदोलन में शामिल हों!
• विभिन्न हितधारकों के लिए सीवाईपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करके आप सभी आईडीवाई आंदोलन में योगदान कर सकते हैं।
• योग उत्साही और अन्य व्यक्ति 21 जून, 2018 को अपनी बस्तियों में आईडीवाई के उपयुक्त कार्यकलापों का आयोजन कर सकते हैं अथवा भाग ले सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए कृपया https://yoga.ayush.gov.in पर जाएं।
Ayush
https://www.facebook.com/moayush
https://twitter.com/moayush
davp 17201/13/0035/1718

21 जून, 2018 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विशेष

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का बढ़ता दायरा

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का अपना प्राचीन इतिहास रहा है। भारत हमेशा से चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। बीच के कुछ कालखंड को छोड़ दे तो भारत की प्राचीन चिकित्सकीय परंपरा हमेशा से सर्वोपरी रही है। वर्तमान समय में भी देश–दुनिया के लोग इस बात को मानने लगे हैं कि स्वस्थ रहना है तो भारतीय स्वास्थ्य पद्धतियों को अपनाना ही होगा। आयुर्वेद, यूनानी, होमियोपैथी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं सोवा–रिग्पा जैसी चिकित्सा पद्धतियों को संवर्धित करने एवं इनकी पहुंच आमजन तक पहुंचाने के लिए ही भारत सरकार ने अलग से 'आयुष' मंत्रालय बनाया है। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार की पहल के कारण योग को अंतरराष्ट्रीय पहचान जून 2015 में मिला। और पूरी दुनिया ने एक स्वर में 21 जून, 2015 को पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर अपनी सहमति प्रदान की। तब से योग का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। योग के लिहाज से 27 सितंबर, 2014 का वह दिन बहुत ही ऐतिहासिक था जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग के महत्व को दुनिया को समझा रहे थे। उन्होंने कहा था कि 'योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है; मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है; विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवनशैली में यह चेतना बनकर, हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है।'

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 11 दिसम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्यों द्वारा 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अपने देश के इस प्रस्ताव को महज 90 दिनों में पूर्ण बहुमत से पारित किया गया। इस महीने 21 जून को फिर से पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रही है। भारत सरकार भी पूरे देश में योग को बढ़ावा देने के लिए अलग–अलग मंचों पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साथ ही स्वयसेवी संस्थाएं भी इस दिवस को और व्यापक बनाने के लिए जुट गई हैं। योग से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारी सबके लिए जरूरी है। आइए जानते हैं–

सामान्य योगाभ्यास से जुड़ी सावधानियां

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को ध्यान में रखकर 'सामान्य योग अभ्यास क्रम (प्रोटोकॉल)' नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। पुस्तक के पीडीएफ को आप दिए गए लिंक (https://moayush-files-wordpress-com/2017/05/common&yoga&protocol&hindi_0-pdf) से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पुस्तक में योगाभ्यास के लिए सामान्य दिशा–निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का पालन बहुत जरूरी है। इन निर्देशों को संक्षेप में जानते हैं।

अभ्यास के पूर्व

- शौच–शौच का अर्थ है शोधन, यह योग अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण एवं अपेक्षित क्रिया है। इसके अंतर्गत आसपास के वातावरण, शरीर एवं मन की शुद्धि की जाती है।
- योग अभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ शरीर एवं मन को शिथिल करके किया जाना चाहिए।
- योग अभ्यास खाली पेट अथवा अल्पाहार लेकर करना चाहिए। यदि अभ्यास के समय कमजोरी महसूस हो तो गुनगुने पानी में थोड़ा–सा शहद मिलाकर लेना चाहिए।
- योगाभ्यास मल एवं मूत्र विसर्जन करने के उपरान्त प्रारंभ करना चाहिए।
- अभ्यास करने के लिए चटाई, दरी, कंबल अथवा योग मैट का प्रयोग करना चाहिए।
- अभ्यास करते समय शरीर की गतिविधि आसानी से हो, इसके लिए सूती के हल्के और आरामदायक वस्त्र पहनने चाहिए।
- थकावट, बीमारी, जल्दबाजी एवं तनाव की स्थिति में योग नहीं करना चाहिए।
- यदि पुराने रोग, पीड़ा एवं हृदय संबंधी समस्याएं हों तो ऐसी स्थिति में योग अभ्यास शुरू करने के पूर्व चिकित्सक अथवा योग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए।
- गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योग करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए।

अभ्यास के समय

- अभ्यास सत्र प्रार्थना अथवा स्तुति से प्रारंभ करना चाहिए क्योंकि प्रार्थना अथवा स्तुति मन एवं मस्तिष्क को विश्रांति प्रदान करने के लिए शांत वातावरण निर्मित करते हैं।
- योग अभ्यास आरामदायक स्थिति में शरीर एवं श्वास–प्रवास की सजगता के साथ धीरे–धीरे प्रारंभ करना चाहिए।
- अभ्यास के समय श्वास–प्रवास की गति नहीं रोकनी चाहिए, जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए विशेष रूप से कहा न जाए।
- श्वास–प्रवास सदैव नासारन्ध्रों से ही लेना चाहिए, जब तक कि आपको अन्य विधि से श्वास–प्रवास लेने के लिए न कहा जाए।

अभ्यास के बाद

- अभ्यास के 20–30 मिनट बाद स्नान करना चाहिए।
- अभ्यास के 20–30 मिनट बाद ही आहार ग्रहण करना चाहिए, उससे पहले नहीं।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 3 करोड़ से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत अभावों से जूझ रहे परिवारों तक नकद हस्तांतरण की सुविधा खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा समेत समग्र सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है।

वर्ष 2016 में एनएसएपी योजना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना के तहत लाने का जब से रणनीतिक फैसला लिया गया तब से केंद्र सरकार योजना की शत–प्रतिशत जरूरतें पूरी करने के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता को लगातार बढ़ा रही है। वित्तवर्ष 2018–19 के लिए एनएसएपी योजना को 9975 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जो वर्ष 2014–15 के दौरान 7241 करोड़ रुपये के आवंटित बजट से 38 प्रतिशत अधिक है। वित्तवर्ष 2017–18 के दौरान एनएसएपी के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 8696 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई जो वर्ष 2014–15 के दौरान जारी राशि से 23 प्रतिशत अधिक है।

योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और कमियां हटाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एनएसएपी के तहत लाभार्थियों के आंकड़े एनएसएपी–पीपीएस पर डिजिटल फार्म में रखे गए हैं। योजना के तहत 173 लाख लाभार्थियों के आधार नंबर उनकी सहमति से जोड़े गए हैं। सरकार ने आधार आधारित भुगतान व्यवस्था (एबीपीएस) स्वीकार करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून, 2018 करने का फैसला लिया है। इस दिशा में तेजी लाते हुए डिजिटल लेन–देन की सुविधा बढ़ाने के लिए लाभार्थियों की सहमति से आधार–आधारित भुगतान व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य है ताकि किसी भी तरह की संभावित कमियों को पूरी तरह से दूर किया जा सके। आधार आधारित व्यवस्था से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों को विशेष लाभ होगा चूंकि बैंक/डाकघर के जरिए उनके खाते में सीधे भुगतान पहुंचाया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 की शुरुआत में सिर्फ 6 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों गुजरात, लक्षद्वीप, बिहार, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, झारखंड और महाराष्ट्र में ही डिजिटल लेन–देन के जरिए एनएसएपी सहायता पहुंचाई गई और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए एक 1.73 करोड़ लेन–देन दर्ज किए गए। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में विशेष कोशिश के तहत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन एवं द्वीप, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र. मेघालय, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसे 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 10.73 करोड़ लेन–देन हुए। अतः 2016–17 में डीबीटी के जरिए डिजिटल लेन–देन की तुलना में 2017–18 में 520 प्रतिशत लेन–देन की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2017–18 में 6791.70 करोड़ रुपये मूल्य के डिजिटल लेन–देन किए गए जो इस साल जारी रकम का लगभग 78 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के तहत मासिक सहायता 300 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति महीना करने के अलावा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी दिव्यांग लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। एमजीएनआरइजीए के तहत कार्यस्थलों पर पेयजल उपलब्ध कराने, पालनाघर की व्यवस्था इत्यादि में दिव्यांग लोगों को काम दिलाने को प्राथमिकता दी गई है। दिव्यांग मजदूरों को अन्य मजदूरों के बराबर ही मजदूरी दी जाती है। दिव्यांग मजदूरों को उनके अनुसार उचित काम के चुनाव जैसी कई और छूट दी गई हैं। वित्तवर्ष 2017–18 में एमजीएनआरइजीए के तहत लगभग 4.7 लाख दिव्यांग मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

डीडीयू–ग्रामीण कौशल योजना के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए लोगों का कौशल बढ़ाने के लक्ष्य का कम से कम 3 प्रतिशत कौशल विकास लक्ष्य दिव्यांगों के लिए सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इस योजना के तहत दिव्यांग योजनाओं के लिए पृथक प्रशिक्षण केंद्र हो सकते हैं और नियमित परियोजना से अलग इनकी लागत भी अलग हो सकती है। डीडीयू–ग्रामीण कौशल योजना के तहत देशभर में अभी कुल 243 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिसमें दिव्यांग उम्मीदवारों को भी प्रशिक्षित करने का प्रावधान है। इसके अलावा डीडीयू–जीकेवाई के तहत 5 विशेष परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनमें 1500 दिव्यांग उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना है। वित्तवर्ष 2016–17 में 662 उम्मीदवारों की तुलना में डीडीयू–जीकेवाई परियोजना के तहत वित्तवर्ष 2017–18 (फरवरी 2018 तक) में 912 दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (जी) में भी राज्यों के लिए यह प्रावधान है कि वह कम से कम 3 प्रतिशत दिव्यांग लाभार्थी सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना (जी) के तहत दिव्यांगों के लिए 5682 घर मंजूर किए गए जिनमें से 1655 घरों का निर्माण हो चुका है। ❑

ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार

–ए. सृजा

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ 30 लाख व्यक्ति रोजगार प्राप्ति की आयु में आ जाते हैं लेकिन मात्र 30 लाख रोजगार ही हर वर्ष सृजित हो रहे हैं। विशाल जनसंख्या जिसका हमेशा से ही लाभ मिलता रहा है, के लिए यह समय की मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक शक्ति का इस तरह से कौशल विकास किया जाए कि उन्हें डिजिटल भारत, ग्रामीण सड़क संपर्क, स्मार्ट शहरों का विकास, एक्सप्रेस मार्ग, स्वच्छ भारत– ग्रामीण जैसे कार्यों से सृजित होने वाले सकारात्मक उत्पादक रोजगार में लगाया जा सके।

भारत की जनसांख्यिकीय बढ़त का लाभ लेने के उद्देश्य से कौशल विकास के लिए वर्ष 2009 में पहली बार राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। इस नीति का लक्ष्य वर्तमान में लागू कौशल–तंत्र की सीमा और क्षमता बढ़ाकर बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप सभी तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित करना, जीवन पर्यंत ज्ञानार्जन का संवर्धन तथा सरकारी और निजी क्षेत्र के कौशल विकास संबंधी बहुविध प्रयासों का स्कूली शिक्षा में समावेशन एवं प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाना है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2009 में वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें संबंधित मंत्रालयों सहित सभी संबद्ध पक्ष भागीदार होंगे। प्रत्येक पांच साल में इस नीति की समीक्षा करने का प्रावधान रखा गया है।

कौशल विकास पारिस्थितिकी में आए बदलावों और कौशल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के दौरान मिले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में नई राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति की घोषणा की गई। नई नीति का लक्ष्य द्रुत गति, गुणवत्ता और दीर्घकालिकता के साथ कौशल उन्नयन नवाचारों को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं में चल रही कौशल गतिविधियों के लिए समावेशी तंत्र की व्यवस्था की गई है तथा इसके द्वारा शुरू की गई अनिवार्य उद्यमिता में वैतनिक और स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन का प्रावधान है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता अवसंरचना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कौशल मापदंडों के अनिवार्य रूप से मानकीकरण करने पर जोर देना भी इस नीति का लक्ष्य है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में लागू किए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिए वर्ष 2015 में एक समान मानक दिशानिर्देश बनाए गए थे। इन निर्देशों में निवेश मानकों, प्राप्त परिणाम, वित्तीय आबंटन के मानक, आबंटित कोष की प्रवाही व्यवस्था, कार्य की निगरानी व सही संचालन हेतु व्यवस्था और प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं का एम्पैनलमेंट (चयन) करने के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। वर्तमान में लगभग 20 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग एक समान मानकों पर आधारित 40 से अधिक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण दे रहे हैं।

कौशल विकास के लिए अवसंरचना के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए), राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ) आते हैं। वर्ष 2014 में इन सबका विलय कर एक नया विभाग 'कौशल विकास एवं उद्यमिता' गठित किया गया जिसे वर्ष 2014 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। राज्यों के स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू कराने के लिए राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे नोडल एजेंसी के रूप में राज्य कौशल विकास मिशनों की स्थापना करें।

राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) ने राष्ट्रीय कौशल

योग्यता अवसंरचना (एनएसक्यूएफ) को एकीकृत करने और उसे कार्यान्वित करने, एक ऐसा राष्ट्रीय योग्यताएं पंजिका (एनक्यूआर) विकसित करना जो सभी स्वीकृत योग्यताओं का संग्रह है, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वस्ति अवसंरचना (एनक्यूएएफ) विकसित करना, कौशल विकास पर एक ऐसा राष्ट्रीय डाटा बेस बनाकर संचालित करना जिसमें एक गतिशील श्रमिक बाजार सूचना प्रणाली भी तैयार की गई हो।

राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 में 24 प्रमुख सेक्टरों में 10.973 करोड़ रुपये की बढ़ी संसाधन आवश्यकता की पहचान की गई है और वर्ष 2022 तक श्रमशक्ति के रूप में लगभग 10.462 करोड़ व्यक्ति नए श्रमिकों के रूप में उपलब्ध होंगे। वर्ष 2022 तक लगभग 29.825 की वर्तमान श्रमशक्ति को पूर्व अध्ययन मान्यता (आरपीएल), फिर से कौशल प्राप्त करने और उसके उन्नयन की आवश्यकता पड़ेगी और 10.462 करोड़ नए श्रमिकों को फिर से कौशल प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा।

ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक फ्लैगशिप योजना है जिसे वर्ष 2015 में युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण लेकर अपने लिए बेहतर रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना रोजगार पाने के इच्छुक युवाओं को लघुकालीन प्रशिक्षण देने एवं वर्तमान श्रमशक्ति को मान्यता प्राप्त एवं संबद्ध प्रशिक्षण सहयोगी/प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से उनकी पूर्व अध्ययन मान्यता (आरपीएल) को मान्य करते हुए उन्हें रोजगार दिलवाने के लिए शुरू की गई थी। प्रशिक्षण में गुणवत्ता और मानकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जो इस प्रकार हैः केंद्रीय प्रत्यायन के लिए एक ठहराव वाला वेब–आधारित समाधान, देशभर में प्रशिक्षण केंद्रों को एकरूप (बेंचमार्क) करने के लिए एक्रीडिडेशन स्टैंडर्ड्स ग्रेडिंग मेट्रिक्स, रोजगार हेतु प्लेसमेंट, ब्रांडिंग, अवसंरचना जैसे मानकों के निगरानी संबंधी, निरंतर कार्य निष्पादन के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का मूल्यांकन करना, प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य करना, प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्लेसमेंट दिलवाने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहित करना, आदि।

दिसंबर 2017 तक लगभग 40.5 लाख प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें 27.56 लाख को लघुकालीन प्रशिक्षण दिया गया तथा 7.76 लाख को आरपीएल मिला व 05 लाख प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना में प्लेसमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें उद्यमिता भी शामिल है। योजना में महिलाओं को कुशल बनाने पर भी बल दिया गया है जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण अवधि में रुपये 1000/1500 प्रति माह का यात्रा भत्ता और प्लेसमेंट किए जाने के बाद अगले दो/तीन महीने तक रुपये 1450 प्रति माह की दर से प्लेसमेंट पश्चात् समर्थन दिया जाएगा जो उनके मूल निवास स्थान अथवा मूल निवास से दूर रहने पर निर्भर करेगा।

पीएमकेवाईवाई के अंतर्गत जनजातीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं चल रही हैं :

ब्रू परियोजना : इस परियोजना का उद्देश्य मिजोरम की ब्रू जनजाति का कौशल उन्नयन करना है जिसे विस्थापन होने के कारण उत्तरी त्रिपुरा में स्थित आंतरिक विस्थापित व्यक्ति केंद्रों (आईडीपी) में रहना पड़ रहा है। (ii) कतकरी मूल आदिवासी जनजाति : इस परियोजना का लक्ष्य महाराष्ट्र की कतकरी जनजाति के 1020 युवाओं का कौशल उन्नयन करना है। (iii) ओडिशा में कौशल विकास : परियोजना का लक्ष्य ओडिशा के 62 स्थानीय आदिवासी समुदायों के 12,000 प्रत्याशियों का कौशल उन्नयन करना है। इन 62 में से 13 समुदाय मूल आदिवासियों के रूप में वर्गीकृत हैं। (iv) परियोजना युवा (वाईयूवीए) दिल्ली पुलिस और एनएसडीसी द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 3000 वंचित युवाओं से संपर्क साध कर उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया और रोजगार दिलवाने में मदद की गई। ऐसा इन युवाओं को अपराध की दुनिया में जाने से रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के कार्य में पुलिस की सहायता करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया है। वर्तमान में 715 युवाओं का पंजीकरण किया गया है जिसमें से 390 को प्रशिक्षण दिया गया और उसमें से 240 युवकों को विभिन्न कंपनियों में नौकरी दिलवाई गई है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई)

डीडीयू–जीकेवाई निर्धन ग्रामीण युवाओं को उन्हें रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर श्रमशक्ति बाजार के अनुरूप तैयार करने की प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास की सशक्तीकरण योजना है। अक्टूबर 2017 तक डीडीयू–जीकेवाई के अंतर्गत 674 परियोजनाओं में 566 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र थे जो 28 राज्यों में 39 सेक्टरों में 329 प्रकार के रोजगारों के लिए 310 परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों के सहयोग से संचालित किए जा रहे थे। वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित 02 लाख प्रत्याशियों को कौशल प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के अंतर्गत 83,745 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनमें से भी 46,654 उम्मीदवारों को नौकरी दिलवाई जा चुकी है। मंत्रालय ने 12 नए चैंपियन नियोक्ताओं की पहचान कर ली है और उनके साथ उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट करवाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

डीडीयू–केवीवाई योजना के अंतर्गत युवाओं को 'कौशल पंजी' अथवा 'स्किल रजिस्टर' एप के माध्यम से स्वयं के कौशल प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत करवाने का विकल्प दिया जाता है। इससे ग्रामीण

युवा प्रशिक्षण सहयोगियों एवं बैंकों से जुड़े रह सकते हैं और उन्हें अपने आसपास के भर्ती शिविरों, प्रशिक्षण केंद्रों, रोजगार मेलों एवं प्रशिक्षण के नए बैचों के प्रारंभ होने की सूचना मिलती रहती है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटी)

ग्रामीण युवाओं की पारिवारिक आय में विविधता लाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी योजना ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटी) चलाई है। आरएसईटी एक त्रिमार्गी योजना है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारें और बैंक मिल कर चलाते हैं। इस योजना में 31 सहयोगी बैंकों ने पूरे देश में 586 आरएसईटी की स्थापना की है। ये कृषि, प्रसंस्करण (प्रक्रिया), उत्पाद और सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ईडीपी) पाठ्यक्रमों का प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं जिससे कि वे स्वयं का रोजगार/वैतनिक कार्य करने के लिए सक्षम हो सकें। वर्ष 2017–18 के लिए कौशल विकास हेतु निर्धारित 3.97 लाख प्रत्याशियों के लक्ष्य की तुलना में अभी तक 2.35 लाख प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया गया है और इसमें से भी 1.55 लाख प्रत्याशियों को रोजगार उपलब्ध करा कर स्थापित किया जा चुका है। स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2017 तक 25,409 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

ग्रामीण युवाओं के सशक्तिकरण और उत्थान के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने ऊर्जा (बिजली) मंत्रालय के सहयोग से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत छह राज्यों– असम, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया। युवाओं को दो प्रकार के कार्यों– लाइन मैन वितरण (डिस्ट्रिब्यूशन) (बहु–आयामी कौशल) एवं तकनीकी सहायक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कौशल विकास का उद्देश्य योजना के सबसे बड़े लक्ष्य पूरे देश में हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित कामगारों की आवश्यकता को पूरा करना है। इन प्रमुख छह राज्यों में कुल 47,000 युवाओं और पूरे देश में 55,000 युवाओं को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की अवसंरचनाओं और राज्यों के बिजली वितरण संस्थानों में उपलब्ध कौशल विकास सुविधाओं का प्रयोग किया जाएगा।

सहभागिता कौशल नवाचार

जल संसाधन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर : नमामि गंगे परियोजना के लिए कौशल प्रशिक्षित श्रमशक्ति का विकास करने के उद्देश्य से केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर :

सीमा सुरक्षा बल और राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (एन एसडीएफ), एन एसडीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसका उद्देश्य सीमा सुरक्षा बल के सेवारत, सेवानिवृत्त होने वाले एवं सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों और उनके परिवार जनों को लाभदायक रोजगार मुहैया कराने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा संचालित बहुआयामी कौशल विकास केंद्रों में ऐसे सभी संभावित लाभार्थियों को एनएसक्यूएफ आधारित कौशल प्रशिक्षण से संबद्ध करना सुनिश्चित किया जाता है। असम राइफल्स के साथ भी ऐसे ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ऊर्जा गंगा गैस पाइप लाइन परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर :

ऊर्जा गंगा गैस पाइप लाइन परियोजना के लिए कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता के उद्देश्य से एनएसडीसी, जीएआईएल, कौशल विकास संस्थान (एसडीआई), भुवनेश्वर और लेबरनेट के बीच एक चतुर्पक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता ज्ञापन ऊर्जा गंगा गैस पाइप लाइन परियोजना के पूरा होने में उच्च श्रेणी में गुणवत्ता और उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए त्रुटिरहित कौशल विकास गतिविधियों का संवर्धन और उन्नयन करने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगा।

प्रधानमंत्री कौशल केंद्र

कौशल प्रशिक्षण देने के लिए उद्योगों की नवीनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनके अनुरुप ही आधुनिकतम प्रशिक्षण उपकरण अत्यंत आवश्यक हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र ऐसे ही आदर्श कौशल विकास केंद्र हैं जिनमें औद्योगिक मानकों के अनुरूप कौशल विकास अवसंरचना के निर्माण, प्रशिक्षण और प्लेसमेंट पर पूरा ध्यान दिया जाता है। दिसंबर 2017 तक देश के 27 राज्यों के 484 जिलों हेतु 527 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से 328 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की स्थापना की जा चुकी है।

भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस)

आईटीईआई सिंगापुर की तर्ज पर देश के पांच क्षेत्रों में आधुनिकतम उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मुंबई में टाटा समूह के सहयोग से देश का पहला आईआईएस निर्मित किया जा रहा है। यह आईआईएस ऊर्जा सक्षम निर्माण, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ऑटोमेशन जैसे उच्चस्तरीय पाठ्यक्रमों में 'हैंड्स–ऑन' प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

शुल्क–आधारित प्रशिक्षण

एनएसडीसी द्वारा संचालित कौशल विकास के शुल्क आधारित मॉडल के अंतर्गत 74 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2017 में राजमिस्त्री, बिक्री तकनीशियन, रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, बीमा प्रशिक्षण, वॉशिंग मशीनों के लिए फील्ड

तकनीशियन जैसे मांग–आधारित पेशों में प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत 07 लाख प्रत्याशियों में से 50 प्रतिशत से अधिक को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है।

तक्षशिला (प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं का पोर्टल)

प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं का यह राष्ट्रीय पोर्टल एनएसडीसी का एक नवाचार है। यह पोर्टल प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रबंधन के लिए एक समर्पित मंच है और यह भारत की कौशल पारिस्थितिकी में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं के संग्रहालय की तरह कार्य करेगा। इसकी एक विशिष्टता ऐसे योग्य एवं कुशल पेशेवर प्रशिक्षकों के बारे में सूचना का मिलना है जिसके माध्यम से सभी राज्यों और क्षेत्रों में उपलब्ध कर्मचारी चयन आयोगों द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के बारे में आवश्यकतानुसार जानकारी सुगमता से उपलब्ध कराई जाएगी।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायपरक बनाना

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहभागिता से कौशल को शिक्षा से जोड़ने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहुत से महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक कार्यक्रमों में स्नातक उपाधि दे रहा है। दायित्व स्थानांतरण द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों की शिक्षा को 10वीं और 12वीं कक्षा के समकक्ष मान्यता की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप घटक को औपचारिक शिक्षा का भाग बनाकर डिग्री अप्रेंटिसशिप को वैकल्पिक शिक्षा के रूप में मान्यता दी गई है।

'तकनीकी शिक्षा संस्थान'

नक्सल–प्रभावित जिलों (एलडब्ल्यूई) में कौशल विकास

देश के 10 राज्यों के 47 नक्सल–प्रभावित जिलों में कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू किया गया है ताकि वहां रहने वाले युवा उचित कौशल प्रशिक्षण लेकर अपने लिए बेहतर जीवनयापन करने का जरिया अपना सकें।

उड़ान (यूडीएएएन)

उडान जम्मू–कश्मीर राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलाई जा रही अनूठी पहल है। इस योजना का उद्देश्य स्नात्तक/स्नातकोत्तर एवं त्रिवर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी युवाओं के कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देकर उन्हें निजी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार दिलवाना है। यह योजना निजी क्षेत्र कॉर्पोरेट्स के सहयोग से एनएसडीसी द्वारा चलाई जा रही है। लगभग 84 कॉर्पोरेट्स ने प्रशिक्षण देने के लिए उड़ान महाचयन अभियानों में अपनी सहभागिता की है।

हिमायत

जम्मू–कश्मीर के बेरोजगार युवाओं विशेषकर बीच में ही स्कूली/कॉलेज शिक्षा छोड़ देने वाले युवकों के लिए बनाया गया प्रशिक्षण– सह–प्लेसमेंट कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत युवाओं को उन कौशल कार्यक्रमों के लिए तीन महीने की लघु अवधि वाले प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिनकी बाजार में अच्छी मांग है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें मिले रोजगार में उनके कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के उद्देश्य से एक साल तक नजर रखी जाती है।

राष्ट्रीय कैरियर सेवा

राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना में एक डिजिटल पोर्टल बनाया गया है जिसमें रोजगार के इच्छुक युवाओं और नियोक्ताओं को एक ऐसा राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे वांछित कार्य/नौकरी की आवश्यकता पूर्ति त्वरित, सक्षम एवं सकारात्मक तरीके से हो सके और जिसमें विभिन्न प्रकार के कैरियर्स की पूरी जानकारी उपलब्ध रहे। 31 मार्च, 2018 तक इस पोर्टल पर 14.87 लाख नियोक्ताओं एवं 4.24 करोड़ रोजगार चाहने वालों ने अपना पंजीकरण करवाया था और इस पर 8.61 लाख रोजगार संबंधी नियुक्तियां भेजी गई थी। उपलब्ध रोजगारों तक युवाओं की पहुंच को बढ़ाने एवं रोजगार के अवसरों को समृद्ध करने के लिए प्रमुख जॉब पोर्टलों, प्लेसमेंट संगठनों और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ 22 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रधानमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (पीएम–वाईयूवीए)

इस योजना के अंतर्गत पांच वर्षों में देशभर में उच्च शिक्षा के चयनित संस्थानों (विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं प्रमुख संस्थाओं), स्कूलों. औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों एवं उद्यमिता विकास केंद्रों (ईडीसीश्ज) में उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, छात्रों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विशेषज्ञों, संरक्षकों, परिचालकों, कोष एवं वाणिज्यिक सेवाओं की सुदृढ़ व्यवस्था मिलेगी। अब तक 239 उच्च शिक्षा संस्थानों ने उद्यमिता शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने आप को एम्पैनल कराया है तथा 200 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्यमिता पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए हैं। पीएमके–वीवाई पाठ्यक्रमों के जीवन कौशल मॉड्यूल के अंतर्गत संपूर्ण रूप से परिष्कृत उद्यमिता ओरिएंटेशन मॉड्यूल को समाहित किया गया है जिससे पीएमके–वीवाई पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रत्येक प्रत्याशी को उद्यमिता में दिशानिर्देश मिल सकेगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में भी रोजगार सक्षम कौशलों के एक भाग के रूप में उद्यमिता मॉड्यूल को समाहित किया गया है।

ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (एम जी एन आर ईजीएस) का उद्देश्य ही प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक वयस्क व्यक्ति को,

जो स्वयं को अकुशल रोजगार के लिए प्रस्तावित करे, साल में 100 दिनों के सुनिश्चित भुगतान योग्य रोजगार देकर उपयोगी दीर्घकालिक परिसंपत्ति के निर्माण के जरिए सामाजिक समावेशन करना है। हाल के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशन के माध्यम से अवसंरचना निर्माण पर जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत पीएम एवाई–जी लाभार्थियों के लिए व्यक्तिगत रूप से घरों में शौचालय (आईएचएचएल) निर्माण, कृषि एवं तत्संबंधी कार्यों के लिए अवसंरचना निर्माण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान 4.63 करोड़ परिवारों को 163 लाख कार्यों के लिए रोजगार दिया गया और इस प्रक्रिया में 182 करोड़ मानव श्रम दिवसों के रोजगार का सृजन किया गया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) क्रियान्वित किया जा रहा है। यह एक प्रमुख ऋण– संबद्ध अनुदान कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परंपरागत हस्तकला वाले कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को सहायता देकर गैर–कृषि क्षेत्र में लघु–उद्योगों की स्थापना कर स्वरोजगार का सृजन करना है।

अप्रैल 2016 में शुरू की गई स्टैंडअप योजना के अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों द्वारा उनकी प्रत्येक शाखा से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कम से कम एक व्यक्ति और कम से कम एक महिला को 10 लाख रुपये से 01 करोड़ रुपये का ऋण विपणन, सेवाओं अथवा वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र में हरितक्षेत्र उद्योग लगाने के लिए दिया जाता है।

वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा (एमयूडीआरए) योजना में गैर–कृषि क्षेत्र में उद्योग लगाने अथवा व्यावसायिक कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से 10 लाख रुपये तक का समावेशी ऋण दिया जाता है। इसे तीन श्रेणियों– शिशु (50,000 रुपये तक), किशोर (50,000 रुपये – 05 लाख रुपये तक) और तरूण (05–10 लाख रुपये तक) में विभाजित किया गया है। 10.38 करोड़ मुद्रा ऋणों के माध्यम से अब तक 4.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। 76 प्रतिशत ऋण लाभार्थी महिलाएं और 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत आने वाले ऐसे नई भर्ती वाले कर्मचारी जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है, के लिए नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले 8.33 प्रतिशत अंशदान का भुगतान तीन वर्षों तक सरकार द्वारा किया जाता है। साथ ही वस्त्र निर्माण उद्योग, चमड़ा एवं जूते–चप्पल उत्पादन जैसे श्रमोन्मुख क्षेत्रों में नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) में किए जाने वाले 12 प्रतिशत के अंशदान का भुगतान सरकार द्वारा तीन साल के लिए दिया जाएगा।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ 30 लाख व्यक्ति रोजगार प्राप्ति की आयु में आ जाते हैं लेकिन मात्र 30 लाख रोजगार ही हर वर्ष सृजित हो रहे हैं। विशाल जनसंख्या जिसका हमेशा से ही लाभ मिलता रहा है, के लिए यह समय की मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक शक्ति का इस तरह से कौशल विकास किया जाए कि उन्हें डिजिटल भारत, ग्रामीण सड़क संपर्क, स्मार्ट शहरों का विकास, एक्सप्रेस मार्ग, स्वच्छ भारत– ग्रामीण जैसे कार्यों से सृजित होने वाले सकारात्मक उत्पादक रोजगार में लगाया जा सके।

(लेखिका सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार हैं।)
ई–मेल : srija.a@gov.in

रीड IAS
Reed
Reinventing Education

रीड IAS

Reinventing Education

An initiative of अभय कुमार

सिविल सेवा परीक्षा में उथल पुथल के काल में हिन्दी माध्यम...

प्रिय विद्यार्थियों,

2011 के उपरांत प्रारम्भिक परीक्षा में और 2013 के उपरांत मुख्य परीक्षा में, जब से नया पाठ्यक्रम आया है हिन्दी माध्यम के परिणाम अत्यंत चिंताजनक रहे हैं। इसके लिये आप निम्नांकित सारणी का विश्लेषण करें।

प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या			
वर्ष	यूपीएससी वार्षिक रिपोर्ट	हिन्दी माध्यम	अंग्रेजी माध्यम
2011	63rd Report / Page 96 / परिशिष्ट 13	1700	9316
2012	64th Report / Page 105 / परिशिष्ट 13	1976	9961
2013	65th Report / Page 79 / परिशिष्ट 12	1450	12287
2014	65th Report / Page 79 / परिशिष्ट 12	2165	13733
2015	66th Report / Page 83 / परिशिष्ट 8	2433	11790

क्या कभी आपने सोचा है कि हिन्दी माध्यम के लगातार गिरते परिणाम के पीछे क्या कारण हैं?

- प्रश्न पत्र में अनुवाद की समस्या इसका प्रमुख कारण नहीं रहा है बल्कि दो-दो वर्षों तक भेड़ चाल में परम्परागत पद्धति से तैयारी करने की प्रथा इसका प्रमुख कारण है।
- 20 से 25 बुकलेट के साथ सिर्फ और सिर्फ तथ्यात्मक अध्ययन सामग्री के माध्यम से अध्ययन भी इसका एक कारण है।
- परीक्षा की मांग और अपेक्षाओं के अनुरूप कक्षा कार्यक्रम का संचालन न होना भी इसमें शामिल है।
- टेस्ट सीरीज के नाम पर अधिक से अधिक संख्या में गैर-परीक्षोपयोगी प्रश्नों का अभ्यास इसी कड़ी में शामिल है।
- सामान्य अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों की सही प्राथमिकता के साथ तैयारी न करना भी महत्वपूर्ण कारण है।

सामान्य अध्ययन

निःशुल्क परिचर्चा तिथि व समय

3 जून सायं 7 बजे | 4 जून प्रातः 11:30 बजे | 12 जून दोपहर 3 बजे

अभय कुमार के साथ निःशुल्क परिचर्चा एवं मुख्य परीक्षा के चारों पेपर के निःशुल्क नोट्स वितरण कार्यक्रम में आपका स्वागत है।

परिचर्चा सत्र में पधारें और जानें

- हमारी टीम
- हमारे अध्यापन के तरीके
- हमारे नवनिर्मित नोट्स
- हमारी टेस्ट सीरीज
- उत्तर लेखन अभ्यास सत्र
- व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण सत्र
- बुक रिव्यू अध्ययन
- हमारी मासिक पत्रिका 'रीड IAS TODAY'
- हमारी ऑनलाईन सेवाओं के बारे में।

जब प्रारम्भिक परीक्षा में ही सफलता का प्रतिशत इतना कम है तो मुख्य परीक्षा और अंतिम परिणाम के नाम मात्र का होना अपरिहार्य है।

ऐसे ही दौर में रीड आईएएस सिविल सेवा का सपना लेकर दिल्ली आने वाले विद्यार्थियों के लिये एक विकल्प के रूप में उपस्थित है।

- बदलाव साथ आने से होता है, आज के बदलते दौर में डायनेमिक तरीके से सिविल सेवा की तैयारी करने की आवश्यकता है। पुराने तौर-तरीकों पर चल कर अपने युवा जीवन के महत्वपूर्ण 30-35 वर्ष बर्बाद न करें।
- हमारे कार्यालय में आकर निःशुल्क अध्ययन सामग्री प्राप्त करें।
- हमारे **Youtube Channel Reed IAS** को **subscribe** करें और तैयारी की नई पद्धति को अपनायें।
- हमारी **Website:- www.reedias.com** पर निरंतर गुणवत्तायुक्त अध्ययन सामग्री का निःशुल्क लाभ उठायें।
- रीड **IAS** की **E-Magazine** को **Website** से निःशुल्क प्राप्त करें।
- प्रारम्भिक परीक्षा के ठीक बाद मुख्य परीक्षा हेतु सारगर्भित, अद्यतन अध्ययन सामग्री का निःशुल्क लाभ उठायें।
- महंगी फीस देकर प्राप्त की गई अध्ययन सामग्री से हमारी निःशुल्क अध्ययन सामग्री की तुलना करें और निर्णय करें।

नोटः- मुख्य परीक्षा के निःशुल्क नोट्स हेतु हमारे कार्यालय में आ कर पंजीकरण कराएं, **धन्यवाद**

Reed IAS Add:- B-7/8 Shop No.4 Mezzanine Floor Bhandari House Commercial Complex Dr Mukherjee Nagar Delhi-9

9870309939

स्वास्थ्य की दिशा में सार्थक प्रयास

–आशुतोष कुमार सिंह

आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, इंद्रधनुष अभियान, नल–जल योजना, उज्ज्वला योजना सहित तमाम ऐसी योजनाएं बीते चार वर्षों में लागू हुई हैं। इसका सकारात्मक असर देश के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण एक क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव की तरह दिख रहा है। प्रत्येक गांव में आशा कार्यकर्ताओं की उपलब्धता ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को मजबूती प्रदान की है।

भारत की आत्मा गांवों में बसती हैं। यही कारण है कि आजादी से लेकर अभी तक भारत के गांवों को समृद्ध एवं सेहतमंद बनाने के लिए सरकारें नई–नई योजनाएं बनाती रही हैं। सेहतमंद भारत के लिए यह आवश्यक भी है कि गांवों की सेहत में सुधार किए जाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि सरकार की योजनाओं की कसौटी अंतिम जन होता है। गर अंतिम जन तक किसी भी लोक–कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि वह योजना धरातल पर सफल नहीं हो पाई है।

भारत के राजनीतिक इतिहास में 2014 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र में एक नई पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। इस सरकार ने आते ही स्वास्थ्य के मुद्दे को प्रमुखता से अपने एजेंडे में शामिल किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि स्वास्थ्य का विषय एक जन–आंदोलन बन गया।

2 अक्टूबर, 2014 को भारत सरकार ने 'स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत' अभियान की शुरुआत की। इसका असर यह हुआ कि पूरे देश में बड़े–बड़े सेलिब्रेटियों ने भी अपने हाथ में झाड़ू उठा लिया। गली–मुहल्लों में साफ–सफाई के लिए युवा स्वयंसेवक सामने आने लगे। बीते चार वर्षों में स्वच्छता आग्रहियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। गांवों में भी अब कोई गंदगी फैलाता हुआ नजर आता है तो छोटे–छोटे बच्चे इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वच्छ भारत अभियान बहुत बड़ा जन–आंदोलन बन चुका है और इससे भारत के गांवों को बहुत लाभ हुआ है।

इतना ही नहीं इस सरकार ने घर–घर शौचालय अभियान को भी जन–आंदोलन बनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि शौच के लिए बाहर जाने वालों की संख्या 30 फीसदी से भी कम रह गई है। इस अभियान ने एक सामाजिक क्रांति का रूप ले लिया है। जिस घर में शौचालय नहीं हैं, उस घर में लड़कियां शादी तक नहीं करना चाहती हैं। मीडिया में ऐसे कई मामले देखने–पढ़ने को मिले हैं जिसमें लड़की ने शादी करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि ससुराल पक्ष में शौचालय नहीं बना है। इस संदर्भ को सिनेमा जगत ने भी बड़े पर्दे पर बखूबी उकेरा है। 'टॉयलेट एक प्रेमकथा' फिल्म का उद्देश्य लोगों में शौचालय के महत्व के प्रति जागरुकता पैदा करना था। इतना ही नहीं, सभी घरों में शौचालय हो, इसके लिए सरकार ने आर्थिक मदद भी की है। सबसे ज्यादा बीमारी अस्वच्छ जल के कारण लोगों को होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार जल–नल योजना चला रही है। इसके तहत प्रत्येक घर को नल से जोड़ा जा रहा है, ताकि पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जा सके।

स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी

किसी भी देश का 'स्वास्थ्य बजट' वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होता है। यही कारण है कि भारत सरकार भी अपने स्वास्थ्य बजट को उत्तरोत्तर बढ़ाती जा रही है। रोगों के भार को कम करने के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत होती है। इस नजर से इस बार का स्वास्थ्य बजट भारत की तस्वीर बदलने वाला कहा जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले 12 फीसदी ज्यादा

बजट सेहत के मद में सरकार ने जारी किया है। इस बार 56,226 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। वर्ष 2014 के बाद प्रत्येक बजट में सरकार ने स्वास्थ्य के मद में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बजट आवंटन पर विशेष ध्यान दिया है। इस सरकार का ध्यान इस बात पर ज्यादा रहा कि लोग बीमार ही न पड़े। यही कारण है कि इस सरकार ने स्वास्थ्य के मसले को जन–आंदोलन बनाया; लोगों को भागीदार बनाया।

वित्तमंत्री के बजटीय भाषण में स्वास्थ्य की तस्वीर

1 फरवरी, 2018 को वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने अपने वित्तीय भाषण में 'स्वास्थ्य' विषय पर विशेष ध्यान दिया। वित्तमंत्री ने कहा कि, "हमारी सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सहायता और अवसर प्रदान करना है ताकि वह अपने आर्थिक और सामाजिक सपने को पूरा करने की अपनी पूरी संभावित क्षमता का उपयोग कर सके। सरकार सामाजिक–आर्थिक जातीय जनगणना के अनुसार वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा बच्चों, दिव्यांग जनों और वंचित लोगों के प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हेतु 2018–19 में 9975 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया' हमारी सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। मैं 'आयुष्मान भारत' में दो प्रमुख पहलों की घोषणा करता हूं। टी.बी पीड़ित सभी रोगियों को उनके उपचार की अवधि के दौरान 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पोषाहार हेतु सहायता प्रदान करने के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं। हम देश में मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करेंगे। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों के लिए कम से कम एक चिकित्सा महाविद्यालय हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों की परिकल्पना की गई है। ये 1.5 लाख केंद्र स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली को लोगों के घरों के पास लाएंगे। ये स्वास्थ्य केंद्र असंचारी रोगों, मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराएंगे। ये केंद्र आवश्यक दवाएं एवं नैसर्गिक सेवाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं इन केंद्रों को अपनाने में सीएसआर और लोकोपकारी संस्थाओं के जरिए निजी क्षेत्र को योगदान के लिए आमंत्रित करता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में लाखों परिवारों को इलाज के लिए उधार लेना पड़ता है या संपत्तियां बेचनी पड़ती हैं, सरकार निर्धन एवं कमजोर परिवारों की ऐसी दरिद्रता के बारे में अत्यधिक चिंतित है। अब हम 10 करोड़ से अधिक गरीब एवं कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को दायरे में लाने के लिए एक फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना प्रारंभ करेंगे। इसके तहत द्वितीयक एवं तृतीयक देखरेख के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक का वार्षिक कवरेज प्रदान किया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम होगा। 'आयुष्मान भारत' की यह दो पहल वर्ष 2022 तक एक नए भारत की निर्माण करेंगी।'

30 अप्रैल, 2018 से आयुष्मान भारत के अंतर्गत वेल इक्विप्ड आरोग्य केंद्र खुलने शुरू हो चुके हैं। जिस दिन डेढ़ लाख आरोग्य केंद्र खुल जाएंगे, निश्चित रूप से ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य जरूरतों को बहुत हद तक पूर्ण किया जा सकेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च के मामले में भारत की स्थिति

भारत में कुल जीडीपी में महज 1.4 फीसदी स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में 170 देशों में से भारत 112वें स्थान पर है। चीन में कुल जीडीपी का 3 फीसदी स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया जाता है। वैश्विक औसत स्वास्थ्य खर्च जीडीपी का 5.4 फीसदी है। अन्य देशों का स्वास्थ्य पर जीडीपी का खर्च तालिका–1 में देखें। यहां यह समझना भी जरूरी है कि लोग बीमार न पड़े, इसके लिए भी सरकार अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे मद में खर्च कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ जल, पोषण अभियान जैसे मदों में भी सरकार खर्च कर रही हैं, जिसका संबंध स्वास्थ्य से ही हैं। कई विशेषज्ञों का मानना हैं कि जीडीपी के आधार पर स्वास्थ्य के मद में किए जा रहे खर्च प्रतिशत के आंकड़े भारत के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह सटीक नहीं माने जाने चाहिए।

स्वास्थ्य की दिशा में सरकारी कदम

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के 31 पृष्ठों के अपने मसौदे में भारत को स्वस्थ रखने की अपनी नीतियों को प्रस्तुत किया है। पृष्ठ 9 के अनु. 3.2 में बचावात्मक स्वास्थ्य नीति का उल्लेख किया गया है। इसमें सरकार ने कहा है कि किस तरह लोग बीमार न पड़े इसके लिए काम करना जरूरी है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वस्थ एवं संतुलित आहार एवं नियमित व्यायाम, तंबाकू एवं शराब के प्रति जागरूकता फैलाना, यात्री सुरक्षा–रेल और सड़क हादसों से हो रही मौतों को रोकना, निर्भया नारी–लैंगिक हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करना और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं आंतरिक एवं बाह्य प्रदूषण को कम करना जैसे लक्ष्यों को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है।

इसी तरह नई स्वास्थ्य नीति के अनु.4.2 में किशोर स्वास्थ्य को बेहतर करने की बात कही गई है।

तालिका–1 देश में स्वास्थ्य पर खर्च

देश	जीडीपी (प्रतिशत में)
भारत	1.4
अमेरिका	18.1
जर्मनी	11.3
फ्रांस	11.0
जापान	10.9
इटली	8.9
कनाडा	10.6
ब्रिटेन	9.7
पाकिस्तान	0.7
नेपाल	2.3
श्रीलंका	2.0

आयुष्मान भारत : एक सार्थक पहल

विगत 22 मार्च, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल केबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन में केंद्रीय सरकार का हिस्सा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध होगा, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यक्रम है। इस बावत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा का कहना है कि एनएचपीएम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह स्वास्थ्य खर्च की भयावहता से 50 करोड़ लोगों (10 करोड़ परिवारों) को सुरक्षित करेगा। इससे देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या को लाभ मिलेगा। यह योजना अस्पताल में भर्ती होने के द्वितीयक और तृतीयक–स्तर को कवर करेगी। गौरतलब है कि पांच लाख रुपये की कवरेज वाली इस योजना में परिवार के आकार और उम्र की कोई सीमा नहीं रहेगी। इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल होने के वक्त यह योजना गरीब और कमजोर परिवारों की मदद करेगी। सामाजिक–आर्थिक–जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर समाज की गरीब और असहाय जनसंख्या को आयुष्मान भारत–एनएचपीएम योजना से वित्तीय मदद मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' (आरएसबीवाई) तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस) एनएचपीएम में शामिल कर दी जाएंगी। सरकार द्वारा वित्तपोषित यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना होगी। लोग सरकारी और अधिसूचित निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। सभी सरकारी अस्पतालों को इस योजना में शामिल किया गया है। निजी अस्पतालों की ऑनलाइन सूची बनाई जाएगी। निश्चित रूप से सरकार का यह प्रयास सार्वभौमिक स्वास्थ्य की दिशा में एक सार्थक कदम है।

इस दिशा में सरकार विद्यालयी पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य और स्वच्छता को शामिल करने का विचार कर रही है। वहीं किशोरों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए प्रयत्नशील है। किशोरों को समुचित पोषण मिल सके, उनकी मानसिक समस्याओं का निदान हो सके; इस दिशा में सरकार चिंतनशील है। अनु.4.3 में कुपोषण एवं अन्य पोषक कमियों को दूर करने की बात कही गई है। इसमें यह माना गया है कि पोषण के अभाव के कारण बीमारियों का बोझ बढ़ता जा रहा है। खासतौर से एनीमिया एक प्रमुख बीमारी के रूप में सामने आई है। इससे निजात पाने के लिए सरकार स्कूली–स्तर पर आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए की गोलियां वितरित कर रही है। वहीं अनु. 4.7 में मानसिक स्वास्थ्य एवं अनु.5 में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से निजात पाने के उपायों पर सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2017 में 15 वर्षों के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई। 15 मार्च, 2017 को मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 को अपनी स्वीकृति दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सरकार ने यह संकल्प लिया है कि 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी का 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारत सरकार स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का बड़ा पैकेज उपलब्ध कराने के प्रति कृत संकल्प है। इसी संकल्प का असर इस बार के बजट में भी देखने को मिला है।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'

लड़कों के मुकाबले लड़कियों की लिंगानुपात में कमी से पूरा देश चिंतित है। लड़कियों को गर्भ में ही मार देना एक सामाजिक बीमारी के रूप में सामने आया है। भ्रूण हत्या न सिर्फ एक बेटी की हत्या है बल्कि एक मां के लिए मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना का कारण भी है। इस बीमारी को दूर करने के लिए सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम लड़कियों का मान बढ़ाने और उनके अधिकारों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। 161 जिलों में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के परिणाम अत्यधिक उत्साहवर्धक हैं। वर्ष 2015–16 और 2016–17 की अवधि में 104 जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में सुधार देखा गया, 119 जिलों में एएनसी पंजीकरण की तुलना में पहली तिमाही में पंजीकरण में प्रगति दर्ज हुई और 146 जिलों में अस्पतालों में प्रसव कराने की स्थिति में सुधार हुआ। इतना ही नहीं समाज भी बेटियों के स्वास्थ्य के मुद्दे पर ज्यादा सक्रिय हुआ है। बिहार समस्तीपुर में एक चिकित्सक हैं डॉ. एन. के आनंद। वे 'स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज' के ध्येय को लेकर आगे चल रहे हैं और अभी तक 7000 से अधिक बालिकाओं का निःशुल्क इलाज कर चुके हैं। इसी तरह पुणे में डॉ. गणेश राख हैं, जो बेटियों के जन्म पर पैसा नहीं लेते बल्कि उनके जन्म को सेलीब्रेट करते हैं। उपरोक्त बदलाव विगत चार वर्षों में ज्यादा देखने को मिले हैं।

मिशन सघन इंद्रधनुष

अंग्रेजी में एक कहावत है 'प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर' यानी किसी भी बीमारी को रोकने का सबसे उत्तम उपाय बचाव है। इस बात को सरकार भी मानती है। और इस दिशा में टीकाकरण अभियान चला रही है। देश के नौनिहालों को बीमारी से बचाने के लिए सरकार टीकाकरण पर बहुत जोर दे रही है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि टीके से किसी रोग का इलाज संभव है तो किसी भी बच्चे को टीके का अभाव नहीं होना चाहिए। गुजरात के वडनगर में सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए भारत सरकार ने दो वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे और उन गर्भवती माताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है जो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह सुविधा नहीं पा सकी हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेष अभियान के तहत टीकाकरण पहुंच में सुधार के लिए चुने हुए जिलों और राज्यों में

दिसंबर 2018 तक पूर्ण टीकाकरण से 90 प्रतिशत से अधिक का लक्ष्य रखा गया है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 2020 तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 90 प्रतिशत क्षेत्रों को शामिल किया जाना है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस कार्यक्रम को 11 अन्य मंत्रालय और विभाग भी अपना समर्थन प्रदान कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज, शहरी विकास, युवा कार्य एवं अन्य मंत्रालयों ने सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है।

प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना

लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सके, इसके लिए सरकार ने तीव्रगति से 3350 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खुलवाए हैं। इस वर्ष के अंत तक इसकी संख्या 4000 तक होने की संभावना है। इन केंद्रों पर 100 रुपये बाजार मूल्य की दवा 10–15 रुपये में उपलब्ध है। देश की गरीब जनता के लिए ये केंद्र बहुत उपयोगी हैं। गौरतलब है कि महंगी दवाइयों के कारण देश की 3 फीसदी जनता गरीबी–रेखा से उबर नहीं पा रही थी। ऐसे में जनऔषधि केंद्रों की बढ़ती उपलब्धता एक क्रांतिकारी बदलाव है।

वर्तमान में स्वास्थ्य चुनौतियां

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 के अनुसार भारत में 6.8 फीसदी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन किया है। 4.4 फीसदी शहरी क्षेत्र एवं 8.1 फीसदी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने तंबाकू का सेवन किया है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे–3 के परिणाम से बेहतर है, तब 10.8 फीसदी महिलाएं तंबाकू का सेवन करती थीं। इस सर्वे के अनुसार भारत का 44.5 फीसदी पुरुष वर्ग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहा है। शहरी क्षेत्र में 38.9 फीसदी जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 48 फीसद पुरुष तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। पिछले सर्वे में भारत के 57 फीसदी पुरुष तंबाकू सेवन करते थे। इस सर्वे में यह भी सामने आया है कि देश की 1.5 फीसदी महिलाएं शराब का सेवन कर रही हैं, जिसमें 0.7 फीसदी शहरी एवं 1.5 फीसदी ग्रामीण महिलाएं हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे–3 के अनुसार 2.2 फीसदी महिला आबादी शराब का सेवन करती थी। वहीं 29.2 फीसदी पुरुष आबादी शराब का सेवन करती है, शहर में रहने वाले 28.7 एवं गांव में रहने वाले 29.2 फीसदी पुरुष शराब का सेवन करते हैं। युवाओं में शराब पीने की लत से तकरीबन 60 प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आई हैं। इसका सीधा संबंध आपके हिंसायुक्त व्यवहार से भी है। भारतीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे–4 (आईएफएचएस–4) की रिपोर्ट में पोषण संबंधित आंकड़ों को दिया गया है। इस सर्वे के अनुसार 22.9 फीसदी ऐसी महिलाएं हैं जिनका बीएमआई सामान्य से कम है। शहरी महिलाओं में यह स्थिति 15.5 फीसदी है तो ग्रामीण महिलाओं में यह 26.7 फीसदी है। आईएफएचएस–3 के सर्वे में देश की 35.5 फीसदी महिलाओं का बीएमआई सामान्य से कम था। इन आंकड़ों को देखकर यह तो कहा जा सकता है कि सुधार हो, रहा है लेकिन यह सुधार और तीव्र गति से हो इसके लिए पहल किए जाने की जरूरत है।

ध्यान देने योग्य अन्य बिंदु

- **जन्म के समय लिंगानुपात–** जोकि प्रति एक हजार बच्चों पर बच्चियों की संख्या से जाना जाता है, सुधर कर 914 से 919 हो गया है। सुधार की यही गति रही तो लिंगानुपात पूरा ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
- शिशु मृत्यु दर कम होकर 57 से 41 पर आ गई। इस मामले में विश्व का औसत 30.5 और विश्व का सर्वोत्तम 2 है। वैश्विक मानदंड पर आने में अभी बहुत समय लगेगा।
- पांच साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कम होकर 74 से 50 पर आ गई। इस मामले में विश्व का औसत 41 और विश्व का सर्वोत्तम 2.1 है।
- पांच साल से कम आयु के बच्चों में, प्रत्येक दो में से एक खून की कमी का शिकार है। प्रत्येक तीन में से एक अपेक्षित वजन से कम और कुपोषित है और प्रत्येक पांच में से एक दुर्बल है।
- बच्चों के पोषण और उनकी सेहत की परवाह नहीं की है, इसलिए हमारे मानव संसाधन की गुणवत्ता शोचनीय है। आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर तकनीकी प्रगति और सामाजिक सौहार्द तक, सब कुछ मानव पूंजी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। डॉक्टरों पर हमारे मानव संसाधन को पल्लवित–पुष्पित करने का उत्तरदायित्व है, खासकर हमारे बच्चों के संदर्भ में, पर डॉक्टर बहुत कम हैं। भारत में 1681 लोगों पर एक डॉक्टर है (2016 का आंकड़ा) और 11,528 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि एक हजार लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हम हर साल सिर्फ 55 हजार स्नातक चिकित्सक और 25 हजार परास्नातक चिकित्सक तैयार करते हैं। हर चिकित्सक पर कम से कम दो चिकित्सकों के काम का भार है।

निष्कर्ष

आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, इंद्रधनुष अभियान, नल–जल योजना, उज्ज्वला योजना सहित तमाम ऐसी योजनाएं बीते चार वर्षों में लागू हुई हैं। इसका सकारात्मक असर देश के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण एक क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव की तरह दिख रहा है। प्रत्येक गांव में आशा कार्यकर्ताओं की उपलब्धता ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को मजबूती प्रदान की है। बावजूद इसके भारत जैसे बड़े भूभाग एवं जनसंख्या वाले देश के लिए अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को सेहतमंद बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को इस सरकार ने बीते चार वर्षों में सफलतापूर्वक स्वीकार किया भी है। अगले कुछ वर्षों में सरकारी–स्तर पर उठाए गए कदमों का प्रभाव दिखाई देगा।

(लेखक स्वस्थ भारत अभियान से जुड़े हैं।)
ई–मेल : forhealthyindia@gmail.com

भारत 2018

भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारियों से परिपूर्ण पुस्तक

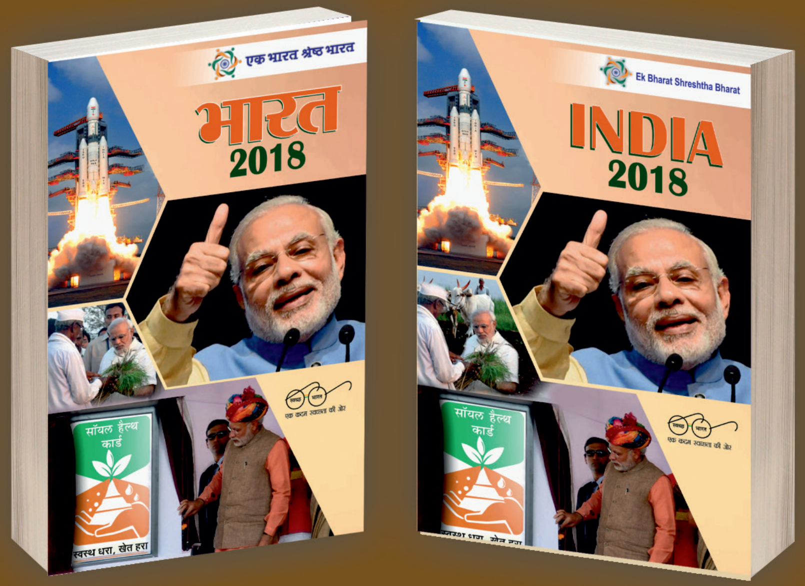

amazon.in और play.google.com पर
'ई बुक' के रूप में भी उपलब्ध

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार

सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

ऑनलाइन आर्डर के लिए
लॉग इन करें – www.bharatkosh.gov.in
या www.publicationsdivision.nic.in
अथवा संपर्क करें –
फोन – 011 24367453, 24367260, 24365609

प्रकाशन विभाग की अत्याधुनिक पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन में पधारें

@ DPD_India
www.facebook.com/publicationsdivision
www.facebook.com/yojanaJournal

महिलाओं की उन्नति के खुलते नए द्वार

–सिद्धार्थ झा

राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी भागीदारी को सुनिश्चित और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है ताकि महिलाएं स्वावलंबी बनें, शिक्षित हों, सुरक्षित महसूस कर सकें और देश की उन्नति में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर सकें।

महिलाओं के प्रति आदर और गौरवपूर्ण व्यवहार हमारे देश के चिंतन का मूलभूत सिद्धांत रहा है और महिलाओं ने समाज के आधे हिस्से के रूप में आदिकाल से लेकर आज तक हर क्षेत्र में अपनी प्रमाणिकताएं, प्रासंगिकताएं, क्षमता और सामर्थ्य का भरपूर परिचय दिया है। एक महिला सशक्त होती है, तो वह दो परिवारों को सशक्त बनाती है। प्राचीनकाल में भी महिलाएं शक्ति का उदाहरण थीं। वे ज्ञान का भंडार थीं। किंतु, एक समय ऐसा आया कि महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया। किंतु, ये समय भी अधिक समय तक नहीं टिका। एक बार फिर से महिलाएं घर की चौखट से बाहर आने लगी हैं। आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं।

दरअसल महिला सशक्तिकरण के बिना देश व समाज का विकास अधूरा है। इसमे कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास से ही नए भारत की नींव पड़ेगी। मोदी सरकार जब 2014 मे सत्ता में आई थी तो आधी आबादी में ये उम्मीद जागी थी कि अब उनके भी नए सफर की शुरुआत यहीं से होगी। आपको याद होगा कि वर्ष 2012 में थामसन रायटर्स फाउंडेशन के द्वारा 19 उभरते हुए देशों में किए गए सर्वे में भारत सबसे निचले पायदान पर था और उसकी वजह बाल विवाह, दहेज, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या जैसे कारण गिनाए गए। ये वो दौर था जब यूपीए की अध्यक्ष, राष्ट्रपति और लोकसभाध्यक्ष इन सभी पदों की शोभा महिलाएं ही बढ़ा रही थीं। एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार ने अपने शुरुआती कामों से ही ये संकेत देने शुरू कर दिए थे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर वो कितनी गंभीर है। सरकार महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है।

सरकार महिलाओं के लिए पिछले कुछ समय में अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। संभवतः किसी एक आलेख मे इसे समेट पाना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा

100 और वन स्टॉप सेंटर

आने वाले वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में एक वन स्टॉप सेंटर का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक वन स्टॉप सेंटर को 50,000 रूपये की अतिरिक्त वार्षिक धनराशि प्राथमिक चिकित्सा के लिए दी जाएगी। 21 अप्रैल, 2018 को हुए कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इस बीच महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 100 और वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) को मंजूरी दे दी है। ये केंद्र हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में निर्मित किए जाएंगे।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2015 से अब तक 182 वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) का निर्माण किया है। ये केंद्र हिंसा से पीड़ित महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराते हैं। अब तक 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1.3 लाख से ज्यादा हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई गई है।

ओएससी का उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एकीकृत सहायता की सेवा उपलब्ध कराना है जैसे पुलिस सहायता, मेडिकल सहायता, मानसिक –सामाजिक परामर्श, कानूनी सहायता, पांच दिनों का अस्थाई निवास आदि। पीड़ित महिला एक छत के नीचे विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकती है। वन स्टॉप सेंटर का निर्माण मानक प्रारूप में वर्तमान में उपलब्ध भवनों तथा नए भवनों में किया गया है। रायपुर, छत्तीसगढ़ का वन स्टॉर सेंटर एक शानदार भवन में कार्यरत है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2018 के अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

मंत्रालय की महिला हेल्पलाइन–181 को सार्वभौमिक बनाने का कार्य अप्रैल, 2015 से शुरू किया गया है और अब यह 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित है। प्रत्येक ओएससी को महिला हेल्पलाइन से जोड़ा गया है। इन हेल्पलाइनों के जरिए अब तक 16.5 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना का शुभारंभ किया गया। जिसके द्वारा सरकार की ये कोशिश है कि गिरते लिंगानुपात के मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया जाए। साथ ही लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकना इसका मुख्य मकसद है। जिसके लिए बालिकाओं के लिए सुरक्षा, शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना है। इस पहल को लोगों ने हाथों–हाथ लिया क्योंकि ये सरकारी पहल से कहीं अधिक सामाजिक पहल थी। हरियाणा से ही इस योजना का शुभारंभ करने का संदेश साफ था क्योंकि वहां समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस योजना का परिणाम हरियाणा में काफी हद तक दिखाई देने भी लगा है, जहां हर 1000 पुरुषों के लिए लिंग अनुपात 950 महिलाओं तक पहुंच गया है। हाल तक यहां के आंकड़ें काफी चिंताजनक थे।

इसके कुछ ही महीने बाद केंद्र सरकार बलात्कार, यौन हिंसा जैसे घृणित अपराध से महिलाओं और बच्चियों की रक्षा के लिए **वन स्टॉप सेंटर स्कीम** लेकर आई जिसे पहली अप्रैल 2015 से निर्भया फंड से लागू किया गया। यह योजना भारत के विभिन्न शहरों के अलग–अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत यह योजना उन महिलाओं को शरण देती है जो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। इसके तहत पुलिस डेस्क, कानूनी, चिकित्सा और परामर्श सेवाएं देने का काम किया जाता है। इस योजना के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 है। इस हेल्पलाइन का भी सार्वभौमिकरण किया गया यानी सभी राज्यों में ये हेल्पलाइन नंबर मान्य है। इतना ही नहीं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाएं रोकने के लिए ई–प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। इस ई–प्लेटफॉर्म की सुविधा के माध्यम से केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी ऐसे मामलों में ऑनलाइन ही शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा के उद्देश्य से यौन उत्पीड़न से रक्षा के लिए यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 को भी कार्यान्वयन में लाया गया है। **हाल में ही बच्चियों के साथ बढ़ती हुई दरिंदगी पर चिंतित सरकार पासको एक्ट में भारी बदलाव करते हुए 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों के लिए फांसी का अध्यादेश लेकर आई है जिसका सभी ने दलगत भावना से ऊपर उठकर स्वागत किया है।** इतना ही नहीं बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए फास्ट ट्रेक अदालतों का भी गठन किया गया है जिसको एक निश्चित समय–सीमा में फैसला करना होता है। इतना ही नहीं कैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है इसका प्रमाण है सरकार की ये दूरगामी सोच जिसके तहत मोबाइल फोन और कैब में पैनिक बटन का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं और बहुत हद तक ये सुविधा उपयोग में लाई जाने लगी है। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या आज भी बहुत कम है। ऐसे में महिलाओं के साथ हुई किसी अप्रिय घटना में पुलिस की भूमिका कैसे संवेदनशील हो सकती है इसके लिए जरूरी है महिलाओं की भागीदारी पुलिस बल में बढ़े। इसके लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत पुलिस में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन उपायों से देश भर की महिलाओं के मन में सुरक्षा की भावना व्याप्त होगी। ये सभी योजनाएं एक–दूसरे से जुड़ी हैं। सभी मंत्रालयों के बीच

बेहतर समन्वय करने की बेहतरीन कोशिश की गई है वरना अब तक पीड़िता को न्याय के लिए दर–दर भटकना पड़ता था। एक डेस्क से दूसरे डेस्क और न्याय की संभावनाएं भी धूमिल हो जाती थी। लेकिन निश्चिंत तौर पर उपरोक्त सुधारों से महिलाएं कहीं न कहीं सुरक्षित महसूस कर रही होंगी।

महिलाओं को सशक्त करना है तो जरूरी है कि उनको आत्मनिर्भर बनाना होगा। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के इरादे से तमाम ऐसी योजनाएं लेकर आई जिसने आधी आबादी की नींव को मजबूत किया है। अगर हम कामकाजी महिलाओं की बात करें तो हम पाएंगे कि बड़ी संख्या में महिलाएं सिर्फ निजी क्षेत्र में इसलिए नौकरी छोड़ देती हैं क्योंकि मां बनना एवं बच्चे का पालन–पोषण उनके कैरियर की राह मे बहुत बड़ी बाधा साबित होता है। सरकार ने 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में एक निश्चित दूरी पर क्रेच सुविधा उपलब्ध कराना भी अनिवार्य कर दिया है, ताकि महिलाएं अपने छोटे बच्चों को वहां छोड़ सकें। महिलाओं को मातृत्व अवकाश के समय घर से भी काम करने की छूट दी गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए नया मातृत्व लाभ संशोधित अधिनियम 1 अप्रैल, 2017 से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत **कामकाजी महिलाओं के लिए वैतनिक मातृत्व अवकाश** की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है।

मातृत्व लाभ कार्यक्रम 1 जनवरी, 2017 से लागू है। इसके अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले दो जीवित शिशुओं के जन्म के लिए तीन किस्तों में 6000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। साथ ही काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास आसानी से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्किंग वुमेन होस्टल भी बड़ी संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं जहां पर उनके बच्चों के देखभाल की सुविधा और जरुरत की हर चीज आसपास उपलब्ध हो। यह योजना शहरी, अर्ध–शहरी और ग्रामीण सभी जगह पर उपलब्ध है जहां पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजनाएं और अन्य प्रयास महिला सशक्तीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ये सब बातें महिला सशक्तिकरण के संबंध में इस सरकार की प्रतिबद्धता को ही दिखाती है। इसी तरह उनको उद्यमी बनाने की दिशा में मुद्रा योजना मील का पत्थर साबित हुई है। इस योजना का लाभ किसी भी बैंक से लिया जा सकता है। सरकार ने यह योजना संगठित क्षेत्र में कारोबार करने वाली महिलाओं को देखते हुए बनाई है जिसमें महिलाओं को 50 हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण आसानी से बिना गारंटर के मिल जाता है। इस दिशा में सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक भी अहम भूमिका निभा रहे हैं जिससे कि महिलाएं भी कारोबार के क्षेत्र में बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले सकें। इन योजनाओं को वुमन स्पेशल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इनमें महिला वैभव लक्ष्मी, महिला शक्ति, मुद्रा स्कीम जैसी तमाम स्कीमों पर सस्ती दरों पर ऋण मिल रहा है। मुद्रा लोन के तहत 70 फीसदी लोन महिला उद्यमियों को दिए गए।

महिला ई–हाट एक अनोखा ऑनलाइन मंच है जहां महिलाओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है, साथ ही सरकार के इस कदम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत बनने का अवसर भी मिल रहा है। इस योजना का मुख्य फोकस घर पर रहने वाली महिलाओं पर है। उन्हें ही ध्यान में रखकर ये योजना शुरू की गई है। इसके लिए महिला एवं बाल

- स्टैंडअप इंडिया के तहत 8000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण महिलाओं को दिया गया।
- उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं।
- जन–धन खातों से करीब 16.5 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।
- राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयंसहायता समूहों को दी जाने वाली राशि में पिछले चार वर्षों में 175 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- मुद्रा योजना से 9 करोड़ महिलाओं को लाभ।
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत देशभर में बेटियों के नाम करीब सवा करोड़ बैंक खाते खुले जिनमें 19000 करोड़ रुपये से अधिक रकम जमा हुई।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत एक करोड़ से अधिक प्रेग्नेंसी चैकअप प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक महिलाओं को 271.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- मिशन इंद्रधनुष के तहत 80 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण।

विकास मंत्रालय ने एक मंच तैयार किया है जिसके माध्यम से महिलाएं अपने हुनर के जरिए कमाई भी कर सकती हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ई–हाट तीन चरणों की श्रृंखला का पहला चरण मात्र है। दूसरे चरण में व्यापार और वाणिज्य के साथ एक बड़ा मंच प्रदान करने के लिए ई–कॉमर्स पोर्टल के साथ जुड़ना होगा और आखिरकार, यह एक महिला उद्यमियों के परिषद के रूप में परिणत हो रहा है, जो इस उद्यम को व्यापक बनाने और संस्थागत बनाने में मदद करेगा।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

इस योजना के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। लिंगानुपात बेहतर हुआ है और लड़कियों की स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने के मामलों में भी कमी आई है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना वर्तमान में यह योजना देश में 161 जिलों में लागू है और इसमें 244 नए जिलों को जोड़ा गया है। इस योजना का विस्तार भारत के सभी 640 जिलों में किया जाना है। शेष 235 जिलों को मीडिया व जागरूकता अभियान द्वारा जोड़ा जाएगा।

सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा लड़की की सुरक्षा और भविष्य के साथ–साथ समाज में सकारात्मक मानसिकता बनाने के प्रयास के रूप में ही शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत जन्म से लेकर 10 साल तक की कन्याओं के खाते डाकघर में खोले जाते हैं। इन खातों में जमाराशि पर 8.1 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देने का प्रावधान है। बेटियों की शिक्षा और समृद्धि की यह योजना अभिभावकों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए 'नई रोशनी योजना' बनाई गई है ताकि वे उद्यमशीलता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।

हाल ही में, सरकार ने एक नई कल्याण योजना 'महिला शक्ति केंद्र योजना' को मंजूरी दी है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना को शुरू करने के बाद केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य समुदाय की भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है।

असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर वातावरण में अपने परिवारों के लिए खाना पकाने वाली महिलाओं की तो जिंदगी ही बदल गई है। लकड़ी से निकलने वालें धुएं और स्टोव के धुएं के खतरनाक प्रभाव से महिलाओं को मुक्त करने के लिए **उज्ज्वला योजना** शुरू की गई। गरीबी–रेखा के नीचे (बीपीएल) के परिवारों को बेहतर जीवन के लिए सरकार ने उन्हें बेहतर और स्वस्थ वातावरण प्रदान किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी–रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित किए गए। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगले तीन सालों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 5 करोड़ से अधिक महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 8000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके अलावा, पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं आज भी जारी हैं जिससे महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य में लगातार सफलता मिल रही है।

अब सबकी नजरें संसद की तरफ है जहां संसद में महिलाओं को 33 फीसदी हिस्सेदारी मिले। राज्यसभा में ये बिल पहले ही पास हो चुका है लेकिन लोकसभा में अभी इसकी राह आसान नहीं हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो लोकसभा की 543 में से 179 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी जबकि राज्य विधानसभाओं की 4120 सीटों में से 1360 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी यानी महिलाओं को साथ लेकर देश के विकास का स्वप्न साकार होने का रास्ता खुलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि तीन तलाक को गैर–कानूनी घोषित करने संबंधी बिल लोकसभा मे पास करने के बाद केंद्र महिला आरक्षण बिल को लेकर सक्रिय हो गई है।

हर रोज आसानी से हमारी जिंदगियों में कई अहम भूमिकाएं निभाने वाली महिलाएं निर्विवाद रूप से किसी भी समाज की रीढ़ होती हैं। राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए भी महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी भागीदारी को सुनिश्चित और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है ताकि महिलाएं स्वावलंबी बनें, शिक्षित हों, सुरक्षित महसूस कर सकें और देश की उन्नति में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर सकें।

(लेखक लोकसभा टीवी में पत्रकार हैं।)
ई–मेल : sidharthjha@gmail.com

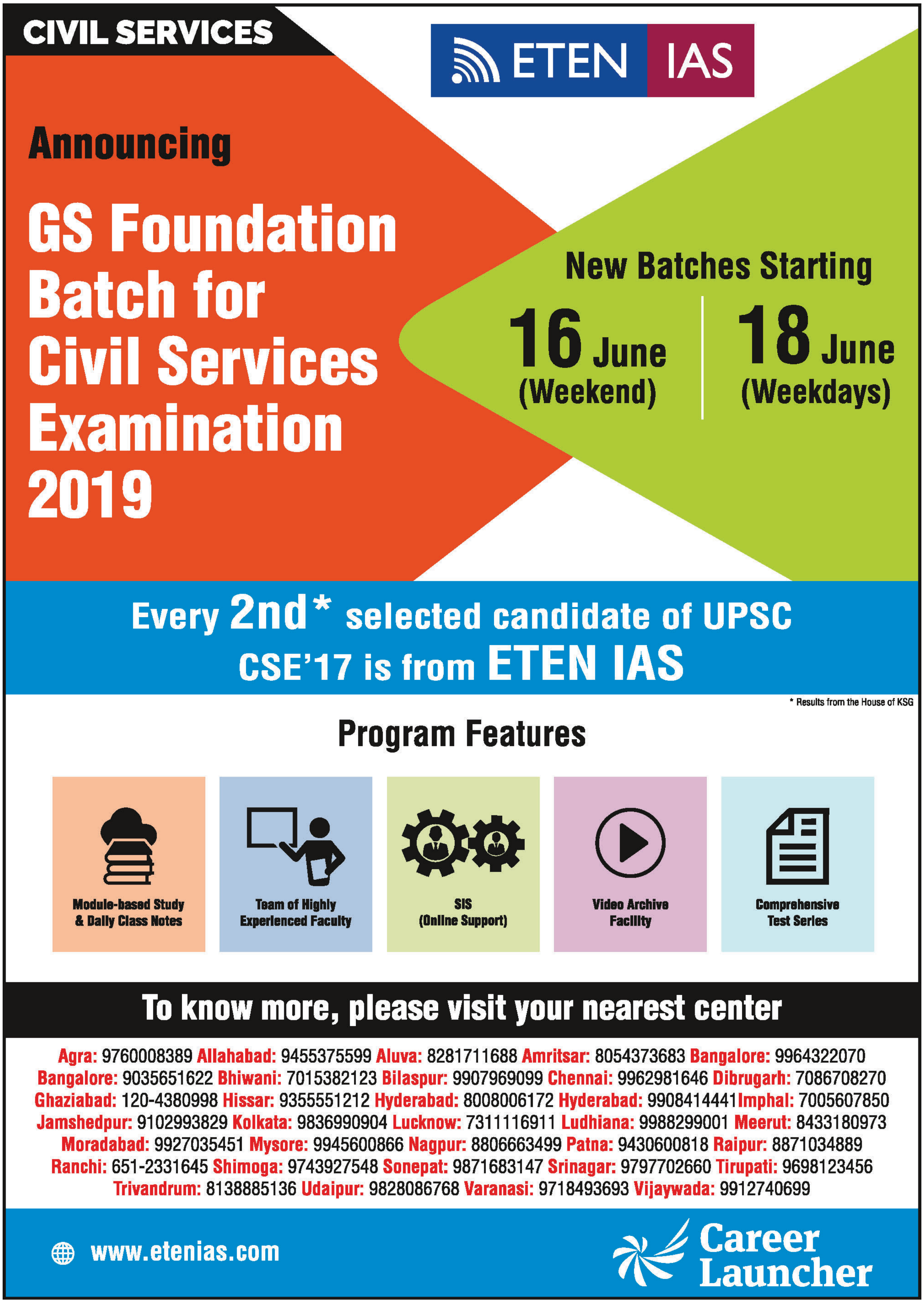
CIVIL SERVICES
ETEN IAS
Announcing
GS Foundation Batch for Civil Services Examination 2019
New Batches Starting
16 June (Weekend)
18 June (Weekdays)
Every 2nd* selected candidate of UPSC CSE'17 is from ETEN IAS
* Results from the House of KSG
Program Features
Module-based Study & Daily Class Notes
Team of Highly Experienced Faculty
SIS (Online Support)
Video Archive Facility
Comprehensive Test Series
To know more, please visit your nearest center
Agra: 9760008389 Allahabad: 9455375599 Aluva: 8281711688 Amritsar: 8054373683 Bangalore: 9964322070
Bangalore: 9035651622 Bhiwani: 7015382123 Bilaspur: 9907969099 Chennai: 9962981646 Dibrugarh: 7086708270
Ghaziabad: 120-4380998 Hissar: 9355551212 Hyderabad: 8008006172 Hyderabad: 9908414441 Imphal: 7005607850
Jamshedpur: 9102993829 Kolkata: 9836990904 Lucknow: 7311116911 Ludhiana: 9988299001 Meerut: 8433180973
Moradabad: 9927035451 Mysore: 9945600866 Nagpur: 8806663499 Patna: 9430600818 Raipur: 8871034889
Ranchi: 651-2331645 Shimoga: 9743927548 Sonepat: 9871683147 Srinagar: 9797702660 Tirupati: 9698123456
Trivandrum: 8138885136 Udaipur: 9828086768 Varanasi: 9718493693 Vijaywada: 9912740699
www.etenias.com
Career Launcher

लोगों की मानसिकता बदलता स्वच्छ भारत अभियान

–संजय श्रीवास्तव

स्वच्छ भारत अभियान चार साल पहले शुरू हुआ था। इसने निश्चित तौर पर देश की तस्वीर बदली है और उससे भी ज्यादा बदली है लोगों की सोच। गांव साफ होने लगे हैं। खुले में शौच जाने की आदत काफी हद तक खत्म होने लगी है। सोलह राज्य पूरी तरह शौचमुक्त घोषित हो चुके हैं। कई जिलों और गांवों में इसके क्रियान्वयन या जागरूकता के लिए अलग–अलग तरीके से काम हो रहे हैं, ये खास तरीके चर्चित भी हो रहे हैं।

स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत दो अक्टूबर, 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर पांच सालों के लिए की गई थी। अभियान का उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त देश बनाना है। जाहिर–सी बात है कि इस कार्यक्रम को हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर ही चलाया जा रहा है। अभियान के तहत देश में करीब 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों को बनाने के लिए एक लाख चौंतीस हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने का लक्ष्य है। बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत में कचरे के इस्तेमाल को पूंजी का रूप देकर उसे जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा। इस अभियान को बड़े स्तर पर ग्रामीण आबादी और ग्रामीण पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद से जोड़ा जा रहा है।

'निर्मल भारत' अभियान कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाया जा रहा ऐसा अभियान है, जो मांग–आधारित एवं जन–केंद्रित है। इसके जरिए कोशिश हो रही है कि लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों को बेहतर बनाया जाए। स्व–सुविधाओं की मांग उत्पन्न करने के साथ स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए। ऐसा होने पर ग्रामीणों का जीवन–स्तर खुद–ब–खुद बेहतर हो जाएगा। गांव न केवल स्वच्छ होंगे बल्कि काफी हद तक बीमारियों से मुक्त भी हो जाएंगे।

सरकार ने मार्च 2018 में लोकसभा में बताया कि वर्ष 2015–16 में 47,101, वर्ष 2016–17 में 1,36,981 और वर्ष 2017–18 में 1,39,478 गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए।

ओडीएफ गांवों में इजाफा

ओडीएफ गांवों की संख्या में लगातार जबरदस्त इजाफा हो रहा है। ओडीएफ का मतलब है खुले में शौच से मुक्त। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के मुताबिक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का पैमाना आवश्यक रूप से शौचालय का इस्तेमाल है यानी जिस ग्राम पंचायत, जिला या राज्य (सभी ग्रामीण) के सभी परिवारों के सभी लोग शौचालय इस्तेमाल करते हों। ओडीएफ को चार–स्तरीय सत्यापन से गुजरना पड़ता है। पहले ब्लॉक–स्तर, फिर जिला, फिर राज्य–स्तर के अधिकारी और आखिर में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अधिकारी सत्यापन करते हैं।

खुले में शौच से कौन–सी बीमारियां फैलती हैं

मानव मल पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत खराब असर पड़ता है।मानव मल में भारी संख्या में रोगों के कीटाणु होते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं। एक ग्राम मानव मल में रोगों के इतने वाहक हो सकते हैं–

1,00,00,000 वायरस

10,00,000 बैक्टीरिया

1000 परजीवी पुटी/अंडाणु

100 परजीवी अंडे

खुले में शौच करने से दस्त, टाइफाइड, आंतों में कीड़े, रोहा, हुक वार्म, मलेरिया, फालेरिया, पीलिया, टिटनस आदि बीमारियां हो सकती हैं।

किस तरह बढ़ रही है स्वच्छता

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के तहत स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी 2018 तक करीब 6 करोड़ 13 लाख घरेलू शौचालय बनाए जा चुके हैं। पिछले दो सालों में ओडीएफ गांवों की संख्या 2,69,565 यानी 572 फीसदी (करीब 6.7 गुनी) बढी है। आंकड़ों पर भरोसा करें तो 2015 के बाद से तीन सालों में रोजाना करीब 51 हजार शौचालय गांवों में बन रहे हैं। वर्ष 2016 से रोज करीब 370 गांव ओडीएफ घोषित हो चुके हैं।

कई जिलों और गांवों में इसके क्रियान्वयन या जागरूकता के लिए अलग–अलग तरीके से काम हो रहे हैं, ये खास तरीके चर्चित भी हो रहे हैं।

अलग तरह से काम करने वाले लोग

मसलन महाराष्ट्र में सोलापुर जिला पंचायत की अध्यक्ष डॉ. निशि गंधा माली गांवों का दौरा करती रहती हैं। पंचायत सदस्यों, स्कूली बच्चों, अधिकारियों, नागरिकों से मिलती हैं। वो बहुत असरदार तरीके से लोगों को इसके फायदे और जरूरतों के बारे में बताती हैं। उन्होंने तब तक पैरों में जूते–चप्पल नहीं पहनने की शपथ ली है जब तक कि उनका जिला खुले में शौचरहित ना हो जाए। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में एक स्कूली बच्चे ने गांवों के ऐसे लोगों के नामों को चिन्हित करते हुए गांव की खास जगहों पर इश्तहार लगाया। इस नए विचार ने अपने अभियान में सफल होने में समुदाय की मदद की। हिमाचल में कोठी ग्राम पंचायत के महिला मंडल ने कचरा प्रबंधन के लिए एक नई चीज शुरू की। ये लोग घरों से पॉलिथीन इकट्ठा करते हैं। प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके कचरा उठाने के लिए बैग तैयार किए जाते हैं, जिन्हें सड़कों के किनारे पेड़ों पर टांग दिया जाता है, ताकि लोग सड़कों पर गंदगी करने से बचें। रांची नगर निगम ने खुले में शौच करने वाले के खिलाफ 'हल्ला बोल, लुंगी खोल' अभियान छेड़ा। इसके तहत निगम अधिकारी खुले में शौच करते लोगों को पकड़ते और उनकी लुंगी जब्त कर लेते।

मंडी में ग्राम पंचायत–स्तर पर विकास निधि स्थापित की गई है, जिसमें घरों की संख्या के हिसाब से सात से 20 लाख रुपये तक की राशि इकट्ठी हो गई है। इस निधि का उपयोग गांवों में शौचालय, खाद बनाने, वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे या बारिश के पानी के लिए नालियां विकसित करने के लिए किया जाता है, अवार्ड भी दिए जाते हैं। मंडी जिले में लगभग 70 हजार सदस्यों वाले 4,490 महिला मंडल हैं, जो गांवों में सफाई सुनिश्चित करने के साथ लोगों को संपूर्ण स्वच्छता और जल संरक्षण का महत्त्व समझाते हैं। मंडी को वर्ष 2016 में केंद्र ने सबसे साफ–सुथरा पहाड़ी जिला घोषित किया था।

बिहार के गया के एक गांव में स्वच्छ भारत मिशन से प्रभावित होकर एक परिवार की बहू ने घर में शौचालय बनाने के लिए अपने गहने निकाल कर सास को सौंप दिए। बहू की सोच को सही मानते हुए उनकी सास ने उसके गहने लौटा दिए और घर में दूध देने वाली गाय को बेचकर शौचालय बनवा कर ही दम लिया। ऐसे न जाने कितने उदाहरण और अच्छा काम करने वालों की सूची तैयार की जा सकती है।

16 राज्य खुले में शौचमुक्त

जब इस अभियान की शुरुआत की गई थी, तब जम्मू–कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड और ओडिशा में 30 प्रतिशत से कम शौचालय थे। हालांकि आज कोई राज्य इस श्रेणी में नहीं है। अलबत्ता बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में शौचालय निर्माण की प्रगति धीमी है। यहां अभी 30–60 प्रतिशत घरों में ही शौचालय बनवाए जा सके हैं। राजस्थान खुले में शौचमुक्त की श्रेणी में आ चुका है। जम्मू–कश्मीर, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में 60 से 90 प्रतिशत तक शौचालय बनवाए जा चुके हैं। अभियान की शुरुआत के समय केवल केरल ही ऐसा राज्य था जो खुले में शौचमुक्त था। आज इस श्रेणी में 16 राज्य आ चुके हैं। करीब साढ़े छह लाख गांवों में से साढ़े तीन लाख से अधिक गांव खुले में शौचमुक्त हो चुके हैं।

समाज में फैल रही है जागरूकता

राष्ट्रीय–स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धि शानदार रही है। लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि बिहार, उत्तर प्रदेश

कैसे करा सकते हैं शौचालय का निर्माण

शौचालय निर्माणः (i) बेसलाइन सर्वे में जिसका नाम हो वह व्यक्ति स्वच्छता अधिकारी के पास नाम दर्ज कराता है। (ii) अधिकारी निर्माण शुरू करने की मंजूरी की रसीद देता है। (iii) 45–50 दिन में निर्माण पूरा करना होता है। (iv) बने शौचालय में पानी की टंकी, रोशनी की व्यवस्था, दरवाजा होना जरूरी है। (v) काम पूरा होने की सूचना के बाद अधिकारी रसीद लेकर 12,000 की प्रोत्साहन राशि जारी करता है।

2019 तक 80 फीसदी साफ हो जाएगी गंगा

गंगा की सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले वर्ष मार्च तक नदी का 80 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ हो जाएगा। हम मार्च 2019 तक 70 से 80 प्रतिशत गंगा के स्वच्छ होने की उम्मीद करते हैं। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि गंगा के किनारे सक्रिय 251 सकल प्रदूषण उद्योग (जीपीआई) को बंद कर दिया गया है। 938 उद्योगों और 211 मुख्य 'नालों' में प्रदूषण की 'रियल–टाइम मॉनिटोरिंग' पूरी हो चुकी है, जो नदी को प्रदूषित करते हैं। अब परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र के साथ मिलकर इसके क्रियान्वयन का काम शुरू करना है।

नमामि गंगे परियोजना कोई साधारण परियोजना नहीं है बल्कि ये उस नदी की सफाई से ताल्लुक रखती है जो 2,500 किमी. लंबी है। ये 29 बड़े शहर, 48 कस्बे और 23 छोटे शहरों को कवर करती है। भारत के पांच राज्य उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार गंगा नदी के रास्ते में आते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ये परियोजना काफी चुनौतीपूर्ण है। मोदी सरकार ने गंगा की सफाई के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी एनएमसीजी नाम का प्रोजेक्ट बनाया है। एनएमसीजी ने पिछले दो सालों में गंगा की सफाई के 16.6 अरब रुपये की राशि खर्च की है। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी के मुताबिक गंगा की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने 67 अरब रुपये की रकम आवंटित की है। ये आंकड़ा अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के बीच का है। गंगा नदी की सफाई के लिए अगर सरकार अपने स्तर पर जुटी हुई है तो आम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वो देश की पुण्य सलिला की सफाई को लेकर जागरूक हों। इस तरह का काम राज्य सरकारें भी लगातार कर रही हैं। वहीं ये भी जरूरी है कि ये जिन शहरों, गांवों और कस्बों से होकर गुजरती है, वहां का स्थानीय प्रशासन भी इसकी सफाई में अहम भूमिका निभाए।

जैसे राज्यों में आखिर कौन–सी समस्याएं सामने आ रही हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। चूंकि ये सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं, लिहाजा उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत भी है। वैसे ये बात सही है कि स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीणों की सोच को बदला है। गांवों में इसको लेकर जागरूकता बढ़ रही है; ये शुभ संकेत भी है। अगर समाज सचेत है, तो वो अपनी व्यवस्था भी कर लेता है। गंदगी की तरफ वो खुद ध्यान देने लगता है।

बढ़ी सहायता राशि

अभियान के एक भाग के रूप में प्रत्येक पारिवारिक इकाई के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की इकाई लागत को 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है और इसमें हाथ धोने, शौचालय की सफाई एवं भंडारण को भी शामिल किया गया है। इस तरह के शौचालय के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता 9,000 रुपये और इसमें राज्य सरकार का योगदान 3000 रुपये होगा। जम्मू एवं कश्मीर एवं उत्तर–पूर्व राज्यों एवं विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलने वाली सहायता 10800 होगी जिसमें राज्य का योगदान 1200 रुपये होगा। अन्य स्रोतों से अतिरिक्त योगदान करने की स्वीकार्यता होगी।

सरकार की इच्छाशक्ति नजर आ रही है

मोदी सरकार अगले साल गांधी जी की 150वीं जयंती को यादगार बनाना चाहती है। इसीलिए वो देश को खुले में शौचमुक्त बनाने के इरादे से काम कर रही है। पिछली सरकारों ने भी ऐसी योजनाएं चलाने की कोशिश की थीं लेकिन वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाईं थी जिस तरह मौजूदा स्वच्छ भारत अभियान शक्ल ले रहा है। 1999 में भारत सरकार ने व्यापक ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को नए सिरे से संपूर्ण स्वच्छता अभियान के रूप में लांच किया था। बाद में मनमोहन सिंह के शासनकाल में इसका नाम बदल कर 'निर्मल भारत अभियान' कर दिया गया था। वर्तमान सरकार ने इसमें कुछ बदलाव करके इसे 'स्वच्छ भारत अभियान' नाम दिया। बहुत से देशों में गंदगी फैलाने की आदत को सुधारने के लिए भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। हमारे यहां वैसा तो नहीं है लेकिन अब स्वच्छता कर (सेस) जरूर है।

विश्व पर्यावरण दिवस

विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सतत विकास के राष्ट्रीय प्रयासों तथा पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जाती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इस वर्ष का थीम हैं– **प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना**। इस वर्ष भारत को विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेजबान भी बनाया गया है।

वन और पर्यावरण संरक्षण के व्यापक मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 1972 से दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पिछले वर्ष का थीम लोगों को प्रकृति से जोड़ना था। इस दौरान प्राकृतिक संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर हरियाली को बढ़ावा देने तथा सभी प्रकार के अपशिष्ट को कम करने की दिशा में कई कदम उठाए गए।

प्रकृति से दोबारा जुड़ने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय–स्तर पर राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान (एनईएसी) शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, महिला और युवा संगठनों को पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण संबंधित समस्याओं के समाधान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने में लगभग 12000 संगठन शामिल हैं।

देश भर के 4000 शहरों में विशाल अपशिष्ट प्रबंधन अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत इन शहरों में कूड़ा एकत्र करने के नीले और हरे रंग के डिब्बे वितरित किए गए तथा आम लोगों को अपनी जीवनशैली में स्वच्छता की संस्कृति अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। सरकार का उद्देश्य मूल स्थान पर ही सूखे और गीले कूड़े को अलग–अलग करने में लोगों की आदत में बदलाव लाना है ताकि तद्नुसार कूड़े का प्रबंधन किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि भारत के सिक्किम में गंगटोक में स्थित मावलिन्नांग में पॉलीथीन पर प्रतिबंध है; थूकना मना है। रास्तों पर कूड़े का नामों–निशां नहीं मिलता; कूड़ा फेंकने के लिए बांस के बने कूड़ेदान हैं; रास्ते के दोनों ओर फूल–पौधे हैं; स्वच्छता का निर्देश देते बोर्ड हैं। इस गांव को एशिया के सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा भी मिल कर चुका है। अगर हम स्वच्छता हासिल करने की संस्कृति विकसित करेंगे और उसे जारी रखने के लिए नए कदम उठाएंगे, तभी हम गांधीजी के उस सपने को साकार कर सकेंगे, जो उन्होंने स्वच्छता के लिए देखा था।

जुटे हैं सांसद भी

पिछले कुछ महीनों से सरकार ने इसके लिए सभी सांसदों से गोद लिए गए गांवों में इस अभियान की अगुवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने सांसदों से गांवों के 'समग्र विकास' के लिए पंचायत–स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम शुरू करने का अनुरोध भी किया। हालांकि अच्छी बात यही है कि सरकार की योजना लगातार जारी है और इसमें उसकी पूरी इच्छाशक्ति भी नजर आ रही है। इसलिए इसमें लगातार प्रगति भी दिख रही है। किसी भी योजना की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उससे आम लोगों को कैसे जोड़ा जाता है तो इस मामले में ये कहा जा सकता है कि गांवों में लोगों के दिमाग में ये बात बैठने लगी है कि हर घर में शौचालय होना न केवल जरूरी है बल्कि अपने आसपास के परिवेश को भी साफ रखना आवश्यक है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेल : sanjayratan@gmail.com

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति–2018

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति–2018 को मंजूरी दे दी है।

मुख्य विशेषताएं

- नीति में जैव ईंधनों को 'आधारभूत जैव ईंधनों' यानी पहली पीढ़ी (1जी) जैव इथनॉल और जैव डीजल तथा "विकसित जैव ईंधनों' – दूसरी पीढ़ी (2जी) इथनॉल, निगम के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) से लेकर ड्रॉप इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी (3जी) के जैव ईंधन, जैव सीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है ताकि प्रत्येक श्रेणी में उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।
- नीति में गन्ने का रस, चीनी वाली वस्तुओं जैसे चुकन्दर, स्वीट सौरगम, स्टार्च वाली वस्तुएं जैसे – भुट्टा, कसावा, मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त बेकार अनाज जैसे गेहूं, टूटा चावल, सड़े हुए आलू के इस्तेमाल की अनुमति देकर इथनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाया गया है।
- अतिरिक्त उत्पादन के चरण के दौरान किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलने का खतरा होता है। इसे ध्यान में रखते हुए इस नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंजूरी से इथनॉल उत्पादन के लिए पेट्रोल के साथ उसे मिलाने के लिए अतिरिक्त अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।
- जैव ईंधनों के लिए, नीति में 2जी इथनॉल जैव रिफाइनरी के लिए 1जी जैव ईंधनों की तुलना में अतिरिक्त कर प्रोत्साहनों, उच्च खरीद मूल्य के अलावा 6 वर्षों में 5000 करोड़ रुपये की निधियन योजना के लिए व्यावहारिकता अंतर का संकेत दिया गया है।
- नीति गैर–खाद्य तिलहनों, इस्तेमाल किए जा चुके खाना पकाने के तेल, लघु गाभ फसलों से जैव डीजल उत्पादन के लिए आपूर्ति शृंखला तंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया गया।
- इन प्रयासों के लिए नीति दस्तावेज में जैव ईंधनों के संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का अधिग्रहण किया गया है।

संभावित लाभ

i. **आयात निर्भरता कम होगी :** एक करोड़ लीटर ई–10 वर्तमान दरों पर 28 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत करेगा। इथनॉल आपूर्ति वर्ष 2017–18 में करीब 150 करोड़ लीटर इथनॉल की आपूर्ति दिखाई देने की उम्मीद है जिससे 4000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

- **स्वच्छ पर्यावरण :** एक करोड़ लीटर ई–10 से करीब 20,000 हजार टन कार्बन–डाई–ऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। वर्ष 2017–18 इथनॉल आपूर्ति के लिए कार्बन–डाई–ऑक्साइड 30 लाख टन उत्सर्जन कम होगा। फसल जलाने में कमी लाने और कृषि संबंधी अवशिष्ट/कचरे को जैव ईंधनों में बदलकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में और कमी आएगी।
- **स्वास्थ्य संबंधी लाभ :** खाना पकाने के लिए तेल खासतौर से तलने के लिए लंबे समय तक उसका दोबारा इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है और अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इस्तेमाल हो चुका खाना पकाने का तेल जैव ईंधन के लिए संभावित फीडस्टॉक हो सकता है और जैव ईंधन बनाने के लिए इसके इस्तेमाल से खाद्य उद्योगों में खाना पकाने के तेल के दोबारा इस्तेमाल से बचा जा सकता है।
- **एमएसडब्ल्यू प्रबंध :** एक अनुमान के अनुसार भारत में हर वर्ष 62 एमएमटी निगम का ठोस कचरा निकलता है। ऐसी प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं जो कचरा/प्लास्टिक, एमएसडब्ल्यू को ईंधन में परिवर्तित कर सकती हैं। ऐसे एक टन कचरे में ईंधनों के लिए करीब 20 प्रतिशत बूंदें प्रदान करने की संभावना है।
- **ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचना निवेश :** एक अनुमान के अनुसार 100 केएलपीडी जैव रिफाइनरी के लिए करीब 800 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। वर्तमान में तेल विपणन कंपनियां करीब 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से बारह 2जी रिफाइनरियां स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। साथ ही देश में 2जी जैव रिफाइनरियों से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- **रोजगार सृजन :** एक 100 केएलपीडी 2जी जैव रिफाइनरी संयंत्र परिचालनों, ग्रामीण–स्तर के उद्यमों और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में 1200 नौकरियां देने में योगदान दे सकती हैं।
- **किसानों की अतिरिक्त आय :** 2जी प्रौद्योगिकियों को अपना कर कृषि संबंधी अवशिष्टों/कचरे को इथनॉल में बदला जा सकता है और यदि इसके लिए बाजार विकसित किया जाए तो कचरे का मूल्य मिल सकता है जिसे अन्यथा किसान जला देते हैं। साथ ही, अतिरिक्त उत्पादन चरण के दौरान उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य नहीं मिलने का खतरा रहता है। अतः अतिरिक्त अनाजों को परिवर्तित करने और कृषि बॉयोमास मूल्य स्थिरता में मदद कर सकते हैं। ❑

Mc Graw Hill Education

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2018

भविष्य के IAS, IPS तथा IRS अधिकारियों की मार्गदर्शिका

की तैयारी के लिए आपके सशक्तिकरण हेतु उपयोगी पुस्तकें

₹ 640/-

ISBN: 9789387572850

₹ 415/-

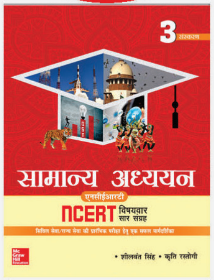

ISBN: 9789387572409

₹ 505/-

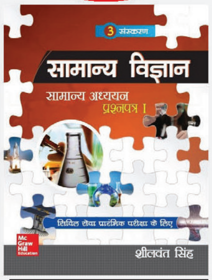

ISBN: 9789385965951

₹ 465/-

ISBN: 9789385965968

₹ 345/-

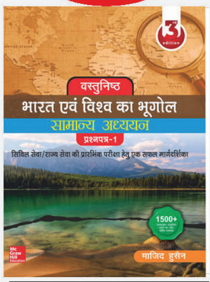

ISBN: 9789387572416

₹ 475/-

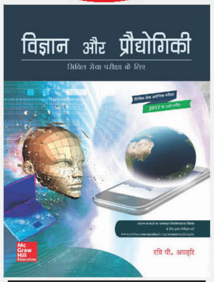

ISBN: 9789352607501

₹ 415/-

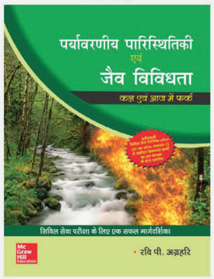

ISBN: 9789352602322

₹ 345/-

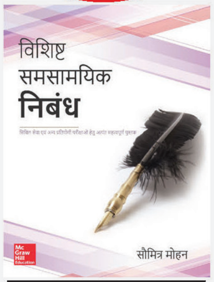

ISBN: 9789352607679

₹ 435/-

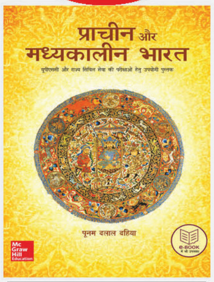

ISBN: 9789387572928

₹ 475/-

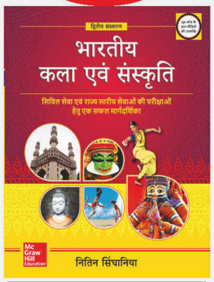

ISBN: 9789387067714

Prices are subject to change without prior notice.

सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र I और II 2018)
के नि:शुल्क प्रश्नपत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करें
www.mheducation.co.in/upscsamplepapers

मेक्ग्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

SHIPPING FREE Above ₹ 500/-

टोल फ्री नं.: 1800 103 5875 | ई-मेल: support.india@mheducation.com | खरीदें @ www.mheducation.co.in

संपर्क करें@ /McGrawHillEducationIN /MHEducationIN /Company/McGraw-Hill-Education-India /McGrawHillEducationIndia

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रगति रिपोर्ट

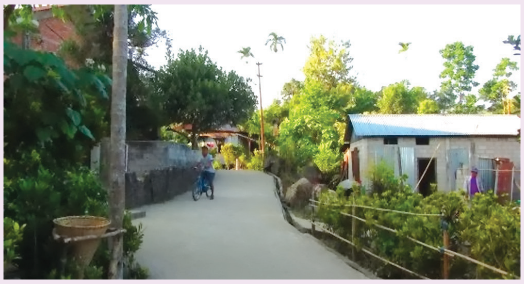

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस योजना के तहत मार्च, 2018 तक कुल 1,52,165 बसावटों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है जो कुल बसावटों का लगभग 85 प्रतिशत है। पिछले चार वर्षों में बसावटों को सड़क मार्ग से जोड़ने के काम में 27 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2013–14 में 75 कि.मी. प्रतिदिन के हिसाब से सड़क निर्माण हो रहा था जो 2017–18 में बढ़कर 134 कि.मी. प्रतिदिन हो गया। हरित प्रौद्योगिकी के उपयोग से 6313 कि.मी. सड़कों का निर्माण हुआ है। सरकार ने वर्ष 2022 तक पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के अंतर्गत 1.07 लाख कि.मी. सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) इस योजना के अंतर्गत मार्च, 2019 तक 1 करोड़ और वर्ष 2022 तक 2 करोड़ 51 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च, 2018 तक 51 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य था, जिसके मुकाबले 44 लाख 53 हजार मकानों का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान मिला है, उत्तर प्रदेश ने दूसरा और मध्य प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया है। आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण पर पर्याप्त बल दिया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान 12,500 को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण देकर प्रमाणपत्र सौंपे गए।

मनरेगा–आजीविका सुरक्षा से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना– 'मनरेगा' में प्रत्येक परिसम्पत्ति की जियो टेगिंग और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना से पूरी पारदर्शिता आई है। इस योजना की इस आधार पर आलोचना की जाती थी कि इसके काम लंबे समय तक अधूरे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से खराब गुणवत्ता की परिसंपत्तियों का सृजन हो पाता है और आजीविका सुरक्षा भी संतोषजनक नहीं है। इसमें सुधार लाने के लिए पिछले 2 वित्त वर्षों के दौरान कार्यों को समयबद्ध आधार पर पूरा करने के प्रयास किए गए। इसके फलस्वरूप वर्ष 2016–17 और 2017–18 में करीब 1 करोड़ 20 लाख परिसंपत्तियों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पहली सितंबर, 2016 से मनरेगा परिसंपत्तियों की जियो टेगिंग शुरू की गई और अब दैनिक आधार पर लगभग 80 हजार परिसंपत्तियों की जियो टेगिंग की जा रही है। मनरेगा के अंतर्गत सृजित 3 करोड़ 34 लाख परिसंपत्तियों में से 2 करोड़ 84 लाख से अधिक की जियो टेगिंग कर उन्हें पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर बल दिया जा रहा है। इस साल 40 से 50 लाख हेक्टेयर जमीन जल–संरक्षण हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के दायरे में लाई जा रही है।

पिछले 2 वर्षों के दौरान हर साल करीब 5 लाख कृषि तालाबों का निर्माण किया गया है। इस योजना के तहत सड़कों के किनारे वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी जैसे कार्यों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों को मनरेगा के अंतर्गत 90 से 95 दिन का काम उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत जहां आवश्यक हो, और यह सुविधा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत मिलनी संभव नहीं हो, वहां प्रत्येक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के लिए 12000 रुपये उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों का महत्व समझते हुए मनरेगा की निधियों का इस्तेमाल आंगनवाड़ी केंद्र की इमारतों के निर्माण पर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पिछले 2 वर्ष के दौरान ऐसी लगभग 20,000 इमारतें बनाई गई हैं। मनरेगा के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्टिंग के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पिछले वित्तवर्ष के दौरान अब तक की सर्वाधिक 64,179 करोड़ रुपये की निधियों का उपयोग किया गया है। अब 86 प्रतिशत से अधिक भुगतान समय पर हो रहा है। मनरेगा के अंतर्गत 12 करोड़ 56 लाख से अधिक जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 10 करोड़ को आधार से जोड़ दिया गया है और 6 करोड़ 58 लाख को बैंक खातो से लिंक कर दिया गया है। जॉब कार्ड का सत्यापन कराया गया है और 7 करोड़ 33 लाख जॉब कार्ड सक्रिय पाए गए हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान 1 करोड़ 43 लाख जॉब कार्ड जोड़े गए हैं और 1.62 करोड़ जॉब कार्ड निरस्त किए गए।

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वर्ष 2011 में शुरुआत के बाद से योजना का विस्तार 29 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों में 584 जिलो के 4456 ब्लॉकों तक कर दिया गया है। इसके अंतर्गत स्वसहायता समूहों की संख्या लगभग 40 लाख हो गई है। इनमें लगभग 2 लाख 20 हजार ग्राम संगठन और 19 हजार क्लस्टर परिसंपत्ति हैं। वित्तीय समावेश के तहत मिशन ने महिला स्वसहायता समूहों को 1,51000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण दिलाने में मदद की है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इस योजना के तहत वर्ष 2014–15 से फरवरी, 2018 तक 5,70,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और 3,48,000 लोगों को काम दिलाया गया है। वर्ष 2017–18 में 1,28,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया और 69,000 से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए गए।

पिछले 4 वर्षों में केवल मनरेगा, आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1100 करोड़ से ज्यादा श्रम दिवसों का रोजगार सृजन हुआ है। ❑

स्वच्छता सर्वेक्षण 2018

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तत्वाधान में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का आयोजन किया था। इसमें 4203 शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन किया गया। 2700 मूल्यांकन–कर्मियों ने पूरे देश के 40 करोड़ लोगों से संबंधित स्थानीय निकायों का सर्वेक्षण किया। यह कार्यक्रम 4 जनवरी, 2018 से 10 मार्च, 2018 तक जारी रहा। वर्ष 2017 में 434 नगरों में स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया था।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के दौरान 53.58 लाख स्वच्छता ऐप डाउनलोड किए गए तथा 37.66 लाख नागरिकों के फीडबैक का संग्रह किया गया। वर्ष 2016 में 73 नगरों में स्वच्छता सर्वेक्षण का संचालन किया गया था। इसमें मैसूर को सर्वाधिक स्वच्छ नगर होने का दर्जा दिया गया था। वर्ष 2017 में 434 नगरों में स्वच्छता सर्वेक्षण का संचालन किया गया और इंदौर को सर्वाधिक स्वच्छ नगर का पुरस्कार दिया गया।

एक स्वतंत्र एजेंसी ने स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य किया है। इसके लिए 3 स्रोतों से आंकड़े जुटाए गए।

ए. सेवा–स्तर में हुई प्रगति

बी. प्रत्यक्ष निरीक्षण

सी. नागरिकों का फीडबैक

2017 की तुलना में स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 की प्राथमिकता में बदलाव हुआ है जो निम्न है–

सेवा–स्तर प्रगति के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में एक और घटक जोड़ा गया है–नवोन्मेष और सर्वोत्तम कार्यप्रणाली

इस सर्वेक्षण में नागरिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागरिकों के फीडबैक तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का फोकस था– स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों की पहलों के परिणाम, नवोन्मेष तथा सत्तता।

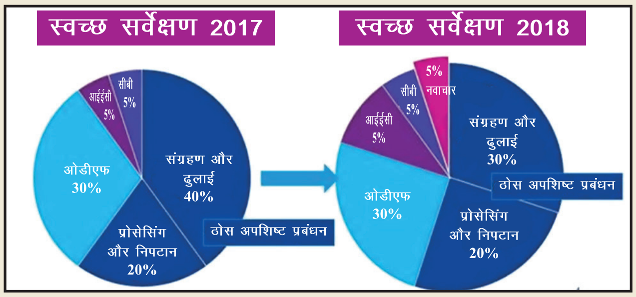

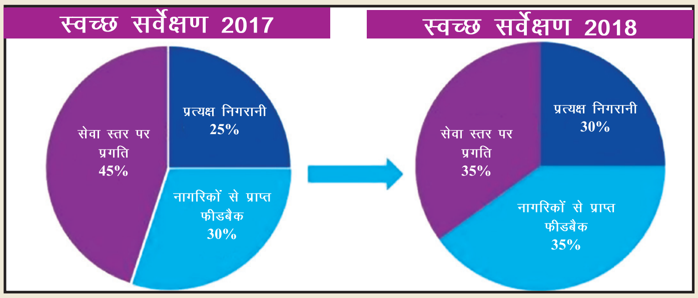

स्वच्छ भारत ग्रीष्म प्रशिक्षण

स्वच्छ भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने तथा कैरियर लाभ अर्जित करने के लिए देश के युवाओं के लिए एक विशिष्ट योजना, स्वच्छ भारत ग्रीष्म प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र एवं एनवाईकेएस के सदस्य अब 15 जून, 2018 तक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पहले पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मई, 2018 थी। देश भर के युवकों को, विशेष रूप से उन महाविद्यालयों के छात्रों, जो शैक्षणिक मामलों एवं परीक्षाओं में व्यस्त होंगे, पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए पंजीकरण की तारीख को बढ़ाया गया है।

छात्र एवं एनवाईकेएस के युवा अब पोर्टल (www.sbsi.mygov.in) पर लॉग इन कर स्वच्छ भारत ग्रीष्म प्रशिक्षण के लिए साइन अप कर सकते हैं। इस योजना के तहत प्रशिक्षुओं को गांव में स्वच्छता से जुड़े कार्यों पर कम से कम 100 घंटे व्यतीत करने की आवश्यकता है। इससे वे स्वच्छ भारत प्रमाणपत्र पाने के योग्य हो जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल, 2018 को प्रसारित 'मन की बात' में स्वच्छ भारत ग्रीष्म प्रशिक्षण (एसबीएसआई) के लांच की घोषणा की थी।

आगामी अंक

जुलाई, 2018 : पंचायती राज